Con. 3. 6.1.48
750

अंक 6
संख्या 1

मंगलवार
27 जनवरी,
सन् 1948 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	परिचय-पत्रों की पेशी तथा रजिस्टर पर इस्ताक्षर करना	1
2.	श्री वी.डी. त्रिपाठी की गिरफ्तारी	1
3.	वैधानिक आपत्ति	3
4.	पश्चिमी बंगाल का अतिरिक्त प्रतिनिधित्व	5
5.	पूर्वी पंजाब का अतिरिक्त प्रतिनिधित्व	7
6.	नियमों में संशोधन तथा परिवर्द्धन	20
7.	परिचय-पत्रों की पेशी तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर	38
8.	नियमों में संशोधन तथा परिवर्द्धन	38
9.	अध्यक्ष द्वारा आगामी अधिवेशन-सम्बन्धी घोषणा	92

भारतीय विधान-परिषद्

मंगलवार, 27 जनवरी, सन् 1948 ई.

माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कान्स्टीट्यूशन हाल में दिन के 11 बजे आरम्भ हुई।

परिचय-पत्रों की पेशी तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने परिचय-पत्र पेश किये तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये:

1. श्री के. हनुमन्थैय्या (मैसूर राज्य)
2. श्री टी. सिद्दालिंगय्या (मैसूर राज्य)
3. श्री वी.एस. सरवटे (इन्दौर राज्य)

***श्री एच.वी. कामत** (मध्य प्रान्त तथा बरार: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं एक वैधानिक आपत्ति उपस्थित करता हूं।

***अध्यक्ष:** हमने अभी कार्यवाही आरम्भ नहीं की है। कार्यवाही आरम्भ करने के पूर्व कोई वैधानिक आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है।

श्री वी.डी. त्रिपाठी की गिरफ्तारी

***श्री एच.वी. कामत:** अध्यक्ष महोदय, आज का कार्य आरम्भ करने के पूर्व मुझे गत शुक्रवार को नेता-जयन्ती के उत्सव में इस सभा के एक माननीय सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना देने की आज्ञा दीजिये-मेरा अभिप्राय संयुक्त-प्रान्त के श्री वी.डी. त्रिपाठी से है। इस सम्बन्ध में मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या संयुक्त प्रान्तीय सरकार ने उनके गिरफ्तार किये जाने की परिस्थितियों की तथा उनको रोके रखने के कारणों की कोई सूचना आपको दी है, जिससे कि वे इस अधिवेशन में उपस्थित न हो सके? श्रीमान् जी, मेरे तुच्छ विचार से तो यह इस सभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का अतिक्रमण करना है।

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

***श्री बालकृष्ण शर्मा** (संयुक्त प्रान्तः जनरल): इस विषय में मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य का इस सभा में इस वैधानिक आपत्ति को उपस्थित करना कहां तक नियमानुकूल है। सभा के समक्ष पूर्ण विवरण नहीं रखा गया है। सभा को समस्त घटनाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये और तभी उस विषय पर उससे निर्णय की आशा की जा सकती है। श्री बी.डी. त्रिपाठी को इस कारण गिरफ्तार किया गया था कि वे स्वयं एक गैरकानूनी संस्था के सदस्य थे। इसके अतिरिक्त त्रिपाठी जी ने कानपुर शहर में अनेकों कारणों से जाब्ता फौजदारी की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आज्ञा का उल्लंघन किया। मेरी समझ में नहीं आता कि इस सभा के किसी भी माननीय सदस्य को किस प्रकार सरकारी कानून उल्लंघन करने का अधिकार है और यदि वह उल्लंघन करता है तो उसे उसके परिणाम को भुगतने के लिये तत्पर रहना चाहिये।

***अध्यक्षः** मैं नहीं समझता कि गिरफ्तारी का प्रश्न यहां उपस्थित हो सकता है। पेश किये जाने वाले नियमों के संशोधनों पर विचार करने के लिये हम विधान-परिषद् के रूप में यहां सम्मिलित हैं। यदि कोई सदस्य गिरफ्तार कर लिया गया है तो उचित स्थान पर विचार किया जाना चाहिये। हम इस विषय को नहीं ले सकते हैं।

(श्री एच.वी. कामत खड़े हुये।)

***अध्यक्षः** शान्ति, शान्ति! यहां विधान-परिषद् में हम इस विषय को नहीं ले सकते हैं।

***श्री एच.वी. कामतः** मैं यह जानना चाहता हूं कि संयुक्त प्रान्तीय सरकार ने इस सम्बन्ध में आपको सूचना दी या नहीं?

***अध्यक्षः** मुझे कोई सूचना नहीं मिली है।

***श्री एच.वी. कामतः** दूसरा प्रश्न यह है कि उनको पैरोल पर छोड़ दिया जाये जिससे कि वे अधिवेशन में उपस्थित हो सकें।

***अध्यक्षः** यह भी मामले के औचित्य पर विचार करने से सम्बन्ध रखता है जिसे मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। अब हम कार्यक्रम को लेंगे।

***श्री युधिष्ठिर मिश्र** (पूर्वी रियासतों का समूह 1): अध्यक्ष महोदय, एक वैधानिक आपत्ति है। प्रश्न यह है कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ रियासतों के राजाओं द्वारा नामजद किये गये इस सभा के माननीय सदस्य 15 दिसम्बर सन् 1947 के पश्चात् इस सभा में बैठ सकते हैं या नहीं?

राजाओं और विधान-परिषद् के मध्य परामर्श की शर्तों के अनुसार देश के भावी विधान में अपने हितों की रक्षा करने के लिये उड़ीसा नरेश ने दो प्रतिनिधि तथा छत्तीसगढ़-नरेश ने एक प्रतिनिधि इस सभा में नामजद किये हैं। परन्तु 14, 15 दिसम्बर 1947 को ये शासक अपने समस्त अधिकारों, सत्ता तथा शासनाधिकार, जिनका वे अपने राज्य में प्रयोग करते थे, भारतीय-संघ-सरकार को सौंपने के लिये सहमत हुये और 1 जनवरी 1948 को वे समस्त अधिकार सौंप दिये गये हैं। अतः 15 दिसम्बर के पश्चात् शासकों द्वारा इस सभा में नामजद किये गये सदस्य न तो शासकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और न उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक माननीय सदस्य ने तो अभी हाल ही में मध्य प्रान्त में नौकरी स्वीकार कर ली है। मैं निवेदन करता हूं कि जब रियासतों में शासकों का अधिकार और सत्ता नहीं रहते तो उनके मनोनीत सदस्यों को इस सभा में बैठने का अधिकार नहीं है। मैं आदरपूर्वक आपसे निवेदन करूंगा कि इस विषय पर आप निर्देश दें।

सेठ गोविन्ददास (मध्य प्रांत और बरार: जनरल): सभापति जी, जहां तक छत्तीसगढ़ रियासतों का सम्बन्ध है, छत्तीसगढ़ रियासतें यद्यपि मध्य प्रान्त और बरार प्रान्त में ले ली गई हैं; परन्तु जब तक वहां के प्रतिनिधियों का नया चुनाव नहीं हो जाता, तब तक मेरा आपसे यह निवेदन है कि वहां के जो सदस्य विधान-परिषद् में आये हैं, उनको इजाजत दी जानी चाहिये, परिषद् में काम करने के लिए। जब कि वहां के नये चुनाव हो जायेंगे, तब हम उनको यहां से अलग कर देंगे।

मैं समझता हूं कि अभी उनको अलग करने से, उन रियासतों के जो हक हैं, उन पर एक प्रकार से आघात करना होगा। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक वहां का नया चुनाव नहीं हो जाता, तब तक उन सदस्यों को यहां पर बैठने और यहां की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रहना चाहिये।

श्री राजकृष्ण बोस (ओडिशा: जनरल): सभापति महोदय, अभी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बारे में जो प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया गया है, वह कामयाब

[श्री राजकृष्ण बोस]

नहीं होना चाहिये। इसका कारण यह है कि 15 अगस्त के बाद सिर्फ इतना ही हुआ है कि कई स्टेट्स के रूलर्स ने अपनी पावर्स जो उनके हाथ में पहले थीं, छोड दी। यह सब स्टेट्स इण्डियन यूनियन में मर्ज हो गए। लेकिन इसके साथ कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली के मेम्बरों का जो चुनाव हुआ था, उसका तो अन्त नहीं हुआ, अगर हम ऐसा करने जायेंगे तो हमें मेम्बरों को छोड़ देना पड़ेगा, या तो कहना पड़ेगा कि उनको इस असेम्बली में हाजिर होने का कोई हक नहीं है। ऐसा करने से मैं समझता हूं कि इस दरमियान में जब तक वह सीज कर जायेंगे, और नये इलैक्शन्स न होंगे, इस दरमियान में उन स्टेट्स के कोई प्रतिनिधि इस असेम्बली में नहीं रहेंगे। कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली के कोई कानून में ऐसा नहीं है जिससे हम इस वक्त उनको कह सकते हैं कि वह यहां हाजिर नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि जो इलैक्शन हुआ है वह इलैक्शन जारी रखा जाये। ऐसा मैं चाहता हूं, क्योंकि उड़ीसा स्टेट्स के जो 80 लाख आबादी के प्रतिनिधि आए हैं, वे यहां की कार्यवाही में शामिल रहें। उस समय जो रिप्रेजेन्टेटिव्ज हुए थे वे राजा की तरफ से चुने होने पर भी अभी मर्जर के बाद वे सब तो लोगों के प्रतिनिधि हो गए, क्योंकि राजा लोग तो सीज कर गए। इनको कोई अख्तियार नहीं रहा। आइन्दा के लिए कहा जाता है कि नया इलैक्शन होना चाहिए और कहा जाता है कि इसलिये जरूरी है कि राजा लोग सीज कर गये, तो उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनके साथ समाप्त हो गये; ऐसा मैं नहीं समझता।

***मि. तजम्मुल हुसैन** (बिहार: मुस्लिम): मेरी तुच्छ सम्मति में तो आपके सामने केवल यही प्रश्न है कि उन माननीय सदस्यों को उस समय उचित रूप से नामजद किया गया था या नहीं और यह भी कि वे जिन प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं वे अब भी भारतीय संघ के अन्तर्गत हैं या नहीं। यदि इन दो बातों को स्वीकार किया जाता है तो मेरे विचार से इन सदस्यों को इस सभा की सदस्यता से पृथक करने का कोई अधिकार नहीं है।

***अध्यक्ष:** मैं समझता हूं कि नियम तथा व्यवस्था के विषय के समान इस विषय को नहीं निपटाया जा सकता है। वे सदस्य इस सभा के वास्तविक सदस्य हैं और जब तक वे पद-त्याग न करें या पृथक न किये जायें, वे इस सभा के सदस्य रहेंगे। यदि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिससे उनको पृथक करना आवश्यक हो तो उस अभिप्राय से कार्यवाही की ही जायेगी। परन्तु जब तक वह कार्यवाही न की जाये, वे इस सभा के सदस्य रहेंगे।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर** (मद्रास: जनरल): श्रीमान् जी, मैं निम्न प्रस्ताव पेश करता हूं:

''चूंकि वर्तमान समय में विधान-परिषद् में बंगाल के 19 प्रतिनिधि (15 जनरल और 4 मुस्लिम) हैं;

और चूंकि यह व्यवस्था सम्राट की सरकार के 3 जून सन् 1947 ई. के वक्तव्य के पैरा 14 के अनुसार की गई थी और विधान-परिषद् ने अपने 25 जुलाई सन् 1947 के प्रस्ताव द्वारा पश्चिमी बंगाल की तत्कालीन सीमाओं के आधार पर इसकी पुष्टि की थी;

और चूंकि उक्त तारीखों के बाद सीमा सम्बन्धी कमीशन के निर्णय के आधार पर पश्चिमी बंगाल की सीमायें फिर से निर्धारित की गई;

और चूंकि उन पुनर्निर्धारित सीमाओं के आधार पर पश्चिमी बंगाल को विधान-परिषद् में 21 सदस्य (16 जनरल और 5 मुस्लिम) भेजने का अधिकार है;

अत: यह निश्चय किया जाता है कि आकस्मिक रूप से रिक्त हुये स्थानों की पूर्ति के लिये जो पद्धति निर्धारित की गई है, उसके अनुसार वर्तमान पश्चिमी बंगाल से 2 और सदस्य (1 जनरल और 1 मुस्लिम) भेजने की व्यवस्था की जाये।''

श्रीमान् जी, प्रस्ताव काफी लम्बा है और स्वयं ही व्याख्यात्मक है। आरम्भ में जब कि कल्पित विभाजन किया गया था, यह आशा की गई थी कि पश्चिमी बंगाल की जनसंख्या 1 करोड़ 90 लाख होगी, इसलिये 15 स्थान जनरल और 4 मुस्लिम के नियुक्त किये गये थे। बाद में जब कि रेडक्लिफ निर्णय हुआ, यह विदित हुआ कि प्रदेशों के मिला देने से पश्चिमी बंगाल की आबादी 2 करोड़ 10 लाख तक बढ़ गई। इसलिये अब दो सदस्य और बढ़ाने की आवश्यकता हुई, क्योंकि 1 करोड़ 90 लाख से जनसंख्या 2 करोड़ 10 लाख हो गई और वह दोनों सम्प्रदायों की बढ़ी; मुसलमानों की भी और गैर मुसलमानों की भी। यह प्रस्ताव एक और जनरल स्थान और एक मुस्लिम स्थान के बढ़ाने का विचार उपस्थित करता है। मैं सभा के समक्ष इस प्रस्ताव को पेश करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यह स्वीकार किया जाये।

***अध्यक्ष:** मि. नजीरुद्दीन अहमद ने एक संशोधन की सूचना दी है।

***श्री बालकृष्ण शर्मा:** श्रीमान् जी, क्या आपने यह घोषित कर दिया कि प्रस्ताव पेश हो चुका है?

***अध्यक्ष:** जी हां, प्रस्ताव पेश हो चुका।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद** (पश्चिमी बंगाल: मुस्लिम): श्रीमान् जी, मैं संशोधनों को पेश करने की आज्ञा चाहता हूं। वे एक ही प्रकार के हैं और परस्पर सम्बन्धित हैं। उनको साथ-साथ पेश करना चाहिये और साथ ही साथ उन पर विचार होना चाहिये।

श्रीमान् जी, मैं पेश करता हूं कि:

"1. प्रस्ताव के पैरा 2 में 'तत्कालीन सीमाओं के आधार' शब्दों के स्थान में 'तत्कालीन सीमाओं के अन्तर्गत जनसंख्या के आधार' रख दिये जायें।

2. प्रस्ताव के पैरा 4 में 'और चूंकि उन पुनर्निर्धारित सीमाओं के आधार पर पश्चिमी बंगाल को' शब्दों के स्थान में 'और चूंकि वर्तमान समय में निर्मित पश्चिमी बंगाल को जनसंख्या के आधार पर' शब्द रख दिये जायें।"

श्रीमान् जी, यद्यपि संशोधन केवल मसविदा से सम्बन्ध रखते हैं, फिर भी मैं उन्हें महत्वपूर्ण समझता हूं। मूल प्रस्ताव में दिया हुआ है कि पुनर्निर्धारित सीमाओं के आधार पर और सदस्यों का निर्वाचन किया जाये। मेरा संशोधन इस बात का स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न करता हैं कि प्रस्तावित जनसंख्या के बढ़ने का आधार सीमायें नहीं हैं वरन् जनसंख्या है। सीमाओं में परिवर्तन होने के कारण जनसंख्या अब बढ़ गई, इसलिये जनसंख्या ही मुख्य आधार होना चाहिये और मैंने इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि संशोधन मसविदा सम्बन्धी है, परन्तु वे उस सिद्धान्त की मूल तक पहुंचते हैं जिस पर कि सदस्यों के बढ़ाने की मांग की गई है। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन पेश करता हूं।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव और दोनों संशोधन पेश किये जा चुके हैं। यदि कोई सदस्य कार्यवाही में भाग लेना चाहता है तो वह ले सकता है।

श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर: श्रीमान् जी, संशोधनों को मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करता हूं। मेरे मित्र भाषा को और अधिललित बनाना

चाहते हैं। वे पश्चिमी बंगाल की सीमाओं के अन्तर्गत आबादी को आधार बनाना चाहते हैं। यद्यपि शब्द-विन्यास ''तत्कालीन सीमाओं के आधार'' है परन्तु आशय यही था। भाषा को और भी ललित बनाने के लिये मैं संशोधनों को स्वीकार करता हूं।

***अध्यक्षः** अब मैं संशोधनों पर मत लूंगा जिनको कि प्रस्तावक महोदय ने स्वीकार कर लिया है।

संशोधन स्वीकार किये गये।

***अध्यक्षः** अब मैं संशोधित प्रस्ताव पर मत लेता हूं।

संशोधित प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

पूर्वी पंजाब का अतिरिक्त प्रतिनिधित्व

***अध्यक्षः** मुझे पूर्वी पंजाब के सम्बन्ध में एक और प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। उसकी सूचना विगत रात्रि को ही दी गई थी और इसलिये उस पर यथेष्ट ध्यान नहीं हो सका। यदि सभा को कोई आपत्ति न हो तो मैं उसे लेना चाहूंगा और उसे भी पास कराना चाहूंगा, क्योंकि पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब के प्रस्ताव न्यूनाधिक एक ही आधार पर आश्रित हैं।

क्या मैं यह समझ लूं कि सभा को कोई आपत्ति नहीं है?

***अनेक माननीय सदस्यः** कोई आपत्ति नहीं है।

***अध्यक्षः** ज्ञानी गुरुमुखसिंह मुसाफिर प्रस्ताव पेश करेंगे।

ज्ञानी गुरुमुखसिंह मुसाफिर (पूर्वी पंजाब): *[अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्न प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं:

"चूंकि पूर्वी पंजाब का विधान-परिषद् में इस समय प्रतिनिधित्व 6 जनरल, 4 मुसलिम और 2 सिख द्वारा होता है;

और चूंकि यह व्यवस्था सम्राट की सरकार के 3 जून सन् 1947 ई. के वक्तव्य के पैरा 14 के अनुसार की गई थी और विधान-परिषद् ने

[ज्ञानी गुरुमुखसिंह मुसाफिर]

अपने 25 जुलाई, सन् 1947 ई. के प्रस्ताव द्वारा पूर्वी पंजाब की तत्कालीन सीमाओं के आधार पर इसकी पुष्टि की थी,

और चूंकि उक्त तारीखों के पश्चात् सीमा सम्बन्धी कमीशन के निर्णय के अनुसार न केवल पूर्वी पंजाब की फिर से सीमायें ही निर्धारित की गई हैं, वरन् जनसमूह के स्थानान्तरगमन के कारण, मुसलमानों का पूर्वी पंजाब से पश्चिमी पंजाब को गमन और गैर मुसलमानों का पश्चिमी पंजाब से पूर्वी पंजाब को गमन करने से जनसंख्या का पूर्ण ढांचा ही बदल गया है।

और चूंकि इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप सर्वोत्तम प्राप्त अनुमानों के आधार पर पूर्वी पंजाब को विधान-परिषद् में अब 8 जनरल और 4 सिख सदस्य भेजने का अधिकार है;

यह निश्चय किया जाता है कि आकस्मिक रूप से रिक्त हुये स्थानों की पूर्ति के लिये जो पद्धति निर्धारित की गई है, उसके अनुसार वर्तमान पूर्वी पंजाब से 2 और जनरल तथा 2 और सिख सदस्यों के भेजने की व्यवस्था की जाये।"]

साहिबे सदर, इस मोशन का मतलब यह है कि वेस्ट पंजाब के गैर मुस्लिमों को पाकिस्तान की आइनसाज असेम्बली में जो नुमायन्दगी हासिल थी वह अब यहां मिलनी चाहिये। यानी इंडिया की आइनसाज असेम्बली में वेस्ट पंजाब के मेम्बर बढ़ाये जायें। मेरा ख्याल है कि इस पर किसी को ऐतराज न होगा। इस मोशन के अलफाज बिल्कुल साफ हैं, ''कि जो लोग ईस्ट पंजाब में वेस्ट पंजाब से माइग्रेट करके आये हैं उनको यहां पूरा रिप्रजैन्शन दिया जाये।" जो हिन्दू और सिख वेस्ट पंजाब की असेम्बली में मेम्बर थे उनको एक आर्डिनेंस के मातहत इजाजत मिल गई है कि वह ईस्ट पंजाब की असेम्बली में बैठ सकते हैं, यानी इस उसूल को मान लिया गया है। यहां के मुताल्लिक अब सिर्फ एक सवाल रह जाता था कि जिस पर हमने गौर किया, वह चार या पांच की तादाद का सवाल था। इस वक्त पाकिस्तान की कान्स्टीट्युयेंट असेम्बली में वेस्ट पंजाब के पांच मेम्बर हैं। तीन जनरल (हिन्दू) और दो सिख। इस वक्त जो मौशन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, इसमें चार सीटों का मुतालवा है दो जनरल और दो सिख। मेरी तो अब भी जाती राय यह है कि पांच सीट्स ही मिलनी चाहिये, जो पाकिस्तान की आइनसाज असेम्बली में वेस्ट पंजाब को मिली हुई हैं, यानी तीन जनरल और दो सिख

आनरेविल मिनिस्टर ऑफ ला की सदारत में आइनसाज असेम्बली के प्रेसीडेंट साहब ने एक सब-कमेटी बनाई थी। इसमें सदर के अलावा हम चार मेम्बर और थे। कल सुबह इसकी मीटिंग करके गौर किया गया और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि पांच ही मेम्बर इधर लेने चाहियें। मगर बाद में कैलकुलेट करने पर शक हो गया कि शायद हम पांच मेम्बर आबादी के लिहाज से इधर न ले सकें। वैसे तो बिल्कुल साफ है कि वेस्ट पंजाब से माइग्रेट करके सब हिन्दू-सिख इधर आ गये हैं और जो बाकी हैं, वह भी आने वाले हैं। वेस्ट पंजाब में उनकी तादाद 45 लाख से भी ज्यादा थी; यानी 45,7231। अगर इसका लिहाज किया जाये तो पांच ही मेम्बर हो सकते हैं। इसके अलावा सूबा सरहद, सिन्ध और बिलोचिस्तान से भी कुछ हिन्दू-सिख ईस्ट पंजाब में आये हैं। मगर चूंकि इस वक्त अंदाजा आबादी का नहीं लग सकता, इसलिये हमने इस पर एग्री किया कि चार ही सीट बढ़ा दी जायें। इसके बाद कैलकुलेट करने से अगर ज्यादा आबादी हुई तो फिर गौर किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कम से कम मुतालबा, जो इस शकल में हाउस के सामने पेश किया गया है, उसको मंजूर किया जायेगा।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। यदि कोई संशोधन रखना चाहता है, या बोलना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है।

***श्री बी. दास** (उड़ीसाः जनरल): श्रीमान् जी, मेरे मित्र झानी गुरु-मुखसिंह मुसाफिर ने जो अभी प्रस्ताव रखा है, उसे पढ़ने के पश्चात् आज प्रातःकाल ही मैंने उसके स्थान में एक और प्रस्ताव भेजा है। मैं उसे समझ सकता था, यदि वे उस जनसंख्या की पूर्ण समस्या को लेते जो कि पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में आई है। मैंने उनके प्रस्ताव में संशोधन करने की सूचना दी है, परन्तु पुनः विचार करने पर मैं उसे पेश नहीं करना चाहता हूं। परन्तु फिर भी मैं माननीय अध्यक्ष तथा सभा के विचारार्थ कुछ बातें रखना चाहता हूं। एक बड़ी जनसंख्या पाकिस्तान छोड़कर भारतीय उपनिवेश में प्रवेश कर चुकी है। पूर्वी बंगाल, सिन्ध तथा पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत से बहुत से लोग स्थानान्तर गमन कर चुके हैं। मेरे माननीय मित्र केवल पश्चिमी पंजाब वालों का प्रतिनिधित्व चाहते हैं। लोग संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और यहां तक कि बम्बई, राजपूताना और दिल्ली में भी पहुंचे हैं। यदि हम इन लोगों की उपेक्षा करें तो यह उचित नहीं होगा। इस सभा के लिये यह विचार करना उपयुक्त होगा कि वह उन हिन्दू तथा सिख सदस्यों के लिये, जिनका निर्वाचन पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत सिंध, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब से विधान-परिषद् के

[श्री बी. दास]

लिये हुआ था, इस बात का निश्चय करे कि उनको इस सभा में भाग लेने का अधिकार रहे या न रहे। यदि उनको भागे हुये हिन्दू या सिखों के प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, तब तो जैसा कि मेरे मित्र ने सुझाया है, निर्वाचन की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसके अतिरिक्त यदि हम उनके सुझाव को स्वीकार भी कर लें, तो 8 जनरल और चार सिख सदस्यों का चुनाव पूर्वी पंजाब में आये हुये हिन्दू और सिखों की संख्या के हिसाब से बहुत अधिक है। और इससे हमारी समस्या भी नहीं सुलझती। हमने सुना है कि पूर्वी बंगाल से दस लाख से पन्द्रह लाख तक जनता पश्चिमी बंगाल में पहुंच गई है। हम जानते हैं कि पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत में बहुत कम हिन्दू तथा सिख रह गये हैं। हमारे माननीय मित्र मेहरचन्द्र खन्ना आजकल इसी शहर में शरणार्थी हैं। यह सभा सीमाप्रांत के हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिये उनको ही अधिकार क्यों नहीं दे देती? इसी प्रकार हमें विदित है कि हमारे मित्र जैरामदास दौलतराम जिनका सिन्ध प्रांत से निर्वाचन हुआ था, दिल्ली में एक शरणार्थी या एक मंत्री के रूप में हैं। वे उचित रूप से सिंधी शरणार्थियों का प्रतिनिधित्व क्यों न करें?

पूर्वी बंगाल की समस्या और भी कठिन है। लोगों ने बड़ी-बड़ी संख्याओं में स्थानान्तर गमन आरम्भ कर दिया है। गत रात्रि मुझे मेरे एक मित्र ने कहा कि पूर्वी बंगाल से 5 लाख शरणार्थी पश्चिमी बंगाल में आ गये हैं। यदि पाकिस्तान की यही नीति रही, तो हो सकता है कि हिन्दुओं की समस्त जनसंख्या पश्चिमी बंगाल में आ जाये। इस जनसंख्या के सम्बन्ध में हमें विचार करना है। यह जानना है कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब से आये हुये शरणार्थियों के प्रतिनिधियों के मन में विधान के सम्बन्ध में, जिसे हम पास करने जा रहे हैं, क्या है। हम उनको प्रतिनिधित्व देने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो बात रखी गई है उसका आशय मताधिकार तथा नये सदस्यों की योग्यता से है। मैं निवेदन करूंगा कि मेरे माननीय मित्र का प्रस्ताव तब तक स्थगित किया जाये, जब तक कि अध्यक्ष महोदय पाकिस्तान के क्षेत्रों से निर्वाचित उन समस्त सदस्यों के लिये इस सभा के सदस्य होने तथा वाद-विवाद में पूर्वानुसार भग लेने के लिये कोई मार्ग न खोज निकालें।

***श्री जयपाल सिंह** (बिहार: जनरल): अध्यक्ष माहोदय, सभा के समक्ष जो प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं तीव्र विरोध करता हूं। मैं उसे संकटपूर्ण, अपकारी

तथा साम्प्रदायिक समझता हूं। उसमें अनोखा तर्क है और वह साधारण गणितज्ञान से शून्य है। यह तर्क उपस्थित किया गया है कि प्राप्त हुये सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार 2 और जनरल तथा 2 और सिख सदस्य बढ़ा दिये जायें, तथा प्रस्ताव के वाक्यखंड में हमें बताया गया है कि वर्तमान प्रतिनिधित्व 6 जनरल, 4 मुसलमान और 2 सिखों का है। मैं अपने माननीय मित्र से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने यह क्यों नहीं सुझाया कि मुसलमान प्रतिनिधियों को कम कर दिया जाये? यह पहला प्रश्न है। यदि मुसलमान पूर्वी पंजाब को छोड़ चुके हैं और अन्यत्र चले गये हैं, तो उनके तर्क के अनुसार–उस तर्क के आधार पर जो उन्होंने सिख और हिन्दुओं के पक्ष में उपस्थित किया है–वास्तव में वही तर्क इस ओर भी लागू होना चाहिये। मैं कहता हूं कि श्रीमान्, जी, यह संकटपूर्ण है। मेरे मित्र श्री दास ने अभी बताया है कि अखिल भारतीय आधार पर इसे विचारना चाहिये और हमें अनिश्चित आधार पर कार्य नहीं करना चाहिये। समस्त देश में जनगणना होनी चाहिये। मेरे प्रांत बिहार को ही लीजिये। यह हम कैसे जानें कि हमें और प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है? बिहार में पूर्वी बंगाल या पश्चिमी पंजाब से या अन्य स्थानों से कितने मनुष्य आये हैं? मैं नहीं समझता कि ऐसे अनुमानों पर हम कार्य कर सकते हैं। वे केवल अनुमान ही हैं। यह परिषद् केवल जनगणना के अंकों को ही स्वीकार कर सकती है। जब तक समस्त भारत की जनगणना न की जाये और जब तक कि हम मुसलमानों की यथार्थ संख्या न जानें और प्रत्येक प्रांत में जो उनकी संख्या में परिवर्तन हुआ है, उसे न जान लें या अन्य लोगों के परिवर्तन को न समझें–मैं नहीं समझता कि तब तक इस सभा का इस प्रस्ताव को स्वीकार करना बृद्धिमत्तापूर्ण होगा। मैं इस प्रस्ताव को अपकारी तथा साम्प्रदायिक समझता हूं।

***दीवान चमनलाल** (पूर्वी पंजाब: जनरल): श्रीमान् जी, यदि अभी-अभी बोलने वाले मेरे माननीय मित्र का भाषण न होता तो मैं इस प्रस्ताव पर नहीं बोलता, उन्होंने अंकों को निराधार बताया और यह कहा कि क्रमबद्ध गणना है ही नहीं। परन्तु मुझे शंका है कि उन्होंने स्टियरिंग कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा ही नहीं, जो कि उनके समक्ष है। रिपोर्ट के अनुसार.....

***श्री जयपाल सिंह:** मुझे वह रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

***दीवान चमनलाल:** यदि मेरे माननीय मित्र के पास वह रिपोर्ट नहीं है, तब तो मैं यह भली प्रकार समझ सकता हूं कि वे उस कारण को बिना समझे हुये,

[दीवान चमनलाल]

जिसने कि सभा के समक्ष इस प्रस्ताव को रखने का प्रोत्साहन दिया, बोलने के लिये क्यों खड़े हुये।

श्रीमान् जी, स्थिति यह है। हमारे पास क्रमबद्ध गणना है। काल्पनिक विभाजन के अनुसार इस ओर मुसलमानों की संख्या 30.8 लाख, सिखों की 20.1 लाख और जनरल 50.6 लाख थी। रेडक्लिफ निर्णय के पश्चात अंकों में थोड़ा परिवर्तन हुआ। 30.8 लाख मुसलमानों के स्थान में वह संख्या 40.4 लाख हो गई, 20.1 लाख सिखों के स्थान में 20.3 लाख हो गई और 50.6 जनरल 50.9 लाख हो गई। कुल जनसंख्या 102.6 लाख है। तत्पश्चात् हमारे ऊपर मुसीबत आई और प्रत्येक हिन्दू तथा सिख, सिवाय उनके जो कि कुछ बीहड़ स्थानों में रहे, पश्चिमी पंजाब से पूर्वी पंजाब में आया। इन मनुष्यों की संख्या 22.5 लाख जनरल और 16.7 लाख सिख है। यह लाहौर और मुलतान इलाकों की संख्या है और ये जनगणना की ठीक संख्यायें हैं; यद्यपि मैं स्वयं तो उस आधुनिक वृद्धि के फलस्वरूप जो कि जनगणना के पश्चात् हुई। इसमें 7 प्रतिशत की वृद्धि और करना चाहूंगा; अत: स्थिति यह है कि 120.6 लाख जनसंख्या में से 40.4 लाख मुसलमानों को छोड़कर 80.2 लाख हिन्दू तथा सिख पूर्वी पंजाब में रहे और इसके अतिरिक्त 40.92 लाख सिख और जनरल और आ गये। जो लोग लाहौर, रावलपिंडी और मुलतान के इलाकों से आये वे सामान्यत: पूर्वी पंजाब में ही रहे। उसका कुछ भाग दिल्ली पहुंचा और एक सूक्ष्म अंश अन्य विभिन्न केन्द्रों को गया। परन्तु एक बड़ा भाग अब भी पूर्वी पंजाब में है जिसने कि पंजाब परिषद् में चुने गये सदस्यों को वोट दी थी। वोट देने वाले अब भी वर्तमान हैं इसलिये उन्हें और प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकार है। यही सिद्धांत इस प्रस्ताव का पृष्ठपोषक है। इस कारण तर्क सम्मति से तो हमें जनसंख्या के अनुसार 4 या 5 स्थानों की मांग करनी चाहिये, फिर भी अनावश्यक पासंग पैदा न होने देने के कारण हमने चुनाव के लिये 2 सिख और 2 जनरल सदस्यों की मांग से ही संतोष कर लिया। यह क्यों है कि हम आपके सामने इस प्रस्ताव के रूप में अपने लिए विधान-परिषद् में 4 और प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का अधिकार दिये जाने की प्रार्थना कर रहे हैं? आपको विदित होगा कि ऐसा आर्डिनेंस पास किया गया था जिसके द्वारा पश्चिमी पंजाब की धारा सभा के सदस्य, जिन्होंने अपने स्थान पश्चिमी पंजाब में रिक्त कर दिये थे, पूर्वी पंजाब में अपने स्थान ग्रहण कर सकते हैं। उसी सिद्धांत पर हम निर्वाचन क्षेत्रों में दोनों सिख तथा जनरल जनगणना के बढ़ जाने पर प्रकाश

डालते हुये आपसे प्रार्थना करते हैं कि अब हमें 4 और प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाये। जो संख्यायें हमने ली हैं है वे रेडक्लिफ सीमा सम्बन्धी कमीशन की संख्यायें हैं। प्रान्तों की वर्तमान संख्याओं का रेडक्लिफ कमीशन की संख्याओं से मिलान करने पर हम इस परिणाम पर पहुंचे कि वृद्धि की सूरत है।

***श्री जयपाल सिंह:** एक वैधानिक आपत्ति है। उन्होंने अपने तक के आधार पर मुसलमानों की संख्या को क्यों नहीं घटाया?

***दीवान चमनलाल:** रिपोर्ट के उपरान्त पैरा में आपको निम्न बात मिलेगी:

> ''अत: तत्काल ही हम पर एक कठिनाई आ पड़ी कि उन चार मुसलमान सदस्यों का किस प्रकार विचार किया जाये जो कि अब भी विधान-परिषद् के सदस्य हैं, यद्यपि हमको यह बताया गया था कि वे विधान-परिषद् के गत अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुये जब कि वह औपनिवेशिक धारा सभा के रूप में कार्य कर रही थी और न वे आने वाले अधिवेशनों में उपस्थित होने का विचार रखते हैं।''

मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि हम इस विषय को वर्तमान रूप में ही रहने दें। सम्भव है कि भविष्य में आपको परिवर्त्तन करने के लिये विवश होना पड़े, अर्थात जब कि एक सदस्य विधान-परिषद् के अधिवेशनों की एक निश्चित संख्या तक उपस्थित नहीं होता तो वह स्वत: ही अपने स्थान को रिक्त कर देता है। क्योंकि अभी ऐसा कोई नियम नहीं है, अत: हम ऐसे आदेश से लाभ नहीं उठा सकते हैं। इस विषय में जो हमने क्रियात्मक उपाय सोचा है, वह यह है कि 4 स्थानों को रहने दिया जाये और पूर्वी पंजाब में आबादी की वृद्धि पर प्रकाश डालते हुये अन्य स्थानों की वृद्धि कर दी जाये और मैं आशा करता हूं कि सभा इसे स्वीकार करेगी और न केवल उनके लिये जो कि दूसरी ओर अपना सर्वस्व खो चुके हैं, वरन् उनके लिये जो इस ओर आ गये हैं उचित विचार करेगी जिससे कि वे अपने विचार आपके समक्ष रख सकें।

***अध्यक्ष:** लम्बे वाद-विवाद का अन्त करने के लिये मैं उस पद्धति पर वक्तव्य दूंगा, जिसका इस विशेष प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसरण किया गया है। यह विषय स्टियरिंग कमेटी के समक्ष आया और उसने यह अनुभव किया कि इस विषय को एक छोटी कमेटी के समक्ष इन अंकों का निरीक्षण करने के लिये रखना

[अध्यक्ष]

आवश्यक है। यह कमेटी डॉ. अम्बेडकर, दीवान चमनलाल, ज्ञानी गुरुमुखसिंह, श्री रफीअहमद किदवई तथा श्री अनन्तशयनम् आयंगर की बनाई गई और उन सब अंकों पर विचार करते हुये जो कि एक ओर से दूसरी ओर जनसंख्या के आने-जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुये, कमेटी ने कुछ सिफारिशें की, जिनके आधार पर कि यह प्रस्ताव सभा के समक्ष आया। इस विषय पर उस उपसमिति ने विचार कर लिया है, जिसको मैंने स्टियरिंग कमेटी की सिफारिश से नियुक्त किया था। सभा को यह अधिकार है कि वह इसे स्वीकार करे या नहीं। मैंने सोचा कि इस स्थिति को मुझे स्पष्ट कर देना चाहिये था। मुझे खेद है कि उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं घुमाई गई, केवल प्रस्ताव ही घुमाया गया। यदि वह रिपोर्ट सदस्यों के सम्मुख होती, तो बहुत-सा वाद-विवाद कम हो जाता, परन्तु ऐसा नहीं हो सका; मुझे खेद है।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी** (आसाम: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को अभी असामयिक समझता हूं। एक बार यदि आप इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेंगे तो आप पश्चिमी बंगाल या अन्य स्थान के लोगों को यह अधिकार प्रदान करने में विवश हो जायेंगे। उदाहरणस्वरूप शरणार्थियों की एक बड़ी संख्या दिल्ली में भी आई है। क्या आप दिल्ली के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने के लिये तैयार हैं? इसी प्रकार शरणार्थियों की एक बड़ी संख्या बम्बई भी पहुंची है। क्या आप इस सभा में उनके प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने पर विचार करने के लिये तत्पर हैं? श्रीमान् जी, यद्यपि यह बात सबको विदित नहीं होगी, परन्तु यह सत्य है कि बहुत से लोग पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल और आसाम तक भी पहुंच गये हैं। यदि आप इस बात को मान लेते हैं तो क्या उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिये? श्रीमान् जी, एक माननीय सदस्य मि. खलीकुज्जमां ने संयुक्त प्रान्त के निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़ दिया और पाकिस्तान गये क्या उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिये? इसलिये मैं कहता हूं कि यदि आप इस आधार पर और अधिक प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं कि लोग अन्य प्रान्तों से आ गये हैं, तो अन्य लोगों के सिलसिले में जो कि प्रान्त छोड़ चुके हैं, प्रतिनिधियों की कमी होनी चाहिये। अत: इस सबके लिये व्यवस्था की आवश्यकता है और जब तक वह व्यवस्था समस्त प्रतिनिधित्व में नहीं की जाती, माननीय सदस्य द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

***बेगम ऐजाज रसूलः** (संयुक्त प्रान्तः मुस्लिम): श्रीमान जी, जिस रिपोर्ट का आपने अभी उल्लेख किया, मुझे खेद है कि मैं उसका अध्ययन नहीं कर सकी क्योंकि वह मुझे पत्रों में नहीं मिली। मैं इसलिये आपसे निवेदन करूंगी कि आप कृपा कर इस महत्वपूर्ण विषय पर वाद-विवाद को तब तक स्थगित कर दें, जब तक कि सदस्यों को नियमों के इन संशोधनों की पेचीदगियों का अध्ययन करने का अवसर न मिले।

श्रीमान् जी, यह सत्य है कि लोगों की एक बड़ी तादाद पूर्वी पंजाब से पश्चिमी पंजाब को गई है। इसी तरह गैर मुस्लिमों की एक बड़ी तादाद पश्चिमी पंजाब से पूर्वी पंजाब में आई है। उनको इस सभा में नुमाइन्दगी मिलनी चाहिये और जहां तक इस मजमून का ताल्लुक है, यह बिल्कुल ठीक मांग है और मैं समझती हूं कि यहां कोई भी उससे इन्कार नहीं करता है। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी देखना है और अच्छी तरह गौर करना है कि कितने लोग पंजाब के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को गये और वहां बस गये। हर शख्स जानता है कि गैर मुस्लिम सिर्फ पूर्वी पंजाब को ही नहीं गये, बल्कि वे यू.पी., दिल्ली प्रान्त तथा और जगह भी गये। इस वक्त हालत बड़ी नाजुक है। किसी संशोधन को इस सभा में पास करने के पहले इन सब विषयों को सन्दर्भ सहित एक साथ लेना पड़ेगा। इसलिये मैं आदर-पूर्वक आपसे विनय करूंगी कि किसी आगे आने वाली तारीख तक इन विषयों पर विचार किये जाने को स्थगित कर दें, जिससे कि हमें यह ठीक-ठीक मालूम हो जाये कि पूर्वी पंजाब में बसने वाले लोगों की क्या तादाद है और जो लोग पश्चिमी पंजाब वापस जाते हैं, उनकी क्या तादाद है और सदस्यों को भी जब तक कमेटी की रिपोर्ट पर गौर करने का मौका मिल जाये। मैं आशा करती हूं कि मेरा यह सुझाव मंजूर कर लिया जायेगा और इस विषय पर विचार करना आगे आने वाली तारीख तक स्थगित कर दिया जायेगा।

(पंडित ठाकुरदास भार्गव मंच पर आये।)

***अध्यक्षः** मैं माननीय सदस्य से यथाशक्ति संक्षेप में बोलने के लिये निवेदन करूंगा।

पं. ठाकुरदास भार्गवः जनाब प्रेसीडेंट साहब, अभी एक तजवीज बेगम साहिबा ने पेश की है कि इस मामले को पोस्टपोन कर दिया जाये और इसकी वजह यह बयान की है कि कुछ हिस्सा आबादी का वैस्ट पंजाब में बाकी है और

[पं. ठाकुरदास भार्गव]

कुछ देहली आया हुआ है और कुछ यू.पी. में। लिहाजा इस वक्त इस मामले पर गौर न किया जाये। चन्द बजृ दीगर दोस्तों ने दिये हैं कि चूकि कुछ आबादी बिलोचिस्तान और सिन्ध से भी आई है, उनको भी रिप्रजेन्टेशन दिया जाये। यह बात सही है कि सब नये आने वालों को रिप्रजेन्टेशन का हक है और इस तरह से आबादी की कोई तमीज नहीं की जा सकती। मैं उसका मुखालिफ नहीं हूं कि उन सबको हो जिस तरह मुमकिन हो रिप्रजेन्टेशन दिया जाये। लेकिन उस बात को याद रखना चाहिये कि इस मामले को इस तरह से देखा जाये जो यह प्रैक्टिकल है। इसमें शक नहीं कि वैस्ट पंजाब से 40 लाख के करीब इन्सान ईस्ट पंजाब में और उन इलाकों में गये हैं और गवर्नमेंट का यह फैसला हो चुका है कि जितने मुसलमान मशरकी पंजाब में हैं, सबके सब वैस्ट पंजाब चले जायें और हिंदू सिख जो मगरबी पंजाब में हैं वे मशरकी पंजाब में आ जायें। अब हिंदुओं और सिखों का सवाल है। उनके लिये नहीं कहा जा सकता कि सही सही तादाद क्या है और जो यहां देहली में आये हुये हैं या यू.पी. में आ गये हैं, वह दोनों जगह पांच-पांच लाख से कम हैं। लेकिन चूंकि रिप्रजेन्टेशन 5 लाख से कम पर नहीं मिलता है और पांच लाख से ज्यादा पर मिलता है, इसलिये ईस्ट पंजाब में जो आबादी आई है उसको तो कम से कम जरूर रिप्रजेन्टेशन मिलना चाहिये। और देहली और यू.पी. में जो आज मौजूद हैं यह भी ईस्ट पंजाब में चले जायेंगे। इसलिये मैं अर्ज-करूंगा कि उनके रिप्रजेन्टेशन दी जाने को मुल्तवी करना या रिप्रजेन्टेशन उनको न देना सख्त बेइन्साफी होगी। यह भी आप समझ सकते हैं कि जो लोग यहां आये हैं वे राजी खुशी नहीं आये हैं और गवर्नमेंट ने एक्सचेन्ज आफ पौपुलेशन को उसे फेलवकौल से मंजूर भी कर लिया है। लिहाजा मैं गवर्नमेंट से और मेम्बरान से बहुत अदब से कहूंगा कि आप इस मामले को प्रेक्टिकल निगाह से देखिये और इस हक से उन लोगों को महरूम न कीजिये। उन लोगों को जिन्हें आज रिफ्यूजी कहा जा रहा है, उनका यूनियन में और कान्स्टीट्यूशन बनाने में उतना ही हक है जितना कि आप लोगों का। लिहाजा जिस तरह 10 लाख की आबादी पर रिप्रजेन्टेशन आपने बाकी आबादी हिंद यूनियन को दिया है, इस तरह से वैस्ट पंजाब से जो आबादी उखड़ कर आई है, उसको भी सही मानों में रिप्रजेन्टेशन दें, ताकि वह विधान बनाने में हिस्सा ले सकें। इसलिये मैं अमैंडमैंट की बहुत जोर से ताईद करता हूं।

***अध्यक्षः** क्या और वाद-विवाद करने की आवश्यकता है? मेरे विचार से तो यथेष्ट वाद-विवाद हो गया।

***श्री मिहिरलाल चट्टोपाध्याय:** (पश्चिमी बंगाल: जनरल): श्रीमान् जी, मैं केवल यही निवेदन करूंगा कि जो सिद्धान्त पूर्वी पंजाब के लिये माना जाये वही पश्चिमी बंगाल के लिये भी माना जाये। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है कि पूर्वी बंगाल से लगभग 10 लाख व्यक्ति पश्चिमी बंगाल में आये हैं। यहां इस प्रस्ताव में पश्चिमी पंजाब से पूर्वी पंजाब को स्थानान्तर गमन के आधार पर अतिरिक्त स्थान निश्चित किये जा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि पश्चिमी बंगाल के लिये भी इसी सिद्धान्त का अनुसरण किया जाये और पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल में लोगों के आ जाने के कारण आबादी की वृद्धि पर विचार करते हुये एक और स्थान उसे भी दिया जाये। कुछ समय पूर्व ही हमने पश्चिमी बंगाल को दो और सीट देने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। पर वह सीमा सम्बन्धी रेडक्लिफ निर्णय के आधार पर था। यदि स्थानान्तरित जनसंख्या के प्रश्न पर पश्चिमी पंजाब के मामले में विचार किया जाता है, तो मैं निवेदन करता हूं कि उसी रूप में बंगाल पर विचार करना चाहिये और उसी सिद्धान्तानुसार पश्चिमी बंगाल को एक और सीट दी जानी चाहिये।

***नवाब मुहम्मद इस्माइल खां:** जनाब सदर, जो लोग वैस्ट पंजाब से आये हैं और जो अभी और आने वाले हैं और माइग्रेट करेंगे उनकी सही तादाद का इल्म अब एक नहीं हो सका है और यह भी नहीं मालूम हो सका है कि ईस्ट पंजाब की आबादी कितनी होगी। जब सही-सही फिगर्स मालूम हो जायेंगी तो उस वक्त रिप्रजेन्टेशन बिल्कुल सही-सही हो सकता है। लिहाजा मैं अर्ज करूंगा कि इसको थोड़े दिनों के लिऐ मुल्तवी कर दिया जाये।

***अध्यक्ष:** अब मैं प्रस्तावक महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे उत्तर दें।

ज्ञानी गुरुमुखसिंह मुसाफिर: साहिबे सदर, मैं इस मामले को बहुत साधारण समझता था। इसलिए मैंने इस मामले को पेश करते हुये जो तकरीर की वह भी बहुत साधारण थी। मैं अब भी यह समझता हूं कि यह बिल्कुल सीधी साधी बात है। हमारे एक आनरेबल मेम्बर साहब ने इस पर ऐतराज किया है कि यह सेक्टेरियन तजवीज है। सिर्फ मेरी दाढ़ी को देखकर आप इसको अगर सेक्टेरियन समझते हैं तो यह अलहदा बात है, वरना इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर दो हिंदू और दो सिख सीटों का मुतालबा करने से कोई तजवीज फिरकेवाराना हो सकती है तो अभी मिस्टर आयंगर ने वैस्ट बंगाल के लिए एक रिजोल्यूशन पेश किया, जिसमें

[ज्ञानी गुरुमुखसिंह मुसाफिर)

एक हिंदू और एक मुस्लिम सीट बढ़ाने का मुतालवा था। इसको आपने सेक्टेरियन नहीं समझा। ईस्ट पंजाब की मुस्लिम सीटों को हटाने के बारे में जो कुछ कहा गया है, उस पर मुझको कोई ऐतराज नहीं है। इस वक्त पंजाब का एक खास मामला है। मुझे यह बात कहनी पड़ती है कि ''जिस तन लागे वही जाने, कौन जाने पीर पराई'' पंजाब जख्म खुर्दा और मुसीबत जदा है। पंजाब के लोग जिन्होंने मुसीबतें उठाई हैं और जिनकी प्रौबलेम्स गवर्नमेंट के सामने हैं, उनको हल करने में वही मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आखों से ये सब बातें देखी हैं। अभी बेगम साहिब और नवाब साहिब ने जो इल्तवा का सवाल उठाया है, मैं समझता हूं कि इस सवाल का इस वक्त पोस्टपोन करना पंजाबियों के दिल को दुख पहुंचाना होगा। इसलिए मैं हाउस से अपील करूंगा कि मेरे मोशन को मंजूर कर लिया जाये। इस तरह की नुमायन्दगी बढ़ाने से उन लोगों को जिन्होंने तकलीफें उठाई हैं, बहुत इमदर्दी मिलेगी। यही नहीं बल्कि इससे हमारी गवर्नमेंट को जो रोजाना तकलीफें उठानी पड़ रही हैं, उनमें किसी कदर कमी हो जायेगी। हमारे मिनिस्टर्स को किसी वक्त छुट्टी नहीं मिलती, न दिन को आराम है और न रात को चैन। इसकी वजह यह है कि पंजाब से आये हुये लोगों की दास्तान इस कदर असर रखती है कि जिसको सुनकर इंसान परेशान हो जाता है। सर जफरुल्ला साहब ने यू. एन. ओ. में कहा कि मेरा घर जलाया गया है, उसका घर तो शायद जलाया गया है कि नहीं, मैं नहीं जानता। मगर हां, वैस्ट पंजाब के हजारों नहीं बाल्कि लाखों ऐसे हैं जिनकी मिसालें पेश की जा सकती हैं। उनमें से कोई यू.एन.ओ. में होता तो बताता कि किस तरह कहीं पर उनको बुरी तरह मारा और लूटा गया है, कहीं पर उनके घर जलाये गये हैं, कहीं उनकी बहू बेटियां भगाई गई हैं और इसी तरह बहुत-सी बातें हैं, जो बयान नहीं की जा सकती हैं। अभी नवाब साहब ने फरमाया है कि चूंकि पौपुलेशन का सही अन्दाजा नहीं हो सकता, इसलिए इस मामले को कुछ दिनों के लिए मुल्तवी कर दिया जाये। मैं समझता हूं और मुझे यकीन है कि इस वक्त इल्तवा का सवाल नहीं है, बल्कि पंजाब के मामलों को सुलझाने का सवाल है। पंजाब में जिन लोगों पर सख्त मुसीबत आई है, उनमें कांग्रेस के बहुत बड़े-बड़े काम करने वाले और जमींदार लोग भी थे, जिनके घर जलाये गये, जिनको जान से मारा गया। वह थे कैमलपुर के सरदार जसवन्तसिंह, गुजरात डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसिडेण्ट सरदार हुकूमत सिंह लाम्बा, गुजरानवाला कांग्रेस के सदस्य लाला निरंजन दास बंगा एडवोकेट।

***अध्यक्षः** मैं माननीय सदस्य के भाषण में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता था।

***नवाब मुहम्मद इस्माइलः** मेरा हरगिज यह मतलब नहीं था। क्या मालूम सरदार जी क्या समझे हैं और क्या उनको गलतफहमी हुई। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि चूंकि पौपुलेशन का एक्सचेंज नहीं हुआ है, इसलिए इसको अभी थोड़े अरसे के लिए मुल्तवी कर दिया जाये।

***अध्यक्षः** माननीय सदस्य को सभा के समक्ष प्रस्ताव पर सीमित रहना चाहिये।

ज्ञानी गुरुमुखसिंह मुसाफिरः मैंने नवाब साहब का जो फरमान था, उसको गलत नहीं समझा। मैं इसके मुताल्लिक कहूंगा कि मेरे थोड़े पंजाबी भाई देहली में आये हैं और दूसरी जगह भी गये हुये हैं, लेकिन वह अपने घर की तरफ ही देख रहे हैं और वहीं जाना चाहते हैं। जहां-जहां पंजाबी गये हैं, वहां उनकी तकलीफों का खात्मा नहीं हुआ। अलवर और भरतपुर से वापस हो रहे हैं। देहली से धक्के खाकर वापस होने की सोच रहे हैं। पटियाला और दीगर रियासतों से भी कई वापस जायेंगे। कई जगहों ने ज्यादा पंजाबियों के लेने से इन्कार कर दिया है। यहां माननीय पंत जी बैठे हैं; आप उनसे मालूम कर सकते हैं कि वह कितने पंजाबियों को अपने यहां यू.पी. में मुस्तकिल तौर पर ले सकते हैं। लिहाजा यह सवाल इस जगह पर मान लेना चाहिये कि ईस्ट पंजाब का मुतालबा बिल्कुल ठीक है। साहिबे सदर, मैंने आपकी विसातत से इस रेजुलेशन को पेश किया है, और मुझको उम्मीद है कि हाउस इसको मंजूर करेगा।

***अध्यक्षः** अब मैं प्रस्ताव पर वोट लूंगा। कोई संशोधन नहीं है।
प्रस्ताव है किः

''चूंकि पूर्वी पंजाब का विधान-परिषद् में इस समय प्रतिनिधित्व 6 जनरल, 4 मुस्लिम और 2 सिख द्वारा होता हैः

और चूंकि यह व्यवस्था सम्राट-सरकार के 3 जून सन् 1947 ई. के वक्तव्य के पैरा 14 के अनुसार की गई थी और विधान परिषद् ने अपने 25 जुलाई सन् 1947 ई. के प्रस्ताव द्वारा पूर्वी पंजाब की तत्कालीन सीमाओं के आधार पर इसकी पुष्टि की थी,

[अध्यक्ष]

और चूंकि उक्त तारीखों के पश्चात् सीमा सम्बन्धी कमीशन के निर्णय के अनुसार न केवल पूर्वी पंजाब की फिर से सीमायें ही निर्धारित की गई हैं, वरन् जनसमूह के स्थानान्तर गमन के कारण मुसलमानों का पूर्वी पंजाब से पश्चिमी पंजाब को और गैर मुस्लिमों का पश्चिमी पंजाब से पूर्वी पंजाब को गमन करने से जनसंख्या की पूर्ण रूपरेखा ही बदल गई है,

और चूकि इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप सर्वोत्तम प्राप्त अनुमानों के आधार पर पूर्वी पंजाब को विधान-परिषद् में अब 8 जनरल और 4 सिख सदस्य भेजने का अधिकार है,

यह निश्चय किया जाता है कि आकस्मिक रूप से रिक्त हुये स्थानों की पूर्ति के लिये जो पद्धति निर्धारित की गई है उसके अनुसार वर्तमान पूर्वी पंजाब से 2 और जनरल तथा 2 और सिख सदस्यों के भेजने की व्यवस्था की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

नियमों में संशोधन तथा परिवर्द्धन

नियम 2 तथा 3 में संशोधन

श्री बलवन्तराय गोपालजी मेहता (शेष रियासतें): *[मैं प्रस्ताव करता हूं कि "विधान-परिषद् के नियमों में निम्न संशोधनों पर विचार किया जाये:

नियम-नियम 2 में वाक्यखंड (ग) के पश्चात् निम्न नया वाक्यखंड (गग) बढ़ा दिया जाये:

"(ग ग) 'मंत्री' से आशय भारत के गवर्नर जनरल की कौंसिल के सदस्य से है।"

नियम 3-नियम 3 में निम्न व्यवस्था बढ़ा दी जाये:

"बशर्ते कि प्रत्येक मंत्री को जो कि परिषद् का सदस्य नहीं है, परिषद् में बोलने तथा अन्य प्रकार से परिषद् की और परिषद् की किसी समिति की, जिसका वह सदस्य बना दिया जाये, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, पर इस नियम के आधार पर उसे वोट देने का अधिकार नहीं है।"]

जो संशोधन मैं आपके सामने रखता हूं, यह हमने पार्लियामैंट के लिए स्वीकार कर लिया है और मैं समझता हूं कि इस उसूल को दूसरी जगह स्वीकार कर

लिया गया है, यह सभा भी स्वीकार कर लेगी। इससे हमारे कई मिनिस्टर जो इस असेम्बली के मेम्बर नहीं हैं, चुने गये हैं; उनके यहां हाजिर होने से हम उनके अनुभवों का लाभ उठा सकें। इसलिए मैं सिफारिश करता हूं आप इसको मंजूर करेंगे।

***अध्यक्षः** मैं यह मान लेता हूं कि इस प्रस्ताव का कि ''विधान-परिषद् के नियमों में निम्न संशोधनों पर विचार किया जाये'' का वास्तविक अर्थ यह है कि निम्न संशोधन किये जायें।

प्रस्ताव पेश हो चुका है। एक संशोधन की सूचना है। श्री नजीरुद्दीन अहमद अपना संशोधन पेश करें।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

''नियम 3 की प्रस्तावित व्यवस्था में से 'परिषद् में बोलने' और कार्यवाही में भाग लेने के पश्चात् अर्द्धविराम तथा 'इस नियम के आधार पर' शब्द हटा दिये जायें।"

ये अर्द्धविराम बिल्कुल अनावश्यक है।

'इस नियम के आधार पर' शब्दों के हटाने का अन्तिम संशोधन आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि व्यवस्था मंत्री की उस स्थिति से आरम्भ होती है, जब कि वह सदस्य नहीं है। जब वह सदस्य ही नहीं है तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं है यह प्रश्न कि उसका वोट इस नियम पर निर्भर है पैदा ही नहीं होता; क्योंकि हमने यह मानकर कि मंत्री सदस्य नहीं है आरम्भ किया है। इसलिये उसे वोट देने का अधिकार ही नहीं है। अतः ये शब्द अनावश्यक प्रतीत होते हैं। ये दोनों संशोधन मसविदा सम्बन्धी हैं।

***अध्यक्षः** संशोधन पेश हो चुका है। अब प्रस्ताव और संशोधनों पर बहस हो सकती है।

***मि. तजम्मुल हुसैनः** अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। यह कहा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सर्वोच्च संस्था है और वह सब कुछ बना या बिगाड़ सकती है। यह भी कहा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट यद्यपि सर्वोच्च संस्था है और वह सब कुछ बना या बिगाड़ सकती है, परन्तु फिर भी

[मि. तजम्मुल हुसैन]

वह कुछ प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्य करती है जैसे कि वह अपना उत्तराधिकारी निश्चित नहीं कर सकती है; क्योंकि जनता की यह इच्छा नहीं है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट यह निर्णय करे कि उसके पश्चात् उसका कौन उत्तराधिकारी हो। दूसरी बात यह है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिसका पालन जनता की बहुसंख्या द्वारा न हो सके। तीसरे वह लोक सभा में सदस्य होने के लिये किसी व्यक्ति को नामजद या उसका निर्वाचन नहीं कर सकती है। यह अधिकार विशेषकर जनता को ही दिया गया है। इसी प्रकार श्रीमान् जी, इसमें सन्देह नहीं कि यह सभा सर्वोच्च संस्था है और यह सब कुछ बना या बिगाड़ सकती है, परन्तु फिर भी इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के समान कुछ प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्य करना है। उदाहरणस्वरूप श्रीमान् जी, यह अपना उत्तराधिकारी निश्चित नहीं कर सकती। यह कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती, जिसका जनता की बहुसंख्या द्वारा पालन न हो सके और इसे विधान-परिषद् के सदस्य होने के लिये किसी व्यक्ति का नाम न तो नामजद करना चाहिये और न कर ही सकती है।

प्रस्ताव यह नहीं कहता है कि माननीय मंत्री जो कि सदस्य नहीं हैं, वे सदस्य बन जायें, पर वह साफ कहता है कि वे मंत्री जो कि इस महान् सभा के सदस्य नहीं हैं, इस सभा की बैठकों में उपस्थित हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, पर वोट नहीं दे सकते।

मेरा निवेदन यह है कि कुछ प्रतिबन्ध होना चाहिये। आपको कहीं न कहीं सीमित करना ही चाहिये। एक बार यदि आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि यह सभा बाहर वालों को ले सकती है और ले सकेगी, तो उसका कहीं भी अन्त न होगा, यद्यपि मंत्रियों के लिये मेरे हृदय में निःसन्देह बड़ी श्रद्धा है। इस सभा के लिये तो वे बाहर वालों के समान ही हैं।

इस समय यदि आप इस सिद्धान्त को मान लेते हैं कि हम बाहर वालों को अपने साथ बिठा सकते हैं और उनकी बातों से लाभ उठा सकते हैं, तो अन्य समय आप यह कह सकते हैं कि आप विशेषज्ञों को भी लेंगे, क्योंकि उनकी बातें भी लाभप्रद होंगी। इसमें सन्देह नहीं कि आप मंत्रियों को इसलिये चाहते हैं कि यदि उनके विभागों के सम्बन्ध की किसी बात पर वाद-विवाद हो तो उनकी राय आवश्यक होगी। मुझे लगता है कि आपको इसे कहीं न कहीं सीमित करना

चाहिये। लोक-सभा में सब सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं, एक भी नामजद नहीं होता। भारत में भी यह कानून है कि सामयिक प्रधान मंत्री उस व्यक्ति को मंत्री चुन सकता है जो कि धारासभा का सदस्य न हो। इस प्रकार वह छः मास तक मंत्री रहता है—पर उसे उस सभा में निर्वाचित हो जाना चाहिये। यदि आप माननीय मंत्रियों को इस सभा में रखना चाहते हैं, तो कुछ सदस्य क्यों नहीं पदत्याग कर स्थान रिक्त कर देते हैं। श्रीमान् जी, हम यहां पर हैं। मेरे विचार से यद्यपि मुझे पूरा विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी प्रत्येक सदस्य 10 लाख जनता का प्रतिनिधि है। सारा संसार जानता है कि इस विधान-परिषद् का जनता द्वारा चुनाव किया गया था। वे क्या कहेंगे? बाहर वालों को यहां रखकर क्या हम संसार के समक्ष विनोद की सामग्री नहीं बन रहे हैं?

श्रीमान् जी, विधान-परिषद् के गत अधिवेशन का मुझे कुछ स्मरण है कि ऐसी बात चली थी कि इस सभा में भाषण देने के लिये महात्मा गांधी को प्रेरित किया जाये और एक माननीय सदस्य ने कहा था कि यह ठीक नहीं है। श्रीमान् जी, महात्मा गांधी संसार का महानतम व्यक्ति है और हम यह मानते हैं कि सब उन्हीं के कारण है। हमारी सदस्यता उन्हीं के कारण है, सारा विधान उन्हीं के कारण है और हमारी स्वतंत्रता उन्हीं के कारण है। यदि इतने महान व्यक्ति को बुलाने की हम प्रार्थना न कर सकें तो क्या उन व्यक्तियों को जो कि उनसे बहुत निम्न श्रेणी के हैं, इस सभा में भाषण देने दिया जाये? जनतंत्र का नियम भी हमें किसी बाहर वालों को यहां आमन्त्रित करने से रोकता है।

हम यहां दलबन्दी के आधार पर कार्य नहीं कर रहे हैं, परन्तु कांग्रेस का दल देश पर शासन कर रहा है। वे बहुसंख्यक हैं। मैं कांग्रेसदल में नहीं हूं और वे अपनी वोटों से सब कुछ पास कर सकते हैं। अतः यदि यह दलबन्दी के आधार पर किया जाता है तो मैं इसे ठीक नहीं समझता हूं। जैसा कि मैंने कहा है कि हमें कहीं न कहीं उसको सीमित करना चाहिये। मैं निवेदन करता हूं कि सभा मेरा प्रस्ताव स्वीकार करे और इस प्रस्ताव को रद्द करे।

***अध्यक्षः** क्या मैं यह बता दूं कि विधान-परिषद् के गत अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें इसी बात को स्वीकार किया गया था और उस बात की केवल व्यवस्था करने के लिये ही यह प्रस्ताव पेश किया गया है। मावलंकर-कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह प्रस्ताव पास किया गया था कि

[अध्यक्ष]

उपनिवेश के मंत्रियों को जो कि विधान-परिषद् के सदस्य नहीं हैं, विधान-निर्माण-कार्य में उपस्थित होने और भाग लेने का अधिकार है और जब तक कि वे विधान-परिषद् के सदस्य न हो जायें, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। गत अधिवेशन में विधान-परिषद् ने यह स्वीकृत कर लिया था और नियमों में यह संशोधन इस समय इसलिये किया जा रहा है, ताकि वह नियमों के अन्तर्गत आ जाये। वास्तव में गत अधिवेशन में इस प्रश्न पर वाद-विवाद हो चुका है और यह स्वीकार किया जा चुका है।

***मि. तजम्मुल हुसैनः** अध्यक्ष महोदय, यदि आरम्भ में आपने मुझे यह बता दिया होता, तो सभा का समय व्यर्थ नहीं जाता।

***अध्यक्षः** मैंने सोचा कि जो कुछ गत अधिवेशन में हुआ था, उससे सदस्य परिचित है। खैर, स्थिति यही है।

***मि. तजम्मुल हुसैनः** मैं निवेदन करता हूं कि भविष्य में आप सदस्यों को यह सूचना दे दिया करें कि यह प्रस्ताव रस्मी है और हमें वाद-विवाद करने का अधिकार है या नहीं। यदि आप यह बता देते कि यह प्रस्ताव पास हो चुका है तो कोई भी सदस्य बोलने खड़ा नहीं होता।

***अध्यक्षः** क्या और कोई सदस्य बोलना चाहता है?

मैं संशोधन तथा प्रस्ताव पर वोट लूंगा।

***श्री बलवन्तराय गोपालजी मेहताः** मिस्टर नजीरुद्दीन अहमद के संशोधन को मैं स्वीकार करता हूं।

***अध्यक्षः** मिस्टर नजीरुद्दीन अहमद का संशोधन प्रस्तावक को ग्राह्य है। मैं समझता हूं कि सभा संशोधन को स्वीकार करती है।

संशोधन स्वीकृत हुए।

***अध्यक्षः** अब संशोधित प्रस्ताव पर मत लिया जाता है।

प्रस्ताव अपने संशोधित रूप में पास हुआ।

अतिरिक्त नियम 5क और 5ख

***श्री पी. गोविन्द मेनन** (कोचीन): अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैं पेश करने जा रहा हूं, उसका अभिप्राय यह है कि भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों की अगर

कोई जगह इस सभा में आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाये, तो उसकी पूर्ति के लिए एक विधि निर्धारित कर दी जाये। वर्तमान नियमों में, नियम नं. 5 में प्रातों तथा अजमेर-मेरवाड़ा और कुर्ग के प्रतिनिधियों की जगहें आकस्मिक रूप से रिक्त होने पर, उसकी पूर्ति के लिए एक विधि निर्धारित करने की बात रखी गयी है। इस नियम में एक कमी है। उसमें यह नहीं बताया गया है कि भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों की जगह अगर खाली हो जाये तो उसकी पूर्ति कैसे की जायेगी। मेरे नाम में जो प्रस्ताव है, उसके द्वारा नियम 5 के बाद 2 अतिरिक्त नियम नं. 5-क और 5-ख जोड़ने की बात रखी गई है, ताकि यह कमी दूर हो जाये।

इसलिए श्रीमान्, मेरा प्रस्ताव है कि:

''नियम 5 के बाद निम्नलिखित 2 नियम-5-क और 5-ख और जोड़े जायें''

''5-क-जब कि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा अन्यथा किसी तरह किसी भारतीय रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी सदस्य का स्थान सभा में रिक्त हो जाये, तो अध्यक्ष इसकी विज्ञप्ति निकाल देंगे और सम्बन्धित भारतीय रियासत के शासक को लिखकर अनुरोध करेंगे कि वह निर्वाचन अथवा मनोनीतकरण द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, यथासम्भव शीघ्र रिक्त स्थान की पूर्ति की व्यवस्था करें।''

''5-ख-यदि सभा के किसी ऐसे सदस्य का स्थान रिक्त हो जाये, जो एक से अधिक भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व करता था, तो अध्यक्ष इसकी विज्ञप्ति निकाल देंगे और सम्बंधित भारतीय रियासतों के शासकों को लिखकर अनुरोध करेंगे कि वे उसी पद्धति से जिससे कि पूर्व सदस्य चुना गया था, यथा-सम्भव शीघ्र रिक्त स्थान की पूर्ति की व्यवस्था करें।''

श्रीमान्, विधि सम्बन्धी नियमों में यद्यपि इन नियमों को स्थान नहीं दिया गया है, फिर भी कतिपय नियमों द्वारा अध्यक्ष को जो अधिकार दिये गये हैं, उनके बल पर ये नियम स्थायी आज्ञाओं में शामिल हैं। प्रस्ताव द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है कि इन स्थायी आज्ञाओं को ही नियमों में शामिल कर लिया जाये।

श्री सन्तानम् के नाम में इस आशय का संशोधन है कि नियम 5-क में यह आदेश जोड़ दिया जाये: ''किन्तु शर्त यह है कि पहले जो स्थान मनोनीतकरण द्वारा भरा गया था, उसके रिक्त होने पर उसकी पूर्ति शासक निर्वाचन द्वारा करेगा।"

[श्री पी. गोविन्द मेनन]

मैं इस समय भी कह सकता हूं कि पेश किये जाने पर मैं इस संशोधन को मंजूर करूंगा; क्योंकि इससे सम्बन्धित राजा को यह मौका मिलेगा कि वे रिक्त स्थान की पूर्ति चुनाव द्वारा करें, जहां पहले मनोनीतकरण द्वारा वह स्थान भरा गया था।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव पेश हो चुका है। मुझे संशोधनों की सूचना भी मिली है। मि. नजीरुद्दीन अहमद!

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान् मैं यह संशोधन पेश करने की अनुमति चाहता हूं कि:

"पैरा 1 में 'be made part' शब्दों की जगह 'be omitted and be inserted as Rules 5-A & 5-B respectively' शब्द तथा 'amendments' शब्द की जगह 'amendment' शब्द रखे जायें।"

क्या मैं अपना दूसरा संशोधन भी उपस्थित करूं?

***अध्यक्ष:** मैं समझता हूं कि आपका पहला संशोधन अनावश्यक है, क्योंकि वे लोग प्रस्ताव के दूसरे हिस्से के मुताबिक नियमों को जोड़ने ही जा रहे हैं। अगर आप इसे उठा लें तो अपना दूसरा संशोधन पेश कर सकते हैं।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान् मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि:

"प्रस्तावित नियम 5-क में 'भारतीय रियासत के शासक' शब्दों की जगह 'रियासत के शासक' शब्द रखे जायें।"

संशोधन के अन्य अंश को मैं नहीं पेश करूंगा।

श्रीमान्, जहां तक पहले संशोधन का सम्बन्ध है, इससे नियम पर कोई असर नहीं पड़ता है। सिर्फ उसके शीर्षक पर असर पड़ता है। दूसरे संशोधन के सम्बन्ध में यह बात है कि अगर हम सिर्फ 'रियासत' शब्द रखते हैं तो उसका मतलब ही है, 'भारतीय रियासत' से। यहां 'भारतीय' शब्द अनावश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं संशोधनों को उपस्थित करता हूं।

***अध्यक्ष:** आप और हिस्से को नहीं पेश करते हैं?

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** नहीं, मैं नहीं पेश करूंगा।

***श्री के. सन्तानम्** (मद्रासः जनरल): श्रीमान्, मेरा प्रस्ताव है किः

नियम 5-क के अन्त में निम्नलिखित आदेश जोड़ दिया जायेः

''किन्तु शर्त यह है कि पहले जो स्थान मनोनीतकरण द्वारा भरा गया था, उसके रिक्त होने पर उसकी पूर्ति शासक निर्वाचन द्वारा करेगा।''

चूंकि प्रस्तावक ने खुद यह कहा है वह इसे मंजूर कर लेंगे मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई राजा यह कहेः "मैं तो निर्वाचन द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए राजी हूं, पर परिषद् ने ऐसा करने पर रुकावट डाल दी है और नियम निर्धारित कर दिया है कि मैं चुनाव द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति न करूं।" आशा है सभा इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

***अध्यक्षः** क्या कोई सदस्य इसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता है?

***श्री पी. गोविन्द मेननः** श्रीमान्, जैसा कि मैंने कहा है, मैं श्री सन्तानम् के संशोधन को मंजूर करता हूं। मिस्टर नजीरुद्दीन अहमद ने जो संशोधन रखे हैं, उनके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उनका पहला संशोधन, जिसमें कहा गया है कि ''be made part'' शब्द हटा दिये जायें, अगर मंजूर किया जाता है तो इसका मतलब यह जो जायेगा कि स्थायी आज्ञाओं में से कुछ शब्द हटाने पड़ेंगे। हमें स्थायी आज्ञाओं में संशोधन नहीं करना है। हम तो नियमों में संशोधन कर रहे हैं। स्थायी आज्ञाएं बनाते हैं, परिषद् के माननीय अध्यक्ष और मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि उनमें संशोधन किया जाये। यदि नियमों में यह रख लिया जाता है, तो सम्भवतः या तो स्थायी आज्ञाओं का रखना अनावश्यक हो जायेगा, या फिर अध्यक्ष को उनमें परिवर्तन करने पड़ेंगे।

'भारतीय रियासत' की जगह 'रियासत' शब्द रखने की जो बात कही गई है, उसके सम्बंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इन नियमों में तथा स्थायी आज्ञाओं में सभी स्थलों पर रियासतों के लिए 'भारतीय रियासतें' ही रखा गया है और मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि खास तौर पर इस नियम में ही क्यों 'भारतीय रियासतों' की जगह 'रियासतें' शब्द रखा जाये। इसलिए मैं माननीय संशोधनकर्ता से कहूंगा कि संशोधन वस्तुतः अनावश्यक है।

[श्री पी. गोविन्द मेनन]

जो प्रस्ताव मेरे नाम में है, उसके पैरा 1 के सम्बंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मेरा संशोधन स्वीकार किया जाता है, तो प्रस्ताव का पैरा नं. 1 नियमों में नहीं रहेगा। नियमों में तो सिर्फ 5-क और 5-ख को ही आप पायेंगे, इसलिए पैरा 1 के शब्दों को खूबसूरत बनाने की कोशिश बेकार होगी; क्योंकि वह नियमों में रखा ही नहीं जायेगा। वस्तुतः सभा के सामने प्रस्ताव यह है कि नियम 5 के बाद नियम 5-क और 5-ख जोड़ दिये जायें। नियम 5-क और 5-ख के सम्बन्ध में तो कोई संशोधन है ही नहीं। मैं मिस्टर नजीरुद्दीन अहमद से अनुरोध करूंगा कि वे अपने संशोधनों के लिए जोर न दें। मैं उनको नहीं मंजूर करूंगा।

***अध्यक्षः** अब मैं संशोधनों पर राय लूंगा। संशोधन के पहले अंश पर राय लेना अनावश्यक समझता हूं। देसरे हिस्से पर ही हम राय लेंगे, जो यों है...।

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** संशोधनों को मैं वापस लेता हूं।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिए गये।

***अध्यक्षः** तो फिर श्री सन्तानम् का एक मात्र संशोधन है, जिसे प्रस्तावक ने स्वीकार कर लिया है। अब श्री सन्तानम् के संशोधन पर मत लिया जाता है।

संशोधन मंजूर हुआ।

***अध्यक्षः** संशोधित प्रस्ताव पर अब राय ली जाती है।

संशोधित प्रस्ताव मंजूर हुआ।

नये अतिरिक्त नियम 38-क से 38-फ तक

***श्रीमति जी. दुर्गाबाई** (मद्रासः जनरल): अध्यक्ष महोदय, मेरे नाम में जो प्रस्ताव है मैं उसे उपस्थित करती हूं। प्रस्ताव यों है किः

''विधान-परिषद् के नियमों के सम्बन्ध में आए हुए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जायेः

नियम नं. 38 के बाद निम्नलिखित अंश जोड़ा जाये–

'प्रस्तावित नियमों द्वारा अध्याय 6 में भारतीय विधान की व्यवस्था के कानून बनाने की विधि निर्धारित की गई है। ये नियम 22 धाराओं में बंटे हैं, यानी 38-क से लेकर 38-फ तक। और इनकी दो श्रेणियां हैं'।''

इन प्रस्तावित नियमों के शब्दों पर विचार करने के पहले मैं यह आवश्यक समझती हूं कि इन नियमों के उद्देश्य को तथा इनकी सीमा क्या है, इसे समझा दिया जाये। 38-क से लेकर 38-ट तक की धाराओं में एक ऐसी समुचित विधि निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार ऐसे बिलों पर जिसके द्वारा वर्तमान विधान में जो कि इन्डियन इंडिपेंडेंस एक्ट, गृहीत गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट, या अन्य किसी आज्ञा, नियम या उसके अन्तर्गत चालू किसी अन्य नियम सम्बन्धी व्यवस्था में ये दर्ज है, संशोधन प्रस्तावित किये गये हों, विचार किया जा सके और उन्हें मंजूर किया जाये।

38-ठ से 38-फ तक की धाराओं द्वारा एक ऐसी विधि निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार नवीन भारतीय विधान को उपस्थित किया जाये, उस पर विचार किया जाये और अन्तिम रूप से उसे स्वीकार किया जाये। इस राज्य के विधान में कोई आदेश रखने के लिए कानून बनाने का अधिकार, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस सर्व-सत्ता-सम्पन्न सभा को—भारतीय विधान-परिषद् को प्राप्त है। यह विधान-परिषद् व्यवस्थापिका सभा के रूप में समवेत होकर ऐसा नहीं कर सकती। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की धारा 8(1) के आधार पर, इस सर्व-सत्ता-सम्पन्न सभा को ही यह अधिकार है कि विधान में संशोधन की व्यवस्था रखने के लिए तथा अंतिम रूप से विधान स्वीकार करने के लिए यह कानून बनाए।

श्रीमान् 38-क से लेकर 38-ट तक की धाराओं में जो विधि निर्धारित की गई है, उसके द्वारा, इस आन्तरिक काल में भी हम वर्तमान विधान में संशोधन कर सकते हैं, इसके लिये नवीन विधान बन जाने तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। हम सबों ने यह देख लिया है कि नवीन विधान में संशोधन लाने के लिए यह आवश्यक है कि हम कुछ प्रगतिशील व्यवस्थायें बनायें; क्योंकि सदस्यगण जानते हैं कि ऐसी आकस्मिक आवश्यकता आ चुकी है और फिर भी आ सकती है। उदाहरण के लिये आप उसी घटना को लीजिये, जो अभी हाल में ही घटी है। एक बड़ा जनसमूह हमारे प्रदेश में बसने के लिये आ गया है। अतः चालू विधान में संशोधन कर लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो सकता है, ताकि हम विधान में अगर कोई संशोधन प्रस्तावित हो तो उसे स्वीकार कर सकें। इस तरह यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह बहुत ही आवश्यक है कि हम एक ऐसी विधि जरूर निर्धारित कर लें, जिससे कि विधान में संशोधन किया जा सके और यह न हो कि इसके लिये हमें अन्तिम विधान तक प्रतीक्षा करनी पड़े। जो विधि यहां रखी गई है उसके विस्तार पर हमें कुछ ज्यादा नहीं कहना है,

[श्रीमती जी. दुर्गाबाई]

क्योंकि यह करीब-करीब वैसी ही है जिसे कि हम साधारणत: कानून बनाने में बरतते हैं।

अब मैं 38-ठ से 38-फ तक के नियमों पर आती हूं। इसके द्वारा एक विधि प्रस्तावित की गई है, जिसके अनुसार भारत के नवीन विधान को पेश किया जाये, उस पर विचार हो और अन्तिम रूप से उसे स्वीकार किया जाये। जैसा मैं कह चुकी हूं, ऐसी व्यवस्था बनाने का एकमात्र अधिकार इस सर्व-सत्ता-सम्पन्न सभा को ही प्राप्त है। और इस व्यवस्था द्वारा भारतीय विधान-परिषद् नवीन विधान पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगायेगी। सदस्यों ने देख ही लिया है कि धारा 38-ठ से नवीन विधान को उपस्थित करने के लिए प्रस्ताव रखने की अनुमति आवश्यक नहीं रह गई। इस व्यवस्था का कुल उद्देश्य यह है कि सारी बातें सरल हो जायें और नवीन विधान को स्वीकार करने की कार्रवाई हम शीघ्रता से कर सकें। इसलिए नवीन विधान पर विचार करने की और उसे स्वीकार करने की विधि निर्धारित करने के लिये जो ये व्यवस्थायें रखी गई हैं, उसकी मुख्य-मुख्य बातों का ही मैं उल्लेख करूंगी और चाहूंगी कि संक्षेप में ही इसे समाप्त कर दूं।

जो विधि अपनाई गई है वह संक्षेप में यह है। अवश्य ही कुछ जरूरी बातों में यह उस पद्धति से भिन्न है, जिसे हमने वर्तमान विधान में संशोधन रखने वाले बिलों पर विचार करने के लिये रखी है। तीन बातों में यह उससे भिन्न है। भिन्नता की पहली बात तो यह है कि उससे नवीन विधान को उपस्थित करने के लिये प्रस्ताव रखने की अनुमति आवश्यक नहीं रही। कोई भी सदस्य 5 दिनों की सूचना देकर विधान उपस्थित कर सकता है। इस तरह देर न हो पायेगी। एक और जरूरी बात में यह भिन्न है वह बात यह है कि नियम 38-द में यह कहा गया है कि विधान के पेश होते ही उस पर विचार किया जायेगा और अन्तिम रूप से उसे स्वीकार किया जायेगा। इसमें समय का कोई व्यवधान नहीं रखा जायेगा। यहां सिलेक्ट कमेटी के विचार का अन्तरिम काल नहीं रखा गया है, फिर भी नियम 38-द के अनुसार हम विधान को पुन: ड्राफ्टिंग कमेटी को वापस भेज सकते हैं, अगर अध्यक्ष ऐसा चाहें। अध्यक्ष विधान को संशोधित रूप में ड्राफ्टिंग कमेटी के पास किसी शाब्दिक अनुवर्ती अथवा नियम सम्बन्धी संशोधन के लिये या हाशिये में नोट जोड़ने अथवा खण्डों (clauses) को पुन: संख्याबद्ध करने के लिये भेज सकते हैं। यहां भी देर नहीं होने दी गई है क्योंकि यह केवल एक रस्मी बात होगी। मतलब यह है कि ड्राफ्टिंग कमेटी तो रोज बैठेगी और पुन: संख्याबद्ध करने

का काम अथवा किसी शाब्दिक या अनुवर्ती संशोधनों को ठीक करने का काम लगे हाथ तय करती जायेगी। विधान को अन्तिम रूप से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नियम 38-प में विधि निर्धारित की गई है। नियम 38 यों है:

"जब विधान सभा द्वारा स्वीकृत हो जायेगा तो वह अध्यक्ष को दिया जायेगा, जो उस पर अपना हस्ताक्षर देकर उसे प्रामाणिक घोषित करेंगे।"

माननीय सदस्यों को यह मालूम ही है कि यह सभा सार्वभौम सत्ता प्राप्त संस्था की हैसियत से समवेत हो रही है और इसलिये विधान को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के लिये इसे किसी बाहरी अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक नहीं है; बल्कि अध्यक्ष ही विधान पर अपना हस्ताक्षर देकर उसे प्रामाणिक घोषित करेंगे। यही बात हम इस नियम में पाते हैं।

एक दूसरा खंड है जिसकी चर्चा मैं यहां करना चाहती हूं। मैं 38-फ की ओर संकेत कर रही हूं। इसमें जो व्यवस्था है वह कुछ भिन्न है। यह ऐसे बिल के सम्बन्ध में है जो असेम्बली द्वारा स्वीकृत होने पर, पहले इसके कि अन्तिम रूप से वह कानून बन जाये, वह गवर्नर जनरल के पास उनकी स्वीकृति के लिये भेजा जायेगा। वर्तमान विधान में संशोधन रखने वाले बिलों में तथा अन्तिम विधान सम्बन्धी बिलों में जहां गवर्नर की स्वीकृति मिल चुकी है, हमें एक स्पष्ट अन्तर दिख रहा है।

श्रीमान्, पहले इसके कि सभा से इस प्रस्ताव को मंजूर करने की सिफारिश करती, मैं ये बातें सभा को समझा देना चाहती थी। मेरे सामने कुछ संशोधन हैं। मि. नजीरुद्दीन अहमद ने जिन संशोधनों की सूचना दी है उसमें तो केवल शाब्दिक परिवर्तन की मांग है। इसलिये इसके सम्बन्ध में मुझे बहुत नहीं कहना है। परन्तु श्री सन्तानम् के संशोधनों पर जरूर विचार करना है। मैं समझती हूं कि इन संशोधनों को प्रस्तावित करने में उनका प्रधान उद्देश्य यही है कि सारा मसला सरल हो जाये और बिना किसी विलम्ब के विधान एक और अधिक सरल पद्धति से पास हो जाये। मैं उनकी आपत्ति समझ रही हूं और मेरा ख्याल है कि वह जो विधि अपनाना चाहते हैं, वह यह है कि परिषद् के नियम 24 के अनुसार काम हो। नियम 24 में यह है कि सभा की कार्रवाई सभा के सामने या उसकी समिति

[श्रीमती जी. दुर्गाबाई]

के सामने एक प्रस्ताव द्वारा लाई जायेगी; इत्यादि, इत्यादि। मैं चाहती हूं कि संशोधन के प्रस्तावक सभा के काम को समझते। जो प्रस्ताव वह रख रहे हैं तथा जो काम हमारे सामने है, इन दोनों में भेद होना चाहिये। हम जो करना चाहते हैं वह यह है कि विधान में संशोधन करने की व्यवस्था बनाई जाये। यह बात उनके प्रस्ताव से बिल्कुल भिन्न है। साधारण बिलों के लिये भी हम एक विस्तृत पद्धति अपना रहे हैं जिसके अनुसार विल अन्तिम रूप से कानून बने, उसके पहले इसे कई जगहों से होकर गुजरना पड़ता है। अगर एक साधारण कानून के सम्बंध में यह बात सच है तो फिर जो महत्वपूर्ण कानून, यानी विधान में संशोधन करने तथा उसे पास करने का कानून, जो हमारे सामने है, उसके सम्बंध में तो यह और भी सच होगा। पहले इसके कि हम इन दोनों मामलों को, जो बड़े महत्व के हैं, तय करें हमें इनके सम्बन्ध में काफी प्रकाश डालना होगा।

इसलिये मैं समझती हूं कि ऐसी परिस्थिति में हमें एक विस्तृत पद्धति रखनी होगी और उसे अपने नियम में शामिल कर लेना होगा।

वर्तमान नियमों और स्थायी आज्ञाओं में इस तरह की विधि के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे खुशी है कि वर्तमान विधान में संशोधन लाने के लिये तथा नवीन विधान को स्वीकार करने के लिये हमने यह विधि बना ली है जो इस समय जरूरी है। समय आ गया है जबकि सारा संसार बड़े ध्यान से देख रहा है कि हमारा नवीन विधान स्वीकार होकर सामने आये। अत: हमने यह विधि बना ली है जिसके अनुसार, हम विधान का मस्विदा यहां पेश हो तो उस पर विचार करेंगे और उसे मंजूर करेंगे। इस कथन के साथ, श्रीमान्! मैं सभा से सिफारिश करती हूं कि वह मेरे प्रस्ताव को मंजूर करे!

***श्री फूलन प्रसाद वर्मा** (बिहार: जनरल): एक नियम सम्बंधी प्रश्न है, श्रीमान्! पैरा 38-फ कहता है:

> "जब ऐसा बिल जिसका जिक्र नियम 38-फ में है, परिषद् द्वारा स्वीकार हो जाता है तो उसकी एक प्रति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ गवर्नर जनरल के सामने उनकी स्वीकृति के लिए रखी जायेगी। गवर्नर जनरल जब उस पर मंजूरी दे देंगे, तो वह कानून बनेगा और गजट आफ इन्डिया में प्रकाशित किया जायेगा।"

मेरा मन्तव्य यह है उस बिल के लिये जिसे विधान-परिषद् पास कर दे, गवर्नर जनरल की स्वीकृति अपेक्षित नहीं है और जहां तक विधान-परिषद् का सम्बंध है, वहां गवर्नर जनरल का सवाल ही नहीं उठता। मेरा मत है कि इससे इस सभा की सत्ता पर आघात पहुंचता है।

***अध्यक्षः** वस्तुतः यह तो प्रस्ताव के विषय से संबंध रखने वाली बात है। क्या आपकी नियम सम्बंधी आपत्ति है? अगर माननीय सदस्य प्रस्ताव के विषय पर कुछ प्रश्न उठाना चाहते हैं, तो वह ऐसा कर सकते हैं। बतौर नियम सम्बंधी आपत्ति के यह बात नहीं उठाई जा सकती। प्रस्ताव पेश हो चुका है। श्री सन्तानम् का संशोधन इस आशय का है कि इस समस्त प्रस्ताव के बदले में एक अन्य प्रस्ताव रखा जाये। मैं उनसे कहूंगा कि वह अपना संशोधन रखें।

***श्री के. सन्तानम्:** मैं उसे पेश नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ प्रस्ताव के सम्बंध में चन्द शब्द कहना चाहता हूं।

***अध्यक्षः** तब हम दूसरे संशोधनों को लेते हैं। दूसरे संशोधनों का सम्बंध हर खण्डों से तथा उनके शब्दों से है। परन्तु पहले हमें समूचे प्रस्ताव पर ही विचार करना है कि आया ये नियम जरूरी भी हैं या नहीं।

श्री के. सन्तानमः श्रीमान्, मेरा मत है कि सारा प्रस्ताव अनावश्यक और निरुद्देश है। इसके दो भाग हैं। एक हिस्से का अभिप्राय यह है कि इन्डियन इंडिपेंडेंस एक्ट या गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट में, जैसा कि वह इन्डिपेंडेंस एक्ट द्वारा गृहीत है, संशोधन किया जा सके। मैं नहीं समझता कि यह विधान-परिषद् तब तक अस्तित्व में रहेगी, जब कि आप इस निर्धारित पद्धति का अनुसरण करेंगे। मेरा ख्याल है कि सारा काम हम दो तीन महीनों में खत्म करके यह दूकान ही उठा देंगे। फिर इस हालत में मैं नहीं समझता कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट में संशोधन करने के लिये हम कोई ऐसी पेचीदी पद्धति निर्धारित करें, जब कि इन एक्टों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अगर किसी अनुपयुक्त शब्द को बदलने के लिये आप व्यवस्था करना चाहते हैं, तो एक साधारण प्रस्ताव द्वारा भी ऐसा कर सकते हैं। जहां तक प्रस्ताव के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, जो विधान पास करने के अभिप्राय से रखा गया है, तो बात यह है कि नियम जब बनाये गये थे, तो वे विधान को मंजूर करने के लिये ही बनाये गये थे। श्रीमती दुर्गाबाई के इस कथन को कि इन नियमों के द्वारा विधान स्वीकार नहीं किया जा सकता,

[श्री के. सन्तानम्]

मैं समझने में असमर्थ हूं। जब हमने विधान-परिषद् के नियम बनाये थे, तब विधान पर विचार करने तथा उसे स्वीकार करने के ही एकमात्र विचार से बनाये गये थे। यह कैसी बात है कि आज एकाएक हमने वह अनुभव किया कि हमारे नियमों में ऐसी व्यवस्था नहीं जिसके अनुसार हम विधान को स्वीकार कर सकें। मैं नहीं समझता कि ऐसी आशंका का कोई भी आधार है। बल्कि इन नियमों के रखने का परिणाम यह हो सकता है कि अन्य नियमों द्वारा सभा ने जो सिद्धान्त स्वीकार किये हैं, उनका कोई मूल्य नहीं रह जायेगा और विधान-परिषद् ने जो कुछ भी किया है, उनका स्थान ये नियम लेंगे और इससे हम जिस वाद-विवाद को तय कर चुके हैं, उसी पर हम पुनः आ जायेंगे। जो कुछ आपने किया है उसे अगर प्रभावपूर्ण बनाना है, तो विधान के अवशिष्ट अंश के सम्बन्ध में भी हमें वही पद्धति बरतनी होगी जिसे हम बरतते आये हैं। हमें उसीके अनुसार प्रस्ताव रखना चाहिये। खण्डों पर एक-एक करके विचार करना चाहिये। बाद में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करना चाहिये और तब ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिये और उस पर विचार होना चाहिये। बहुत बहस-मुबाहिसे के बाद हमने यह पद्धति निर्धारित की थी। नियम-निर्मातृ-समिति की बैठक कई सप्ताह तक होती रही और तब कहीं उसने यह नियम बनाये। और अब कार्यवाहक समिति चन्द घंटों की बैठक के बाद यह पेचीदी पद्धति पास कर रही है और मैं तो कहूंगा कि इसकी बहुत-सी व्यवस्थाएं एकदम दोषपूर्ण हैं। उदाहरण के लिये उसी बात को लीजिये, जिसका एक सदस्य ने अभी-अभी जिक्र किया है। अर्थात् सपरिषद् गवर्नर जनरल के सामने इसे रखने की बात। मैं तो समझता था कि विधान निर्माण के लिये यह विधान-परिषद् ही क्षम है और गवर्नर जनरल को इस काम में वह न आने देगी। और बाद में एक खंड में यह कहा गया कि विधान राष्ट्रपति के सामने रखा जायेगा। किन्तु जब विधान सभा द्वारा स्वीकृत हो जाता है, तो फिर उसे राष्ट्रपति के सामने रखेगा कौन? इस काम के लिये कोई भी अधिकारी नहीं है। अतः यह सारी पद्धति दोषपूर्ण है और मुझे खेद है कि कार्यवाहक समिति ने इसे पास किया। फिर भी मैं कोई संशोधन नहीं रखना चाहता। मैं केवल यही कहूंगा कि बाद में विचार करने के लिये इसे अभी स्थगित रखा जाये।

पं. ठाकुरदास भार्गवः जनाब प्रैसीडेंट साहब, इस मोशन के बारे में जो एक तरह से दो अलहदा बातों के मुताल्लिक है, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि

तमीजें-मुजब्बजा की वजह मेरी समझ में नहीं आती। इस मोशन का एक हिस्सा जो K तक है, वह ऐसे बिल के मुताल्लिक है जो गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट या इन्डिपेन्डेंस एक्ट से ताल्लुक रखता है और दूसरा हिस्सा कांस्टीट्यूशन के मुताल्लिक है। जो पहला हिस्सा है, जो K तक है, उसके बारे में मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि मैं यह नहीं समझता कि जो डोमीनियन लेजिस्लेचर को इन बिल्स के मुताल्लिक जो गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट अमेंडमेंट या इन्डिपेन्डेंस एक्ट अमेंडमेंट के मुताल्लिक हैं, क्यों अख्तियार नहीं है। कान्स्टीट्युयेंट असेम्बली इस खास वजह से वजूद में आई कि हिंदुस्तान के अन्दर कान्स्टीटूयूशन बने। इसलिये यह ख्याल किया जाता मालूम होता है कि चूंकि सिर्फ कान्स्टीट्युयेंट असेम्बली एक सावरेन बाडी है और सिर्फ एक ही ऐसी बाडी है जो गवर्नमेंट आफ इंडियां और इन्डिपेंडेन्स एक्ट के मुताबिक कन्सीडर कर सकती है। जहां तक सावरेन्टी का ताल्लुक है, मैं समझता हूं डोमीनियन लेजिस्लेचर ही एक सावरेन बाडी है और इस जरिये से इसकी हैसियत मैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि कानून साजी के लिये उसको गवर्नर जनरल की कन्सैन्ट की जरूरत होती है। बल्कि इस सैंस में कि वह कुल मजामीन के मुताल्लिक इस बात का हक रखती है कि हिंदुस्तान का कोई भी कानून बनाये, यह सावरेन है। जिस वक्त पिछली दफा डोमीनियन लेजिस्लेचर में प्रीवी कौंन्सिल की अपीलों के अख्तियारात के मुताल्लिक जिक्र हुआ, उस वक्त हमारे काबिल ला मैम्बर की यह व्यू थी कि दरअसल गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट के प्रोविजन्स को डोमीनियन लेजिस्लेचर तबदील नहीं कर सकता। लेकिन उस वक्त यही अर्ज किया गया था कि दरअसल बमूजिव कानून यह व्यू दुरुस्त नहीं है। चुनाचे इन्डिपेंडेन्स एक्ट की दफा 6 की तरफ मैं हाउस की तवज्जह दिलाना चाहता हूं, जिसके अन्दर 6(2) में इस तरह लिखा है:

> ''No law and no provision of any law made by the legislature of either of the new dominions shall be void or inopportune on the ground that it is repugnant to the law of England or to the provision of this or any existing or future Acts of Parliament of U.K. or to any order, rule or any regulation made under any such act, and the powers of the Legislature of each dominion include the power to repeal or annul any such Act, order, rule or regulation in so far as it is part of Law of the dominion.''

[पं. ठाकुरदास भार्गव]

("नये राज्यों में से किसी की व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून, या निर्मित कानून के आदेश, इस आधार पर शून्य या प्रभावहीन न होंगे कि वह इंग्लैंड के कानूनों के, अथवा इस या यू.के. की पार्लियामेंट के किसी वर्तमान या भावी एक्टों के अथवा ऐसे किसी एक के अधीन निर्मित किसी आज्ञा, नियम या अनियम के विरुद्ध हैं, और प्रत्येक राज्य की व्यवस्थापिका के अधिकारों में, ऐसे किसी एक्ट, आज्ञा, नियम या अनियम में विखण्डन या संशोधन करने का अधिकार भी सम्मिलित है।")

इसमें शक नहीं कि जहां तक कान्स्टीट्यूशनल ला का सवाल है, बहुत दफा ऐसा ख्याल किया जाता है कि किसी कान्स्टीटूयूशन को बदलने के लिये तरीका मामूल कवायद से मुख्तलिफ होता है, लेकिन मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जितने फ्लेक्सिविल कान्स्टीट्यूशन हैं, उनका यह रूल नहीं है। अगर आज कोई शख्स इंग्लैंड में कानून को तबदील करना चाहे तो उसके लेजिस्लेटिव को अख्तयार है कि क्लीयर मेजौरिटी से हाउस आफ कामन्स उसे तबदील कर सकता है। इस तरह से डोमीनियन लेजिस्लेचर कान्स्टीट्युयेंट असेम्बली की एक पैरेलल बाडी है। मुझे इसके मुताल्लिक इतना अर्ज करना है कि कान्स्टीट्युयेंट लेजिस्लेचर को हर सूरत में इन्डिपैन्डेंट एक्ट में तबदीली करने का पूरा हक हासिल है। अभी एक मैम्बर साहब ने अर्ज किया था कि कांस्टीट्युयेंट असेम्बली के किसी कानून के लिये गवर्नर जनरल के कन्सैन्ट की जरूरत नहीं होनी चाहिये। अगर 38 K की रू से गवर्नर जनरल की रजामन्दी की जरूरत लाजमी करार दी जाये तो जो कवायद इन एक्टों की तरमीम के मुताल्लिक बनाये गये हैं, उनमें और मामूली कानून में जो डोमीनियन लेजिस्लेचर को बनाने का हक है, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं रहता है। चूंकि सारी ऐसी तरमीमों के लिये गवर्नर जनरल की कन्सैन्ट इतनी ही लाजमी करार दी गई है जैसी कि आयन्दा दूसरे बिल्स के वास्ते लाजमी है। तो मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि किस रूल के मातहत इसमें और डोमीनियन लेजिस्लेचर की पावर्स में तमीज की जाती है। कहा जा सकता है कि चूंकि कान्स्टीट्युयेंट असेम्बली के अख्तियारात में यह तरमीम की जाती है, इसलिए इसे हक है। मैं अदब से अर्ज करूंगा कि ऐसा कानून नहीं है। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहां लेजिस्लेचर हर एक किस्म के एक्ट की तरमीम मामूली तरीके से करती है। इसलिये मैं अदब से अर्ज करूंगा, जहां तक डोमिनियन लेजिस्लेचर के हकूक का सवाल है, वहां कोई वजह नहीं है कि ऐसे बिल्स का जो गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट या इंडिपेंडेंट एक्ट की तरमीम के मुताल्लिक हों, क्यों न इस

लेजिस्लेचर को हक दिया जाये जो कि वह जिस तरह चाहें तबदील कर सकें। जो आम बिल होते हैं और जो कि बिल होंगे, उनकी इस किस्म के नौइयत में कतई किसी किस्म का कोई फर्क नहीं होगा। इसलिये मेरी अदब से गुजारिश यह है कि जहां तक 38K का ताल्लुक है, इस हाउस को ऐसे मंजूर नहीं करना चाहिये। बल्कि हमें करार देना चाहिये कि डोमीनियन लेजिस्लेचर ही ऐसी बाडी है जिसके अन्दर इस किस्म का बिल आ सकता है और तरमीम किया जा सकता है। जहां तक कान्स्टीटूयूशन का सवाल है वह अलहदा सवाल है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा कान्स्टीट्यूशन इस तरह से अमल में नहीं आ रहा है जिस तरह से और जगहों पर यानी रिवोलूशन के बाद। हमारी नई गवर्नमेंट रिवोलूशन के बाद नहीं बनी, बल्कि यह एक कांस्टीट्युएन्ट बाडी है। हमने बहुत कानून पहले जमाने से वुरसा में पाये हैं। हम इसके वुरसे की असरात से दूर नहीं हो सकते। हम जानते हैं कि देश के कान्स्टीट्यूशन के लिये किसी गवर्नर की कन्सैंट की जरूरत नहीं है और न होनी चाहिये। दीगर हर किस्म के कानून के लिए हम एक उसूल को मान चुके हैं कि गवर्नर जनरल की रमामन्दी गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट और इन्डिपेन्डैंट एक्ट में चेंज के लिए जरूरी है। तो दफा 6 यह जाहिर करता है कि डोमीनियन लेजिस्लेचर को पूरा हक है और किसी तरह यह बाजिव नहीं है कि कोई ऐसी तमीज की जाये कि गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट में कोई तरमीम करनी हो, तो वह लेजिस्लेचर न कर सके और कान्स्टीटूयूशन में कान्स्टीटूयुयेंट असेम्बली ही करे। दर-असल दोनों बाडी सावरेन हैं और जहां तक बिल का ताल्लुक है या गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट और इंडिपेन्डैंट एक्ट की तरमीम का ताल्लुक है, दोनों को पूरा अख्तियार है। मैं यह भी न कहूंगा कि कान्स्टीट्युयेंट असेम्बली हर तरह से सावरेन नहीं है। क्योंकि कान्स्टीट्युयेंट असेम्बली अगर कोई बिल पास करना चाहे जिसका ताल्लुक कान्स्टीट्यूशन से हो, तो कान्स्टीट्युयेंट असेम्बली को कोई हक नहीं है कि सिवाय कान्स्टीट्यूशन के और कोई बिल पास कर सके। इस तरह जैसा हमारे प्राहम-मिनिस्टर साहब ने एक मौके पर कहा था कि हमारी कान्स्टीट्युयेंट असेम्बली मामूली बिल नहीं पास कर सकती, इसलिये मेरी अदब से गुजारिश यह है कि इन्डिपैन्डैंट एक्ट और गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया एक्ट की तरमीम का ताल्लुक है, डोमीनियन लेजिस्लेचर को तरमीम का हक होना चाहिये। और कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसकी रू से डोमीनियन लेजिस्लेचर को इस हक से महरूम किया जाये। इन अलफाज के साथ मैं अर्ज करूंगा कि जहां तक 38K का ताल्लुक है, वहां उसके पास करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसी तरमीम डोमीनियन लेजिस्लेचर के

[पं. ठाकुरदास भार्गव]

अख्तियारात को जहां कम करती है, वहां गवर्नर जनरल की रजामन्दी लाजिमी करार देकर कान्स्टीटूयुयेंट असेम्बली के शान व वकार को कम करती है।

***अध्यक्ष:** अब सभा समाप्त होती है और 2.30 पर पुन: समवेत होगी।

इसके बाद सभा दोपहर $2^{1}/_{2}$ बजे तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनोपरान्त दिन के 2।। बजे अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में सभा पुन: समवेत हुई।

***श्री आर.के सिधवा:** अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं।

परिचय-पत्रों की पेशी और रजिस्टर पर हस्ताक्षर

***अध्यक्ष:** एक सदस्य ऐसे हैं, जिन्हें अपना परिचय-पत्र पेश करके रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना है:

निम्नलिखित सदस्य ने अपना परिचय-पत्र पेश किया और रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया:

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (संयुक्त प्रान्त: जनरल)।

नियमों में संशोधन तथा परिवर्द्धन

नियम 38-क से 38-ट तक को जोड़ना–(जारी)

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्य प्रान्त और बरार: जनरल): ताकि बहस मुबाहिसे का काम जल्दी खत्म हो जाये, मैं यह जानना चाहता हूं, कि इस प्रश्न पर विवाद करने के लिए यह सभा सक्षम है अथवा दूसरी सभा इस पर विवाद कर सकती है। गवर्नर जनरल को इंडिपेंडेंस एक्ट से अलग नहीं किया जा सकता और इस विषय पर सभा विचार नहीं कर सकती।

***अध्यक्ष:** नियम सम्बंधी जो प्रश्न उठाया गया है, उसके सम्बंध में मैं कह सकता हूं कि यह बात बिल्कुल साफ है कि यह सभा इस मसले पर विचार कर सकती है।

मौलाना हसरत मोहानी (संयुक्त प्रान्तः मुसलिम): जब कि यूनियन का कान्स्टीट्युशन पेश किया गया, तो उस वक्त बहस के बाद यह तय हुआ कि इसके पहले के तीन क्लाजों का कंसिडरेशन पोस्टपोन कर दिया जाये। लेकिन इसको पोस्टपोन करने के सिलसिले में जितनी बातें कही गई हैं और जो डिसकशन हुआ है, मैं देखता हूं कि आपके यहां जो प्रोसीडिंग्स छपी हुई हैं, वह सब इसमें बिल्कुल ओमिट कर दिया गया है। मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि यह ओमिशन जानबूझकर है यह गलती से।

अध्यक्षः मौलाना, मैं ठीक-ठीक नहीं समझ सका कि क्या छोड़ दिया गया है।

मौलाना हसरत मोहानीः इसमें मुख्तलिफ क्लाजों के अमेंडमेंट में उस वक्त बहस के बाद यह तय किया गया कि आपने जो यह चीज उठाई है वह रखी जायेगी। पं. जवाहर लाल नेहरू ने यह भी कहा थाः I will produce a modified constitution afterwards at the next meeting of the Constituent Assembly.

आपके यहां जो रिपोर्ट छपी है, उसमें 30 क्लाजें हैं जिनमें वह सब दिया हुआ है लेकिन पहले तीन क्लाज के मुताल्लिक जो बातें हुई थीं और जैसा डिसकशन हुआ था, उसका इसमें कहीं जिकर नहीं है, इसकी वजह मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूं।

अध्यक्षः आप मेहरबानी करके जो कुछ आपको कहना है, लिखकर दे दीजियेगा। क्योंकि यह बात दरियाफ्त तलब होगी और मैं तब देखूंगा कि क्या बात है।

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** श्रीमान्, मेरा कहना है कि 38-क से 38-ट तक के नियमों का इस सभा द्वारा स्वीकृत होना कोई जरूरी नहीं है। मैं ऐसा नहीं समझता कि इस सभा को इस मसले पर विचार करने का अधिकार नहीं है। इसे इस मसले पर विचार करने का पूरा अधिकार है। किन्तु जहां तक इस सभा का सम्बन्ध है, विधान-निर्माण सम्बन्धी काम से ही इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। मैं कहूंगा कि दूसरी सभा, जहां तक सभा के कानून-निर्माण सम्बन्धी पहलू का

[श्री नजीरुद्दीन अहमद]

ताल्लुक है, इस पर विचार करने में पूर्णतः सक्षम है। व्यवस्थापिका सभा में एक पहले के वाद-विवाद के प्रसंग में इसका जिक्र आया था, किन्तु इस प्रश्न पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। पं. भार्गव की राय से सहमत होते हुए मैं यह कहूंगा कि जहां तक गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट में परिवर्तन की बात है, यह काम आगामी 31 मार्च तक इंडिपेंडैंस एक्ट की धारा 9(1)(ग) के अनुसार गवर्नर जनरल द्वारा किया जा सकता है। इस हालत में गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट में संशोधन करने के लिये जल्दबाजी से कोई व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं है। और फिर इंडिपेंडैंस एक्ट की धारा 5(9) के अन्तर्गत गवर्नर जनरल को 31 मार्च तक इसका अधिकार है। जहां तक इस सभा का कानून-निर्माण सम्बन्धी स्वरूप अर्थात व्यवस्थापिका सभा के सक्षम होने की बात है, मेरा कहना है कि इंडिपेंडैंस एक्ट की धारा 6(1) के अन्दर उस सभा को यह अधिकार दिया गया है। वहां कहा गया है कि व्यवस्थापिका सभा को पूरा अधिकार है कि वह कानून बनाये-'3' इत्यादि, इत्यादि। धारा 6 की उपधारा (2) में यह खास तौर पर कहा गया है कि व्यवस्थापिका सभा कानून पास कर सकती है और ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इस सम्बन्ध में पास किये हुए या अब से आगे पास किये जाने वाले कानूनों को-मय आज्ञाओं, नियमों, इत्यादि के-बदलने का, उन में संशोधन करने का या उसे रद्द कर देने का अधिकार है। इस तरह धारा 6(1)(2) के अनुसार व्यवस्थापिका सभा को इस दशा में आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार है। यह बात उपधारा (2) में और भी साफ कर दी गई है, जहां कहा गया है कि –''व्यवस्थापिका के समस्त अधिकारों का प्रयोग कुछ काल के लिए विधान-परिषद् करेगी।" अतः विधान-परिषद् व्यवस्थापिका के सारे कामों को अंजाम दे रही है और धारा 6 के अनुसार व्यवस्थापिका को पूरा अधिकार है कि वह कोई कानून पास करे या ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किसी कानून, आज्ञा और नियमादि में परिवर्तन करे। इसलिए मेरा कहना है कि इस विशेष खंड को, जिसमें ब्रिटिश एक्ट या नियमादि पर विचार करने के लिए एक व्यवस्था करने की बात है, दूसरी सभा पर या यों कहिये कि व्यवस्थापिका पर छोड़ देना चाहिए; क्योंकि वह सभा खासतौर पर इसी काम के लिये है। कार्यविधि सम्बन्धी इन बातों के लिये इस सभा को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। इस सभा को जिस-लिए कि इसकी रचना हुई है, अपना सारा ध्यान विधान-निर्माण की ओर ही लगाना चाहिये, जो इसका सबसे आवश्यक काम है। मेरा ख्याल है कि विधान-निर्माण के बाद सभा का काम समाप्त हो जायेगा। इस हालत में अगर संशोधन के लिए सचमुच विधान-परिषद्

कोई व्यवस्था करती है तो यह स्मरण रहना चाहिये कि इस सभा का काम समाप्त होगा और इसके स्थान पर व्यवस्थापिका सभा काम करेगी। इसलिये इस सभा द्वारा बनाये नियम केवल अल्पकाल के लिए होंगे; उनकी कोई आवश्यकता नहीं है और उनको बनाने का मतलब है कि इस सभा पर ऐसा काम लाद देना, जिसे करना इसका काम नहीं है। मैं यह जरूर मानता हूं कि इस सभा को इसका अधिकार है, पर यें नियम बनाना इस सभा का वास्तविक कार्य नहीं है और शायद नियमों में संशोधन इसलिये किया जा रहा है कि लोगों को यह निराधार भय है कि इस सभा को इसका अधिकार नहीं है। मैं कहूंगा कि 38-क से 38-ट तक के नियमों पर विचार न किया जाये, या इन पर विचार स्थगित रखा जाये।

बाकी नियमों के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि वे आवश्यक हैं। विधान-कानून को तथा उससे सम्बन्धित अन्य बातों को सुविधापूर्वक पास करने के लिये ये नियम आवश्यक हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में मैं पं. भार्गव के सुझाव का समर्थन करता हूं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** (बम्बई: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं कतिपय उन आलोचनाओं पर प्रकाश डालने के लिये खड़ा हो रहा हूं, जो श्रीमती दुर्गाबाई के उस प्रस्ताव के विरुद्ध की गई हैं जिसमें कुछ नियमों को मंजूर करने की बात कही गई है। श्री सन्तानम् ने एक बात यह कही है कि विधान-परिषद् का नियम 24 उस काम के लिये काफी है, जिसके लिये ये नियम प्रस्तावित किये जा रहे हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि नियम 24 के सम्बन्ध में जो बात श्री सन्तानम् ने यहां कही है, उस पर उन्होंने यथेष्ट ध्यान नहीं दिया है। नियम 24 प्रस्ताव के बारे में है और कहता है कि प्रस्ताव द्वारा यह सभा कुछ भी कर सकती है। किन्तु मैं समझता हूं कि श्री सन्तानम् यह भूल गये हैं कि प्रस्ताव दो तरह के होते हैं। एक प्रस्ताव तो ऐसा होता है जिसको यहां से आगे कहीं नहीं जाना होता है और उस प्रस्ताव और तत्सम्बंधी प्रश्न पर जब यह सभा निर्णय दे देती है, तो वह यहीं समाप्त हो जाता है। और एक प्रस्ताव ऐसा होता है जिस पर यहां के बाद अन्यत्र भी विचार होता है। उदाहरणार्थ ऐसे प्रस्ताव को लीजिए जिसके द्वारा कोई बिल प्रस्तावित होता है। जब कोई बिल प्रस्ताव द्वारा उपस्थित किया जाता है और सभा उस पर अपनी स्वीकृति देती है, तो उस हालत में प्रस्ताव का काम वहीं समाप्त नहीं हो जाता। वह प्रस्ताव आगे भी जाता है और इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि प्रस्ताव की आगे की स्थिति एक निर्धारित

[माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर]

नियम द्वारा व्यवस्थित कर दी जाये। मेरा ख्याल है कि अगर श्री सन्तानम् विधान-परिषद् (व्यवस्थापिका) के नियमों को देखते, तो उन्हें यह मालूम हो जाता कि श्रीमती दुर्गाबाई द्वारा प्रस्तावित नये नियमों में जिन व्यवस्थाओं के रखने की बात है, वे उन्हीं व्यवस्थाओं के आधार पर बनायी गई हैं, जो विधान-परिषद् के नियम 24 के समान एक नियम, बल्कि यों कहिए कि एक स्थायी आज्ञा नं. 30 है, जिसकी शब्दावली भी वही है जो नियम 24 की है। एक दूसरी स्थायी आज्ञा भी है नम्बर 37 की, जिसमें बिलों की व्यवस्था है और जो कहती है कि बिलों के सम्बंध में और कौन प्रस्ताव पेश किये जा सकते हैं। इसके आधार पर नये नियमों को स्वीकार करने का जो प्रस्ताव रखा गया है, वह उस पद्धति से बिल्कुल संगत है जिसे विधान-परिषद् ने बहैसियत व्यवस्थापिका सभा के स्वीकार किया है। किन्तु बावजूद इसके, मैं समझता हूं कि अगर विधान-परिषद् अपने व्यवस्था सम्बंधी काम के लिए केवल नियम 24 का ही सहारा लेगी, तो मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है कि बड़ी ही गड़बड़ी पैदा हो जायेगी। यदि विधान-परिषद् को या व्यवस्थापिका सभा को इस बात की पूरी आजादी मिल जाये कि वह जो प्रस्ताव चाहे पेश करे, तो फिर प्रस्ताव संख्या की और उनकी विविधता की कोई सीमा न रह जायेगी। फिर तो विधान-परिषद् के किसी सदस्य को यह स्वतंत्रता है कि उठकर वह यह प्रस्ताव कर दें कि विधान पर विचार स्थगित रखा जाये और इसके रोकने के लिए कोई साधन न रह जायेगा। और फिर यह सदा आवश्यक है कि बिल के सम्बंध में और प्रस्ताव पेश करने पर रोक हो। व्यवस्थापिका सभा के नियमों में सदस्य यह पायंगे कि बिल के पेश कर दिये जाने पर तीन ही प्रस्ताव पेश किये जा सकते हैं। एक प्रस्ताव तो उस बिल को गश्त दिलाने के लिए, दूसरा प्रस्ताव उसे सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के लिए और तीसरा उसे पास करने के लिए। विधान सम्बंधी बिल को पास करने के लिए हमने जो पद्धति रखी है, उसमें से यह बात हटा दी है। विधान को गश्त दिलाने का प्रस्ताव हमने हटा दिया है, क्योंकि इससे देर होगी। एक जरूरी बात जो इस सम्बंध में ध्यान में रखने की है, वह यह है कि बिना इन नियमों को रखे बिल को और आगे की अवस्थाओं में जाने से रोकना बिल्कुल असम्भव हो जायेगा। अतः श्री सन्तानम् ने जो प्रश्न उठाया है, वह सारहीन है।

दूसरी बात जो श्री सन्तानम् ने उठायी है, वह यह है कि बिल के पास करने के सम्बंध में उस पर गवर्नर जनरल की स्वीकृति को आवश्यक करार नहीं देना

चाहिए। जैसा कि सदस्यों को याद होगा, जिस समिति ने रिपोर्ट पेश की, उसने विधान सम्बंधी काम को दो हिस्सों में बांटा। एक भाग तो भावी विधान के बनाने के सम्बंध में है, जहां इस विधान-परिषद् को अनियंत्रित अधिकार प्राप्त हैं और किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं है। न केवल गवर्नर जनरल की ही स्वीकृति अनावश्यक है, बल्कि अध्यक्ष की भी स्वीकृति जरूरी नहीं है। इस सभा द्वारा विधान के स्वीकृत हो जाने के बाद अध्यक्ष को सिर्फ यही अधिकार दिया गया है कि वे उस पर अपना हस्ताक्षर दे दें; सिर्फ यह व्यक्त करने के लिए कि अन्तिम रूप में विधान सम्बंधी यही कानून है। यहां 'स्वीकृति' शब्द अपने आम मानी में नहीं है। वर्तमान विधान सम्बंधी संशोधन के लिए गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक रखी गई है। मैं जानता हूं कि कई सदस्य हैं, जिन्हें इस बात पर दुख होता है कि ऐसी व्यवस्था रखी गई है। किन्तु मैं सभा से कहूंगा कि इस मसले पर अच्छे से अच्छे कानून विशेषज्ञों ने, जो हमें मिल सके, इस पर विचार किया और सभी इसी निर्णय पर पहुंचे कि गवर्नर जनरल की स्वीकृति का रखना न सिर्फ वांछनीय है, बल्कि आवश्यक भी है। क्यों यह आवश्यक हैं, मैं इसे समझा देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गवर्नर जनरल को आवश्यक परिवर्तनों के साथ विधान स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। और आवश्यक परिवर्तनों के साथ विधान को मंजूर करने का मतलब ही हुआ उसमें संशोधन करना। आवश्यक परिवर्तन करना या उसमें संशोधन करना इन दोनों में वस्तुतः ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही बातें एक हैं। प्रश्न यह उठता है कि अगर यह बात जरूरी है, सत्य है और अनुमति योग्य है कि गवर्नर जनरल को आवश्यक परिवर्तन करने के रूप में विधान में संशोधन करने का अधिकार दिया जाये, तो फिर इसी बात में क्या हर्ज है कि यह अधिकार उसे ऐसे एक बिल के सम्बंध में दिया जाये, जिसका उद्देश्य भी विधान में संशोधन करना हो?

***श्री के. सन्तानम्:** क्या मैं जान सकता हूं कि फिर बिल की ही आपको क्यों आवश्यकता है?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** जो बात अभी उठाई गई है, उस पर इस तरह विचार कीजिए। आखिर आवश्यक परिवर्तनों के साथ विधान को स्वीकार करने का जो अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त है वह तो 31 मार्च को समाप्त हो जायेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? उत्तर यह है। अगर 31 मार्च तक, जब तक कि आवश्यक परिवर्तनों के साथ विधान को स्वीकार करने का अधिकार लागू

[माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर]

है, हम इस स्थिति में आ गए कि हम अपने भावी विधान को पहली अप्रैल को चालू कर सकें, तो फिर हमारे सामने इसका प्रश्न ही नहीं उठता। नवीन विधान का प्रयोग सारे प्रदेश में प्रारम्भ हो जायेगा; जहां आज वर्तमान विधान लागू है। किन्तु हमें अब इस बात का निश्चय हो गया है कि कम से कम कुछ महीनों तक तो अभी भावी विधान स्वीकृत नहीं हो पाता है। अप्रैल या मई के पहले—मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकता कब तक—यह विधान पास नहीं हो पाता। 31 मार्च के बाद विधान पास होने में एक या दो महीने बीत जायेंगे। यह भी स्पष्ट है कि विधान, जो यह सभा बनायेगी या पास करेगी, वह सम्भव है, सारा एक साथ ही अमल में न आये। वह अंश-अंश करके प्रयोग में आ सकता है। निर्वाचन-क्षेत्रों की व्याख्या के लिए और आकस्मिक मामलों के लिए अन्तर्कालीन एवं पूरक व्यवस्थाएं भी बनाई जा सकती हैं। इन सब बातों में जरूर ही कुछ समय लगेगा। इसलिए आवश्यक परिवर्तनों के साथ विधान स्वीकार करने का अधिकार, जिसकी अवधि 31 मार्च को समाप्त हो जाती है, उसे जारी रखना होगा और यह काम एक बिल द्वारा ही किया जा सकता है, जिसे इसी सभा को पास करना होगा।

तब सवाल यह उठता है कि अगर आवश्क परिवर्तनों के साथ विधान को मंजूर करने के लिये गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक है, तो फिर संशोधन के लिये भी यह स्वीकृति क्यों न आवश्यक हो? अवश्य ही तर्क की दृष्टि से इसमें कोई असामञ्जस्य नहीं है। मैं यह भी बता दूं कि समिति बहुत हद तक इंडिपेंडेंस एक्ट की धारा 6 की उपधारा (3) में जो व्यवस्था है, उसी के अनुसार चली है। इस उपधारा में यह कहा गया है कि औपनिवेशिक व्यवस्थापिका द्वारा पास सभी कानूनों के लिये गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक होगी।

इस धारा का जो अभिप्राय है, उसके सम्बंध में आज निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। गवर्नर जनरल को स्वीकृति देने का अधिकार जरूर है। पर सवाल यह है कि क्या इसका मतलब यह है कि वर्तमान विधान में संशोधन रखने वाले बिल को गवर्नर जनरल की स्वीकृति के लिये सभा को उसे उनके सामने रखना ही होगा, चूंकि इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक उन्हें यह अधिकार प्राप्त है। इस सम्बंध में कोई साफ राय देने में हम असमर्थ हैं। हम यह मत रख सकते हैं कि महज इसलिये कि चूंकि धारा 6 की उपधारा (3) वर्तमान है, हम किसी संशोधनात्मक बिल को गवर्नर जनरल के सामने उनकी स्वीकृति के लिये पेश करने को बाध्य

नहीं हैं। हम समझते हैं कि बावजूद हमारे इस मत के इस सभा द्वारा स्वीकृत किसी कानून के सम्बंध में, जो स्वीकृति के लिये गवर्नर जनरल के सामने नहीं रखा गया हो, न्यायालय यह निर्णय दे सकता है और ऐसा घोषित कर सकता है कि वह अनधिकृत (ultra vires) है। और हम यह नहीं चाहते कि इस सभा द्वारा स्वीकृत कानून ऐसे संकट में पड़े। अतः केवल समधिक सावधानी के विचार से तथा यह समझकर कि इसमें कोई असंगत बात नहीं है, हमने इस अवस्था को जारी रहने दिया है। आशा है कि सभा ऐसा समझेगी कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने, जिसे यह मसला सुपुर्द किया गया था, जो कुछ भी किया है, वह नियम-संगत है। और श्री सन्तानम् ने तथा उनके बाद के दोस्तों ने जो बातें कहीं हैं, उनमें कुछ सार नहीं है।

श्री एच.वी. कामतः श्रीमान्, माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर के प्रति, जिन्हें इस सम्बंध में जैसा कि उन्होंने अभी कहा है, अच्छे से अच्छे कानूनदाओं के मेजमान होने का मौका मिला है, समुचित आदर व्यक्त करते हुये मैं यह कहने पर बाध्य हूं कि नियम 38-फ की आवश्यकता मुझे समझ में नहीं आई। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि इस सभा द्वारा स्वीकृत बिल को गवर्नर जनरल की स्वीकृति के लिये उनके सामने रखने की क्या जरूरत है।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा है कि अगर सभा को यह अधिकार हो कि वह जो भी चाहे करे, तो एक दिन कोई सदस्य यह प्रस्तावित कर देंगे कि विधान पर विचार स्थगित रखा जाये। यह बिल्कुल जायेज है। मैं समझता हूं कि कोई भी सदस्य जो ऐसा प्रस्ताव पास करा लेता है, वह विधान पर विचार जरूर स्थगित रखवा देगा। मैं समझता हूं कि हमारे नियमों में एक ऐसा भी नियम है कि यह सभा प्रस्ताव करके स्वयं अपने आपको भंग कर सकती है, बशर्ते कि प्रस्ताव को दो तिहाई या तीन चौथाई का बहुमत प्राप्त हो। या तो यह सभा सर्वसत्ता-सम्पन्न है, या फिर ऐसी नहीं है। मेरा कहना है कि इस समय कोई ही व्यक्ति और खास-कर के कोई कानून या विधानवेत्ता यह कहेगा कि यह सभा सर्वसत्ता-सम्पन्न संस्था नहीं है। और अगर यह सर्वसत्ता-सम्पन्न है, तो यह बात स्वाभाविक है कि बाहरी अधिकारी को, चाहे वह गवर्नर जनरल हो या ब्रिटिश पार्लियामेंट हो, या कोई भी क्यों न हो, यह नहीं कहा जा सकता कि इस सभा द्वारा स्वीकृत बिल पर वह अपनी स्वीकृति दे दे। इसलिये अगर हम सभी राजी हैं, और मुझे विश्वास

[श्री एच.वी. कामत]

है कि इस बात पर कि यह सभा सर्वसत्ता-सम्पन्न संस्था है हम सभी एक मत हैं, तो स्पष्ट है कि नियम 38-फ की कोई जरूरत नहीं उठती। नियम यह कहता है कि नियम 38-क में उल्लिखित बिल को इस सभा द्वारा पास होने पर गवर्नर जनरल के सामने उनकी स्वीकृति के लिये पेश किया जायेगा। अगर किसी बिल पर स्वीकृति देने के लिये या उसे प्रामाणिक बनाने के लिये गवर्नर जनरल को तसवीर में लाया जाता है तो इसका साफ मतलब यही है कि यह सभा सर्वसत्ता सम्पन्न नहीं है। अतः अगर हमें गवर्नर जनरल को यहां तसवीर में लाना है तो हम इस बिल को इस सभा में नहीं पास कर सकते हैं और ऐसे बिलों को पास करने की जगह है व्यवस्थापिका यानी यही विधान-परिषद् जो व्यवस्थापिका की हैसियत से समवेत होती है, और जहां गवर्नर जनरल उस सभा का एक अंश है।

इसलिये मैं ऐसा समझता हूं कि यह धारा नं. 38-ठ, जिससे माननीया मित्र श्रीमती दुर्गाबाई ने और नियमों के साथ प्रस्तावित किया है, वह गलत है और अगर यह मंजूर कर लिया गया तो इससे इस सभा की सार्वभौम सत्ता में कमी आ जायेगी। इसलिये मैं सभा से कहूंगा कि प्रस्ताव से यह खास क्लाज हटा दिया जाये।

मौलाना हसरत मोहानीः जनाब वाला, मेरी भी कतई राय है कि इस असेम्बली में जो चीजें पेश की जावें उसके लिये गवर्नर जनरल की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी तक हमने डोमिनियन स्टेट हासिल किया है और गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश के नुमायन्दे हैं, वह अब पब्लिक के नुमायन्दे नहीं हैं लिहाजा उनसे किसी चीज की मंजूरी की जरूरत नहीं है।

***अध्यक्षः** इस प्रस्ताव पर राय लेने से पहले मैं प्रस्तावकर्त्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह उत्तर में कुछ कहना चाहती हैं?

***श्री एम. अनन्तशयनम आयंगरः** श्रीमान्, इसके पहले मैं बीच में चन्द शब्द कहने की अनुमति चाहता हूं। माननीय डॉ. अम्बेडकर से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने के क्या परिणाम होंगे; इस पर उन्होंने सोच-विचार कर लिया है क्या? मैं इसलिये यह पूछता हूं कि क्योंकि संशोधित रूप में गृहीत गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट की धारा 32 के अनुसार गवर्नर जनरल उनके सामने पेश किये हुये किसी बिल पर चाहे तो वह स्वीकृति दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। क्या हम ऐसा समझते हैं कि जहां तक विधान में संशोधन चाहने

वाले बिल का सम्बन्ध है, गवर्नर जनरल को उस पर स्वीकृति देने या न देने का अधिकार होगा?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** गवर्नर नियमानुमोदित होगा और वह मंत्रियों की राय से काम करेगा।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगरः** दूसरी बात जिस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है वह यह है। कहा गया है कि औपनिवेशिक व्यवस्थापिका जब किसी बिल को पास करेगी तो उस पर गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक होगी। किन्तु क्या यह बात वर्तमान विधान के संशोधन के सम्बंध में भी लागू होगी? यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हम यहां बहैसियत व्यवस्थापिका सभा के नहीं बैठ रहे हैं बल्कि बहैसियत भारतीय विधान-परिषद् के जो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संस्था है। इसी कारण मैं कहता हूं कि बहैसियत अध्यक्ष के आपको यह अधिकार है। इसलिए हम यहां स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्या डॉ. अम्बेडकर यह समझते हैं कि जिस तरह कि नवीन विधान को गवर्नर जनरल के सामने रखने की जरूरत नहीं है उसी तरह वर्तमान विधान सम्बंधी संशोधन को भी गवर्नर जनरल के सामने रखने की जरूरत नहीं है?

***अध्यक्षः** इस बात का जवाब डॉ. अम्बेडकर ने अपने ढंग से दिया है। मा. सदस्य उनके उत्तर से संतुष्ट हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। अब मैं प्रस्तावकर्त्री से कहूंगा कि अगर उत्तर में कुछ कहना चाहती हैं तो कहे।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाईः** अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझती कि उत्तर में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत रह गई है, क्योंकि डा. अम्बेडकर ने कृपाकर सारी बातों पर रोशनी डाल दी है और मित्रों ने जो सवाल उठाये थे उन सबों का जवाब दे दिया है। मेरा ख्याल है कि डॉ. अम्बेडकर ने सभी सवालों पर काफी रोशनी डाल दी है और सभी बातों को साफ कर दिया है, किन्तु सदस्यों ने 38-क में उल्लिखित बिलों पर गवर्नर जनरल की स्वीकृति से सम्बंध रखने वाली व्यवस्था के सम्बंध में बहुत कुछ कहा है। डॉ. अम्बेडकर ने उस पर भी प्रकाश डाला है और मुझे इस सम्बंध में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। किन्तु मैं सदस्यों को इस तथ्य की याद दिलाना चाहती हूं कि आज हमारा शासन सन 1935 के एक्ट से चल रहा है जिस रूप में कि वह ग्रहण किया है और जिसमें अभी भी वह व्यवस्था.....।

***एक माननीय सदस्य:** किन्तु जहां तक इस विधान-परिषद् का सम्बंध है, यह बात लागू नहीं है।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** श्रीमान्, मैं समझती हूं कि इस बात से कि बिल विधान-परिषद् द्वारा पास हो गया है, उस पर गवर्नर जनरल की स्वीकृति की आवश्यकता समाप्त नहीं हो जाती, जब तक कि विधान-परिषद् इसके प्रतिकूल कोई व्यवस्था न बना दे। इसलिए अगर आप इस व्यवस्था को हटा देना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, परन्तु इसके लिए इसके प्रतिकूल एक व्यवस्था तो बना लीजिए, अन्यथा आप यों स्वेच्छाचारिता से इसे नहीं दूर कर सकते।

माननीय सदस्यों के दिमाग में जो बातें मैं बैठाना चाहती हूं, उसमें पहली तो यह है कि अगर बिना किसी रद्दोबदल के वर्तमान विधान के अन्दर गवर्नर जनरल की वर्तमान स्थिति को चालू रखना है, तो फिर उसकी राय लेनी आवश्यक है और बिल पर उसकी स्वीकृति लाजिमी है। दूसरी बात यह है कि यह जरूरी नहीं है कि इस व्यवस्था को हटा ही दिया जाये, क्योंकि गवर्नर-जनरल मंत्रियों की सलाह पर चलेगा। इन दोनों बातों के कारण यह डर नहीं है कि गवर्नर अकारण किसी बिल पर स्वीकृति देने से इन्कार करेगा। एक दूसरी सोचने की बात यह है कि दूसरी सभा के अभाव में, जो पुनर्विचार करे और कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे ठीक कर सके, इस व्यवस्था से मंत्रियों को आवश्यक होने पर और अगर अवसर की मांग हो तो बिल पर पुनर्विचार करने का मौका मिल जायेगा। अत: इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि वे बिना किसी भय के मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि उन संशोधनों पर विचार किया जाये, जो विधान-परिषद् के नियमों के सम्बंध में रखे गये हैं। बाद में मैं एक-एक करके खण्डों को लूंगा। अभी तो मूल प्रस्ताव सभा के सामने है।

प्रस्ताव मंजूर हुआ।

***अध्यक्ष:** मैं खण्डों को एक-एक करके लूंगा। सदस्यगण जहां तक हो सके, जल्द इसे देख लें क्योंकि और तीन प्रस्तावों पर विचार करना है और समय हमारे पास अधिक नहीं है।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** मैं नियम 38-क(1) को उपस्थित करती हूं!

''38-क(1) कोई सदस्य जो 'इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, 1947' के सम्बन्ध में या उसके अन्तर्गत निर्धारित किसी आज्ञा, नियम, व्यवस्था या अन्य आदेश के सम्बन्ध में अथवा इस एक्ट के अनुसार, आवश्यक संशोधनों के साथ गृहीत 'गवर्नमेण्ट आफ इंडिया एक्ट 1935' के सम्बन्ध में कोई संशोधन को प्रस्तावित करना चाहता हो, तो वह इस उद्देश्य के लिए बिल उपस्थित करने की अनुमति का प्रस्ताव पेश कर सकता है और अपने इरादे की सूचना देगा और सूचना के साथ बिल की नकल और उद्देश्य और कारणों के बारे में एक पूर्ण वक्तव्य पेश करेगा।"

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं? चंद संशोधनों को छोड़कर जिनमें छोटी-मोटी त्रुटियां सुधारने की बात है, कोई बड़ा संशोधन नहीं है। हां, मि. नजीरुद्दीन अहमद के संशोधन जरूर हैं, जिनमें यत्र-तत्र एक शब्द जोड़ने की बात कही गई है। मेरा सुझाव है, उन संशोधनों को कार्यालय के ऊपर छोड़ देना चाहिए और हमें खण्डों पर विचार शुरू करना चाहिए।

***अध्यक्ष:** मैं सुझाव रखूंगा कि ऐसे संशोधनों को जो प्रस्तावक को मान्य हों, अभी मंजूर कर लिया जाये और प्रस्ताव को संशोधित रूप में पेश किया जाये, जिससे कि उस पर वाद-विवाद न हो और शीघ्रता से यह सब समाप्त हो जाये। बजाये इसके कि परिवर्तनों के लिए संशोधनों को कार्यालय पर छोड़ा जाये, उपरोक्त सुझाये तरीके पर चलना ज्यादा अच्छा होगा। मि. नजीरुद्दीन अहमद के संशोधन के साथ पहले क्लाज का स्वरूप यह होगा:

''कोई सदस्य जो 'इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947' के सम्बन्ध में या उसके अन्तर्गत निर्धारित किसी आज्ञा, नियम या व्यवस्था के सम्बन्ध में अथवा भारत के इन्तजामी विधान द्वारा गृहीत 'गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट 1935' के सम्बनध में किसी संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहता हो, वह अपने इरादे की सूचना देगा और सूचना के साथ, इस मतलब के लिए जो बिल हो, उसकी एक नकल पेश करेगा और बिल उपस्थित करने की अनुमति का प्रस्ताव रख सकता है।"

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** मैं संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकती।

***अध्यक्ष:** तब मि. नजीरुद्दीन अहमद एक-एक करके अपने संशोधन पढ़ें।

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** श्रीमान् आपकी अनुमति से मैं यह संशोधन पेश करता हूं:

''प्रस्तावित नियम 38-क के उपनियम (1) में 'संशोधन को प्रस्तावित करना चाहता हो' शब्दों की जगह 'संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहता हो' और 'नियम, व्यवस्था या अन्य आदेश' शब्दों की जगह 'नियम और व्यवस्था' तथा 'इस एक्ट के अनुसार ग्रहीत' शब्दों की जगह 'भारतीय (इन्तजामी विधान) आज्ञा 1947' शब्द रखे जायें।''

दूसरा संशोधन, जिसको मैं प्रस्तावित करना चाहता हूं, वह यों है:

''प्रस्तावित नियम 38-क के उपनियम (1) में 'इस उद्देश्य के लिये बिल उपस्थित करने की अनुमति का प्रस्ताव पेश कर सकता है' को हटा कर अन्त में रखा जाये।''

इन संशोधनों का उद्देश्य स्पष्ट है। सूचना देने के बाद बिल पेश करने की अनुमति का प्रस्ताव रखा जाये, ऐसा मैंने संशोधन चाहा है। बाकी संशोधन तो केवल शाब्दिक हैं।

श्रीमती जी. दुर्गाबाईः श्रीमान्, मैं संशोधन को नहीं स्वीकार करती। मूल नियम की भाषा बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं समझती कि इसमें किसी संशोधन की जरूरत है।

***अध्यक्षः** प्रस्तावकर्त्री किसी भी संशोधन को मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं संशोधनों पर राय लेता हूं।

संशोधन अस्वीकृत हुए।

***अध्यक्षः** अब हम नियम 38-क(2) को लेते हैं।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाईः** श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं यह नियम उपस्थित करती हूं:

''(2) इस नियम के अनुसार बिल उपस्थित करने की अनुमति से सम्बन्ध रखने वाले प्रस्ताव की सूचना की अवधि 15 दिनों की होगी, जब तक कि अध्यक्ष कम दिनों की सूचना से प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुमति न दे दें।"

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** मैं इस संशोधन का प्रस्ताव करता हूं कि:

''प्रस्तावित नियम 38-क के उपनियम (2) में 'अध्यक्ष अनुमति दे दें' शब्दों की जगह 'अध्यक्ष अपने विवेक से अनुमति दे दें' शब्द रखे जायें।''

अध्यक्ष के विवेक से अनुमति देने की बात पृष्ठ 4 और 7 पर संशोधन सम्बन्धी सूची के दूसरे क्लाजों में है। दो स्थलों पर यही शब्दावली आई है और एकरूपता लाने के लिए इस संशोधन को स्वीकार करने की दरख्वास्त करता हूं।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** श्रीमान्, मैं यह आवश्यक नहीं समझती कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाये।

***अध्यक्ष:** प्रस्तावकर्त्री संशोधन को मानने के लिए तैयार नहीं है। संशोधन द्वारा 'अध्यक्ष' शब्द के बाद 'अपने विवेक से' शब्द जौड़ने की बात कही गई है। मैं इस पर राय लूंगा।

संशोधन यह है कि:

''प्रस्तावित नियम 38-क के उपनियम (2) में 'अध्यक्ष अनुमति दे दें' शब्दों की जगह 'अध्यक्ष अपने विवेक से अनुमति दे दें' शब्द रखे जायें।"

संशोधन नामंजूर हुआ।

***अध्यक्ष:** अब मैं समूचे खण्ड 38-क(1) तथा 38-क(2) पर राय लेता हूं, जो यों है:

38-क (1) कोई सदस्य जो 'इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947' के सम्बंध में या उसके अन्तर्गत निर्धारित किसी आज्ञा, नियम, व्यवस्था या अन्य आदेश के सम्बंध में अथवा इस एक्ट के अनुसार आवश्यक परिवर्तनों के साथ ग्रहीत 'गवर्नमेण्ट आफ इन्डिया एक्ट 1935' के सम्बंध में कोई संशोधन प्रस्तावित करना चाहता हो तो वह इस उद्देश्य के लिए बिल उपस्थित करने की अनुमति का प्रस्ताव पेश कर सकता है, वह अपने इरादे की सूचना देगा और सूचना के साथ बिल की नकल और उद्देश्य और कारणों के बारे में एक पूर्ण वक्तव्य पेश करेगा।''

''38-क(2) इस नियम के अनुसार बिल उपस्थित करने की अनुमति से सम्बंध रखने वाले प्रस्ताव की सूचना की अवधि 15 दिनों की होगी,

[अध्यक्ष]

जब तक कि अध्यक्ष कम दिनों की सूचना से प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुमति न दे दें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अब हम 38-ख पर आते हैं।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** श्रीमान्, मैं निम्नलिखित नियम उपस्थित करती हूं:

"38-ख यदि किसी बिल को उपस्थित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध होता है, तो अध्यक्ष....."।

***हाजी अब्दुल सत्तार हाजी इशहाक सेठ** (मद्रास: मुस्लिम): आपकी अनुमति हो तो मैं यह सुझाव रखूंगा कि समूचा खंड न पढ़ा जाये। यह सदस्यों में घुमा दिया गया है। उसे केवल उपस्थित करने की आवश्यकता है।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** नियम 38-ख यों है:

"38-ख यदि किसी बिल को उपस्थित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध होता है तो अध्यक्ष, यदि ठीक समझते हों तो प्रस्तावकर्त्ता एवं विरोधकर्त्ता सदस्यों को उस सम्बंध में संक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुमति देंगे और उसके बाद बिना और बहस के उस प्रस्ताव पर राय लेंगे।"

***अध्यक्ष:** मि. नजीरुद्दीन अहमद अब अपना संशोधन रख सकते हैं।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान्, मेरा सुझाव है कि बजाये इसके कि मैं अपने सारे संशोधन को पेश करूं, यह ज्यादा अच्छा और सन्तोषप्रद होगा कि सरकार के मस्विदा बनाने वाले जो लोग हैं वे ही उस पर विचार कर लें। मैं देखता हूं कि मेरा संशोधनों को पेश करना व्यर्थ है, क्योंकि प्रस्तावकगण, मैं देखता हूं, मेरी बात सुनने पर या उस पर गौर करने पर राजी नहीं हैं। मैं इन संशोधनों को आवश्यक समझता हूं और यही कारण है कि मैंने उन्हें प्रस्तुत किया। वे ऐसे नहीं हैं जिनसे विलम्ब हो या जो बेकार हों। इस हालत में मैं आपसे सादर रोशनी

मांगता हूं कि मैं क्या करूं। अगर मैं संशोधन को पेश करने से इन्कार करता हूं, तो यह बात सभा की शान के खिलाफ होगी।

मैं यह संशोधन रखता हूं कि:

''प्रस्तावित नियम 38-ख में 'किसी बिल को उपस्थित करने' शब्दों की जगह 'ऐसे बिल को उपस्थित करने' शब्द रखे जायें।"

श्रीमान्, यह संशोधन जरूरी है, क्योंकि क्लाज के पहले के एक हिस्से में 'बिल' शब्द के विशेषणस्वरूप 'ऐसे' शब्द जुड़ा हुआ है और यहां इसे रख देने से अर्थ में स्पष्टता आ जायेगी।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, यदि अनुमति हो तो इस बात का जवाब दे दूं। यदि संशोधनकर्ता अध्याय के शीर्षक को ही देंखे तो वह ये शब्द पायेंगे:

''भारतीय-विधान में व्यवस्था रखने के सम्बंध में कानून बनाना।'' ये नियम और किसी दूसरे बिल के सम्बन्ध में नहीं हैं, बल्कि विधान के संशोधन सम्बन्धी बिल के ही सम्बन्ध में है; इसलिये 'ऐसे' शब्द बिल्कुल अनावश्यक है।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान्, इस स्पष्टीकरण के बाद में आपकी आज्ञा से अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान, समय की बचत के लिये मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं। ये सब संशोधन मसविदा ठीक करने के लिये हैं। अच्छा तो यह होगा कि यह सभा यह प्रस्ताव स्वीकार कर ले कि इन संशोधनों पर सरकारी तौर पर मसविदा तैयार करने वाले लोग विचार करें और जहां कहीं आवश्यक हो इन्हें सम्मिलित कर लें। यदि हम संशोधनों पर एक-एक करके विचार करेंगे, तो एक दिन से अधिक समय लग जायेगा। आखिर एक ही विचार को व्यक्त करने के लिये लोग भिन्न-भिन्न प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। अच्छा तो यह होगा कि यह काम मसविदा तैयार करने वालों के सुपुर्द कर दिया जाये, क्योंकि वे इस सम्बन्ध में साधारण ज्ञान रखने वाले उन लोगों से अधिक जानकार हैं, जो केवल सभा का समय लेते हैं।

***अध्यक्षः** इस पर आने के पहले मैं सभा के सामने नियम 38-ख रखना चाहता हूं।

नियम 38-ख स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** जहां तक माननीय डॉ. अम्बेडकर के सुझाव का सम्बन्ध है, मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि मि. नजीरुद्दीन और श्रीमती दुर्गाबाई और कोई दूसरे सदस्य जिनकी इसमें दिलचस्पी हो, अलग बैठ जायें और इन संशोधनों के सम्बन्ध में निर्णय कर लें, तो इस बीच हम अन्य प्रस्तावों पर विचार कर सकते हैं। इन संशोधनों पर यदि आप चाहें तो हम पौन घंटे बाद विचार कर सकते हैं।

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** परन्तु मैंने अन्य प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी संशोधन पेश किये हैं। श्रीमान्, किसी भी सदस्य को इन खण्डों और संशोधनों को पढ़ने का समय नहीं मिला और इसीलिये हमें इस समय कठिनाई मालूम हो रही है। विशेषतया भोजन के उपरान्त प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है और पेचीदी बातों में ध्यान लगाने में अपने को असमर्थ पाता है।

***अध्यक्षः** मेरे विचार से इस प्रस्ताव की प्रस्ताविका श्रीमती दुर्गाबाई, इन संशोधनों पर विचार कर सकती हैं और इसका निर्णय कर सकती हैं कि वे इनमें से किनको स्वीकार कर सकती हैं। हम इस मद को कुछ समय बाद उठा सकते हैं। इस बीच हम दूसरी मदों पर विचार कर सकते हैं।

अतिरिक्त नियम 59-क

***दीवान चमनलालः** श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं:

विधान-परिषद् के नियमों में निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये:

"नया नियम 59-क नियम 59 के बाद निम्नलिखित नये नियम को स्थान दिया जाये:

59-क(1) चुनाव-सम्बन्धी अर्जी के बारे में जांच करने के लिये क्रेडेंशियल्स कमेटी या चुनाव के ट्रिब्यूनल को यह अधिकार होगा कि वे गवाहों

को बुलायें और उन्हें हाजिर होने के लिये मजबूर करें और उन्हीं साधनों से और जहां तक सम्भव हो उसी प्रकार कागजों को बलपूर्वक पेश करवायें, जिस प्रकार कि जाब्ता दीवानी सन् 1908 ई. के अधीन दीवानी अदालतों के बारे में व्यवस्था है।

(2) भारतीय शहादत कानून सन् 1872 ई. के आदेश इन नियमों और अध्यक्ष द्वारा जारी की हुई स्थायी आज्ञाओं के आदेशों के अधीन ऐसी प्रत्येक जांच पर लागू समझे जायेंगे'।''

श्रीमान्, चुनाव-सम्बन्धी अर्जियों का विषय इस सभा द्वारा स्वीकृत जाब्ते के नियमों के अध्याय 10 में है। चुनाव-सम्बन्धी अर्जी द्वारा किसी चुनाव पर आपत्ति की जा सकती है। कोई उम्मीदवार या निर्वाचक इस प्रकार की चुनाव-सम्बन्धी अर्जी पेश कर सकता है। यदि अर्जी नियमानुकूल हो और यदि अध्यक्ष को यह विश्वास हो जाये कि उसके लिये पर्याप्त आधार है, तो वह, उस अर्जी को क्रेडेंशियल्स कमेटी के पास भेजेंगे, इसके बाद क्रेडेंशियल्स कमेटी उस चुनाव-सम्बन्धी अर्जी के बारे में जांच करेगी और उसमें जो आपत्तियां की गई हों, उन पर विचार करेगी और जितनी जल्दी हो सकेगा एक रिपोर्ट पेश करेगी। यदि केडेंशियल्स कमेटी आवश्यक समझे तो वह अध्यक्ष के पास यह सिफारिश भेज सकती है कि चुनाव-सम्बन्धी अर्जी के बारे में जांच करने के लिये एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल नियुक्त किया जाये। इसलिये हमारे पास एक दूसरा तरीका है। क्रेडेंशियल्स कमेटी या तो अध्यक्ष के पास यह सिफारिश भेज सकती है कि वे एक चुनाव-सम्बन्धी ट्रिब्यूनल नियुक्त करें या उनके पास एक रिपोर्ट भेज सकती है। यदि चुनाव-सम्बन्धी ट्रिब्यूनल नियुक्त करना हो तो अध्यक्ष एक या दो सदस्यों का एक ट्रिब्यूनल नियुक्त करेंगे, जो उस अर्जी पर विचार करेगा। अब एक बात रह गई है। इस सम्बनध में कुछ सन्देह है कि चुनाव-सम्बन्धी ट्रिब्यूनल को यह अर्जी किस तरीके से दी जाये। नियम 43(5) के अनुसार क्रेडेंशियल्स कमेटी के कार्यसंचालन के सम्बन्ध में अध्यक्ष स्थायी आज्ञाएं जारी कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में संदेह है कि वे चुनाव-सम्बन्धी ट्रिब्यूनल के सामने उपस्थित होने के लिये गवाहों को मजबूर करने या उनको बुलाने या उनके हाजिर होने या कागजात को पेश करने के लिये बलप्रयोग करने के बारे में नियम बना सकते हैं या नहीं। इसलिये इस विशेष नियम 59-क को स्थान देने की आवश्यकता पड़ी है, जिसके अनुसार उनको गवाहों को हाजिर होने और कागजात को पेश कराने के लिये कहने का अधिकार मिल जाता है।

[दीवान चमनलाल]

इस अधिकार के दो अंग हैं। जहां तक सम्भव होगा उसी ढंग से काम लिया जायेगा जो कि दीवानी के मुकद्दमों के सम्बन्ध में जाब्ता दीवानी में अपनाया गया है। दूसरे इस असेम्बली की स्थायी आज्ञाओं और इसके नियमों के अधीन शहादत का कानून उस शहादत पर भी लागू होगा जो कि चुनाव-सम्बन्धी-ट्रिब्यूनल के सामने पेश की जाये।

मेरे विचार से इस दृष्टि से लम्बे भाषण देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि माननीय सदस्यों की समझ में आ जाये कि इस संशोधन की आवश्यकता है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि अभी भी 5 या 6 चुनाव-सम्बन्धी अर्जियां विचाराधीन हैं और इन पर तुरन्त ही कार्यवाही करने के लिये यह आवश्यक है कि यह सन्देह मिटा दिया जाये और इस नियम को स्वीकार कर लिया जाये।

***अध्यक्ष:** मि. नजीरुद्दीन अहमद ने जिस संशोधन की सूचना दी है, उसे वे पेश कर सकते हैं।

***श्री के. सन्तानम्:** श्रीमान्, मुझे एक व्यवस्था-सम्बन्धी आपत्ति करनी है। मेरे विचार से इस सभा के प्रत्येक नियम को कानून का बल प्राप्त नहीं हो सकता। यदि आप इस प्रकार का बलप्रयोग चाहते हैं तो यह उद्देश्य धारा-सभा में एक बिल पेश करने और उसे स्वीकार कराने से पूरा हो सकता है। तभी दीवानी के अधिकारी उसे स्वीकार कर सकते हैं। दीवानी की अदालतें इस सभा के नियमों को कानूनी तौर पर नहीं मानेंगी। इसलिये मेरे विचार से यह नियम-विरुद्ध बात है।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** भारतीय स्वतंत्रता के कानून के अधीन यह सभा औपनिवेशिक व्यवस्थापिका सभा मानी गई है और इसे सभी अधिकार प्राप्त हैं। इसलिये चाहे आप नियम कहें या कानून, उसे कानून का बल प्राप्त है।

***अध्यक्ष:** मैं श्री अनन्तशयनम् आयंगर के विचार से सहमत हूं।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं यह पेश करता हूं कि:

"(1) प्रस्तावित नियम 59-क के उपनियम (1) में अन्त में '1908' अंक के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये-'1908 का 5'।

(2) प्रस्तावित नियम 59-क के उपनियम (2) में 'स्थायी आज्ञाओं' शब्दों की जगह बड़े अक्षरों में 'स्थायी आज्ञाओं' शब्द रखे जायें।''

इन दोनों संशोधनों की व्याख्या उनके ही शब्दों से हो जाती है। पहला केवल कानून का नम्बर निश्चित करता है और दूसरा 'स्थायी आज्ञाओं' शब्दों को बड़े अक्षरों में देता है। ये संशोधन केवल रस्मी हैं और मैं सिफारिश करता हूं कि ये स्वीकार कर लिये जायें।

***दीवान चमनलाल:** मैं इन संशोधनों को स्वीकार करता।

संशोधन स्वीकार कर लिये गये।

प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया गया।

नियम 51, 53, 60, 61 में संशोधन और नया नियम 67

***श्री पी. गोविन्द मेनन:** अध्यक्ष महोदय, मैं जिस प्रस्ताव को पेश कर रहा हूं, वह केवल रस्मी है। इस सभा द्वारा स्वीकृत नियमों के अध्याय 10 में इस सभा के सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में जो सन्देह और झगड़े उठ खड़े हों, उनका निर्णय करने के लिये जिस विधि का अनुसरण किया जायेगा उसका उल्लेख है। परन्तु उस अध्याय में 'उम्मीदवार' और 'निर्वाचित उम्मीदवार' शब्दों की परिभाषाओं को देखने से यह पता लगता है कि ये नियम भारतीय रियासतों से निर्वाचित सदस्यों पर लागू नहीं होते हैं। भारतीय रियासतों से निर्वाचित सदस्यों के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्थायी आज्ञाएं जारी की हैं और इस समय इन्हीं स्थायी आज्ञाओं के अनुसार कार्य होता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि ये स्थायी आज्ञाएं इन नियमों में ही सम्मिलित कर ली जायें। श्रीमान्, मैं यह पेश करता हूं कि नियम 51 में:

''(1) खण्ड (क) के बाद निम्नलिखित नये खण्ड जोड़ दिये जायें:

'(कक) किसी भारतीय रियासत या रियासतों के 'प्रतिनिधि' से बोध उस व्यक्ति से होता है जो इन नियमों के परिशिष्ट के आदेशानुसार इस सभा के लिये ऐसी रियासत या रियासतों का प्रतिनिधि चुना गया हो'।''

[श्री पी. गोविन्द मेनन]

''(2) खण्ड (ख) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:

'इसमें वह उम्मीदवार भी सम्मिलित है जिसके बारे में किसी भारतीय रियासत या रियासतों के नरेश या नरेशों की तरफ से अध्यक्ष को इन नियमों के परिशिष्ट के आदेशानुसार बताया गया हो कि वह ऐसी रियासत या रियासतों का नियमित रूप से चुना हुआ प्रतिनिधि है'।''

***अध्यक्ष:** इस प्रस्ताव के बारे में कोई संशोधन पेश नहीं किये गये हैं।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***श्री पी. गोविन्द मेनन:** मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि:

''नियम 53 के उपनियम (1) के खण्ड 1 में 'इस सभा के लिये पहला चुनाव होने पर' शब्दों की जगह 'इन नियमों के प्रकाशित होने के पहले इस सभा के लिये चुनाव होने पर' शब्द रखे जायें।

नियम 53 के उपनियम (1) के खंड 2 में 'यथोचित सरकारी गजट में' शब्दों की जगह 'भारत सरकार के गजट या सम्बन्धित प्रान्त के सरकारी गजट में' शब्द रखे जायें।''

***अध्यक्ष:** इस प्रस्ताव के बारे में कोई संशोधन पेश नहीं किये गये हैं।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***श्री पी. गोविन्द मेनन:** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि:

''नियम 60 के उपनियम (1) में 'भारतीय व्यवस्थापिका सभा के चुनाव सम्बन्धी नियमों' शब्दों के बाद 'जो पहली अगस्त सन् 1946 ई. को प्रयोग में हो' शब्द रखे जायें।''

***अध्यक्ष:** इस प्रस्ताव के बारे में कोई संशोधन पेश नहीं किये गये हैं।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***श्री पी. गोविन्द मेनन:** श्रीमान् मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि:

''नियम 61 के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें:

'और इस प्रकार जारी की हुई आज्ञाएं अन्तिम होंगी और उन पर किसी अदालत में सन्देह प्रकट न किया जायेगा'।''

***अध्यक्षः** इस प्रस्ताव के बारे में कोई संशोधन पेश नहीं किया गया है।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***श्री पी. गोविन्द मेननः** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं किः

''नियम 66 के बाद निम्नलिखित नया नियम रखा जायेः

'67. यदि इन नियमों की व्याख्या के सम्बन्ध में इनके अधीन होने वाले चुनाव के अतिरिक्त अन्य किसी बारे में कोई प्रश्न उठे, तो वह निर्णय के लिये अध्यक्ष के पास भेजा जायेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा'।''

***अध्यक्षः** इस सम्बन्ध में कोई संशोधन पेश नहीं किया गया है।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***श्री पी. गोविन्द मेननः** मैं यह प्रस्ताव करता हूं किः

''नियमों के अन्त में निम्नलिखित परिशिष्ट रख दिया जायेः

'परिशिष्ट

(नियम 51 देखिये)

भारतीय रियासतों के नाम वक्तव्य में जो जगहें रखी गई हैं, वे परिशिष्ट 'क' में दिखाई हुई विभिन्न रियासतों तथा रियासतों के समूहों को साधारणतया दस लाख की आबादी के लिये एक जगह के हिसाब से दी जायेंगी; अलग-अलग रियासतों के सम्बन्ध में तीन चौथाई या अधिक के अंकांश एक अंक गिने जायेंगे और इससे कम के अंकांश नहीं गिने जायेंगे और रियासतों के समूहों के सम्बन्ध में आधे से अधिक अंकांश एक अंक गिने जायेंगे और इससे कम अंकांश नहीं गिने जायेंगे।

2. अध्यक्ष किसी सम्बन्धित रियासत या रियासतों की अर्जी आने पर आज्ञा जारी करके इस परिशिष्ट के परिशिष्ट 'क' में इसलिये संशोधन कर सकते हैं कि:

(क) अलग-अलग या एकत्रित रियासतों का प्रतिनिधित्व बदला जा सके;

(ख) एक समूह को एक से अधिक समूहों में बांटकर या किसी रियासत या रियासतों को एक समूह से दूसरे समूह में रखकर रियासतों का एकत्रीकरण बदला जा सके या इसके विपरीत यह व्यवस्था कर सकते है कि:

(1) इस प्रकार के परिवर्तन से सभी रियासतों के प्रतिनिधियों की कुल संख्या या सम्बन्धित रियासतों के समूह या समूहों के प्रतिनिधियों की संख्या पर कुछ असर नहीं पड़ेगा; और

(2) इस प्रकार का कोई परिवर्तन करने में आबादी के आधार की उपेक्षा न की जायेगी और भौगोलिक निकटता, आर्थिक प्रश्नों तथा जातीय, सांस्कृतिक और भाषा सम्बन्धी सान्निध्य की ओर यथोचित ध्यान दिया जायेगा।

2-क. जब कि किसी रियासत या रियासतों के समूह के प्रतिनिधियों की संख्या या रियासतों का समूह पैरा 2 के अधीन किसी आज्ञा से बदला जाये तो अध्यक्ष उन रियासतों की तरफ से अर्जी आने पर, जिन पर इस आज्ञा का असर पड़ता हो, सभा में सम्बन्धित रियासतों के प्रतिनिधियों की जगहों को रिक्त घोषित कर सकता है।

3. सभा में रियासतों के प्रतिनिधियों की कुल संख्या की कम से कम 50 प्रतिशत संख्या ऐसे सदस्यों की होगी, जो रियासतों की धारासभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जायेंगे: या जहां इस प्रकार की धारासभायें न हों, तो वे निर्वाचक मंडलों द्वारा चुने जायेंगे, जिनका निर्माण सम्बन्धित रियासतों के नरेशों के इस सम्बन्ध में बनाये हुये आदेशों के अनुसार होगा। रियासतें निर्वाचित सदस्यों की संख्या कुल संख्या की 50 प्रतिशत से जितना अधिक हो सके, बढ़ाने का प्रयत्न करेगी। इस प्रकार किसी रियासत या रियासतों के समूह को दी हुई जगहों की कम से कम

आधी जगहें सम्बन्धित रियासत या रियासतों के नरेश के आदेशानुसार चुनाव से भरी जायेंगी।

4. परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 1 में बताये हुये विभिन्न रियासतों के समूहों के संचालक उसी परिशिष्ट के स्तम्भ 4 में उनके सामने उल्लिखित नरेश होंगे। उस समूह की रियासतों से सलाह लेकर मंत्री उच्च स्तम्भ 4 में कोई ऐसे परिवर्तन कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक और उचित समझे।

5. मनोनीतकरण या चुनाव के, जैसी भी दशा हो, समाप्त होने पर सम्बन्धित रियासत का नरेश जहां तक सम्भव होगा निम्नलिखित रूप में एक विज्ञप्ति निकालेगा, जिसमें उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के नाम दिये होंगे जो विधान-परिषद् के लिये प्रतिनिधि चुने गये हों, या मनोनीत हुए हों और उसे विधान-परिषद् के अध्यक्ष के पास भिजवायेगा। जहां रियासतों के किसी समूह ने चुनाव किया हो तो उस दशा में उस समूह का संचालक यह विज्ञप्ति निकालेगा।

[+]प्रपत्र

यह ज्ञात हो कि (यहां प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों के नाम लिखिये).....रियासत (यहां रियासत या रियासतों के नाम लिखिये)..... की ओर से भारतीय विधान-परिषद् के लिये प्रतिनिधि चुने गये हैं; इसके प्रमाण में यह विज्ञप्ति निकाली जाती है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं और मेरी रियासत की मुहर है।

रियासत

रियासतें

..... का नरेश

तिथि .....

[+]ये (2 और 2 अ) आदेश नये हैं जो कि मूल पैरा 2 के स्थान में रखे गये हैं।

परिशिष्ट 'क'
अकेली रियासतें

वितरण-संख्या जैसी कि वह भारत सरकार के कानून सन् 1935 ई. के पहले परिशिष्ट के भाग 2 से सम्बद्ध जगहों के नक्शे में दी हुई है	रियासत का नाम	विधान-परिषद् में जगहों की संख्या	संचालक
1	2	3	4
1	हैदराबाद	16	..
2	मैसूर	7	..
3	काश्मीर	4	..
4	ग्वालियर	4	..
5	बड़ौदा	3	..
9	त्रावणकोर	6	..
9	कोचीन	1	..
10	उदयपुर	2	..
10	जयपुर	3	..
10	जोधपुर	2	..
10	बीकानेर	1	..
10	अलवर	1	..
10	कोटा	1	..
11	इन्दौर	1	..
11	भूपाल	1	..
11	रीवां	2	..
12	कोल्हापुर	1	..
14	पटियाला	2	..
14	बहावलपुर	1	..
16	मयूरभंज	1	..
	20	60	

सरहदी समूह

1	2	3	4
7	सिक्किम	1	नरेश–
15	कूच बिहार		कूच बिहार रियासत
15	त्रिपुरा		
15	मनीपुर	1	त्रिपुरा
17	खासी रियासतें		

आन्तरिक समूह

8	रामपुर	1	रामपुर रियासत
	बनारस		
10	भरतपुर		
	टोंक		
	धौलपुर		
	करौली		
	बूंदी		
	सिरोही		
(13 रियासतें)	डूंगरपुर	3	बूंदी रियासत
	बांसवाड़ा		
	परतापगढ़		
	झालावाड़		
	जैसलमेर		
	किशनगढ़		
11	शाहपुरा		
11	दतिया		
	ओरछा		
	धार		
	देवास (बड़ा)		
	देवास (छोटा)		

1	2	3	4
(26 रियासतें)	जावरा रतलाम पन्ना समथर अजयगढ़ बीजावाड़ चरखारी छतरपुर बावनी नागोद मयिहर बरौंधा बड़वानी अलीराजपुर झाबुआ सैलाना सीतामऊ राजगढ़ नरसिंहगढ़ खिलचीपुर कुरवई	3	पन्ना रियासत
(17 रियासतें)	कूच ईडर नवानगर भावनगर जूनागढ़ धारगंध्रा गौंडल पोरबंदर मोर्वी राधनपुर बांकानर पालीताना	4	नवानगर रियासत
12			

1	2	3	4
	धौल		
	लिम्बडी		
	वाधवान		
	राजकोट		
	जफ्राबाद		
	राजपीपला		
	पालनपुर		
	कैम्बे		
	धरमपुर		
	बालासिंदूर		
	बरिया		
(14 रियासतें)	छोटा उदयपुर	2	राजपीपला रियासत
	संत		
	लूनावाडा		
	बंसदा		
	साचिन		
	जौहर		
	दांता		
13	जंजीरा		
13	सांगली		
	सावंतवाडी		
	मुधौल		
	भोर		
	जमखंडी		
	मिराज (बड़ा)		
	मिराज (छोटा)		
	कुरुंदवाड (बड़ा)		
	कुरुंदवाड (छोटा)		
	अकालकोट		
(17 रियासतें)	फल्टन	2	मिराज (छोटा) रियासत
	जाथ		
	औंध		
	रामदुर्ग		

1	2	3	4
9	पुदूकोटाई		
	बंगानापली		
14	सांदूर		
	कपूरथला		
	जींद		
	नाभा		
	मंडी		
	बिलासपुर		
	सुकेत		
(14 रियासतें)	टेहरी गढ़वाल	3	बिलासपुर रियासत
	सिरमूर		
	चांवा		
	फरीदकोट		
	मलेरकोटला		
17	*लोहारू		
	कलसिया		
	बशाहर		
	सोनपुर		
16	पटना		
	कालहांडी		
	क्यौंझार		
	धेनकानाल		
	नयागढ़		
	तालचेर		
	नीलगिरी		
	गंगापुर		
	बामूरा		
(25 रियासतें)	सराय केला	4	बौद रियासत
	बौद		
	बोनाई		
	आठगढ़		
10	पाल लहारा		

*लोहारू का प्रतिनिधित्व विशेष व्यवस्था से बीकानेर रियासत के प्रतिनिधि द्वारा होता है।

1	2	3	4
	आठ मालिक		
	हिंडोल		
	नरसिंहपुर		
	बारंवा		
	निगिरि		
	खांदपारा		
	रानपुर		
	दासपल्ला		
	रेराखोल		
	खारसांवां		
16-क	बस्तर		
	सरगूजा		
	रायगढ़		
	नन्दगांव		
	खैरागढ़		
	जशपुर	3	बौद रियासत
(14 रियासतें)	कांकेर		
	कोरिया		
	सारनगढ़		
17	चंगभाकर		
	हुलकादान		
	कवर्धा		
	शक्ति		
	उदयपुर		
17	अन्य सभी रियासतें	4	बीघट रियासत

***अध्यक्षः** इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** हम कार्यावली के अन्त तक पहुंच गये हैं। अब हम बची हुई मद को अर्थात् श्रीमती जी. दुर्गाबाई के प्रस्तावों को उठाते हैं।

***श्रीमती जी दुर्गाबाईः** आपकी अनुमति से मैं नियम 38-ग पेश करती हूं:

''38-ग किसी बिल के पेश होने पर, जब तक कि अध्यक्ष इसके विपरीत आदेश न दें, वह बिल जितनी जल्दी हो सकेगा, भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किया जायेगा।''

***अध्यक्षः** मि. नजीरुद्दीन अहमद ने इसके शब्दों में दो संशोधनों के बारे में सूचना दी है, अर्थात् ''नियम 38-ग में 'किसी बिल' की जगह 'बिल' शब्द रखा जाये और 'वह बिल' शब्दों की जगह 'वह' शब्द रखा जाये।''

***श्रीमती जी. दुर्गाबाईः** मैं इस संशोधन को स्वीकार करती हूं।

***अध्यक्षः** मि. नजीरुद्दीन अहमद, उन्होंने संशोधन स्वीकार कर लिया है।

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** श्रीमान्, मैं यह पेश करता हूं कि:

''प्रस्तावित नियम 38-ग में 'किसी बिल' की जगह 'बिल' शब्द रखा जाये और 'वह बिल' शब्दों की जगह 'वह' शब्द रखा जाये।''

***श्रीमती जी. दुर्गाबाईः** मैंने संशोधन स्वीकार कर लिया है।

संशोधन स्वीकार कर लिये गये।

***अध्यक्षः** मैं नियम 38-ग को उसके संशोधित रूप में मतदान के लिये सभा के सामने रखता हूं।

नियम 38-ग उसके संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया गया।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाईः** मैं नियम 38-घ पेश करती हूं:

'38-घ जब कोई बिल पेश किया जाये तो, या बाद को किसी समय जिस सदस्य ने बिल पेश किया हो वह उस बिल के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसी एक को कर सकता है, अर्थात:

(क) यह कि उस पर सभा उसी समय या बाद को किसी ऐसे समय, जो उस समय निश्चित किया जाये, विचार करे; या

(ख) यह कि वह सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाये।''

मगर शर्त यह है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव उस समय तक न किया जायेगा, जब तक कि उस बिल की प्रतियां सदस्यों को उपलब्ध न हो जायें और यह कि जब तक कि प्रस्ताव पेश होने के तीन दिन पहले बिल की प्रतियां इस प्रकार उपलब्ध न हो जायें, तो कोई भी सदस्य इस प्रकार के प्रस्ताव के पेश होने पर आपत्ति कर सकता है और जब तक अध्यक्ष अपने विवेक से प्रस्ताव को पेश करने की आज्ञा न दें, इस प्रकार की आपत्ति मान्य होगी।

मैं इस संशोधन को स्वीकार करती हूं कि प्रस्तावित नियम 38-घ में 'अब कोई बिल' शब्दों की जगह 'जिस समय कोई बिल' शब्द रखे जायें।

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** श्रीमान्, मैं यह पेश करता हूं कि:

''प्रस्तावित नियम 38-घ में 'जब कोई बिल' शब्दों की जगह 'जिस समय कोई बिल' शब्द रखे जायें।''

***अध्यक्षः** उन्होंने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया है।

मैं इस नियम को उसके संशोधित रूप में मतदान के लिये सभा के सामने रखता हूं।

नियम 38-घ उसके संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया गया।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाईः** आपकी अनुमति से मैं नियम 38-ङ (1) पेश करना चाहती हूं:

''38-ङ (1) इस प्रकार का प्रस्ताव जिस दिन पेश हो या बाद को किसी ऐसे दिन जब तक के लिये उस पर बहस स्थगित की जाये, बिल के सिद्धांतों और साधारण आदेशों पर बहस हो सकती है। परन्तु बिल के ब्योरे पर उससे अधिक बहस न हो जितनी कि उसके सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिये आवश्यक हो।''

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** आपकी अनुमति से मैं संशोधन नं. 9 पेश करना चाहता हूं:

''अर्थात् प्रस्तावित नियम 38-ङ के उपनियम (1) में 'बहस स्थगित की जाये, बिल के सिद्धांतों' की जगह ''बहस रोकी जाये केवल बिल के सिद्धातों' शब्द रख दिये जायें।''

[श्री नजीरुद्दीन अहमद]

इस सम्बन्ध में जो कानूनी भाषा प्रयोग में लाई गई है, उसमें 'स्थगित की जाये' शब्द उपयुक्त नहीं हैं। स्थगित का अर्थ है हमेशा के लिये स्थगित। 'रोकी जाये' का अर्थ है कि अधिक विचार के लिये रोकी जाये; 'रोकी जाये' शब्द अधिक उपयुक्त हैं।

मैं संशोधन नं. 10 भी पेश करना चाहता हूं:

''अर्थात् प्रस्तावित नियम 38-ङ के उपनियम (1) में 'बहस न हो' शब्दों की जगह 'बहस न होगी' शब्द रख दिये जायें।''

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** श्रीमान्, मैं संशोधन नं. 9 को स्वीकार नहीं करती हूं। मैं संशोधन नं. 10 को स्वीकार करती हूं।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान्, मैं सभा की आज्ञा से संशोधन नं. 9 वापस लेना चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** क्या मैं यह समझूं कि सभा संशोधन नं. 9 वापस लेने की आज्ञा देती है।

सभा की आज्ञा से संशोधन वापस ले लिया गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताविका ने संशोधन नं. 10 स्वीकार कर लिया है। मैं अब नियम 38-ङ (1) को उसके संशोधित रूप में मतदान के लिये सभा के सामने रखता हूं।

नियम 38-ङ(1) संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया गया।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** आपकी अनुमति से मैं नियम 38-ङ(2) पेश करना चाहती हूं:

''38-ङ(2) इस अवसर पर बिल के सम्बन्ध में कोई संशोधन पेश न किये जायें, परन्तु यदि वह सदस्य जिसने बिल पेश किया हो, यह प्रस्ताव करे कि उसके बिल पर विचार किया जाये, तो कोई भी सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकता है कि वह बिल सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाये।''

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं यह पेश करना चाहता हूं कि:

''प्रस्तावित नियम 38-ङ के उपनियम (2) मैं 'कोई भी सदस्य' शब्दों की जगह 'कोई अन्य सदस्य' शब्द रखे जायें।''

बात यह है कि जो सदस्य प्रस्ताव करता है, वह संशोधन पेश नहीं कर सकता। इसलिये संशोधन का काम प्रस्तावक के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य के लिये छोड़ा जाना चाहिये।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावित नियम 38-ङ के उपनियम (2) के अन्त में 'या उस पर जनमत जानने के लिये उसे घुमाया जाये' शब्द जोड़ दिये जायें।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाईः** मैं संशोधन नं. 11 को स्वीकार नहीं करती हूं। मैं संशोधन नं. 12 का भी विरोध करती हूं।

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** श्रीमान्, इन दोनों संशोधनों को वापस लेने के लिये मैं सभा की आज्ञा चाहता हूं।

***अध्यक्षः** मैं समझता हूं कि सभा इन संशोधनों को वापस लेने की आज्ञा देती है।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिये गये।

***अध्यक्षः** मैं अब नियम 38-ङ को उसके संशोधित रूप में मतदान के लिये सभा के सामने रखता हूं।

नियम 38-ङ संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया गया।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाईः** आपकी अनुमति से मैं नियम 38-च पेश करना चाहती हूं:

''38-च(1) जिस सदस्य ने बिल पेश किया हो वह प्रत्येक सेलेक्ट कमेटी का सदस्य होगा और ऐसी किसी कमेटी की नियुक्ति के सम्बन्ध में किसी प्रस्ताव में उसका नाम सम्मिलित करने की आवश्यकता न होगी।

(2) जब बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का कोई प्रस्ताव किया जाये, तो कमेटी के अन्य सदस्यों को सभा नियुक्त करेगी।

[श्रीमती जी. दुर्गाबाई]

(3) वह कमेटी अपने सभापति का पद ग्रहण करने के लिये कमेटी के किसी सदस्य को चुनेगी और उसकी अनुपस्थिति में वह कमेटी के किसी अन्य सदस्य को सभापति का पद ग्रहण करने और उसके अधिकारों को प्रयोग में लाने के लिये चुन सकती है।

(4) सभापति प्रथम बार वोट नहीं देगा, परन्तु यदि वोट दोनों तरफ बराबर हों तो वह निर्णायक वोट देगा।

(5) सेलेक्ट कमेटी विशेषज्ञों तथा उन विशेष हितों के प्रतिनिधियों की राय सुन सकती है जो विचाराधीन योजना से प्रभावित होते हों।''

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं यह पेश करता हूं कि:

''प्रस्तावित नियम 38-च के उपनियम (1) में 'प्रत्येक सेलेक्ट कमेटी का' शब्दों के बाद 'जिसको कि बिल भेजा गया हो' शब्द रखे जायें।''

विचार को पूरा करने के लिये ये शब्द आवश्यक हैं।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाईः** सदस्य महोदय नियम 3-च के सम्बन्ध में सभी संशोधनों को पेश कर लें।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं यह पेश कतरा हूं कि:

''प्रस्तावित नियम 38-च के उपनियम (2) में 'सभा नियुक्त करेगी' शब्दों की जगह 'सभा चुनेगी' शब्द रखे जायें।''

व्यवस्थापिका के चुनाव के सम्बन्ध में 'चुनाव' शब्द अधिक उपयुक्त है।

आपकी अनुमति से मैं यह भी पेश करना चाहता हूं कि:

''प्रस्तावित नियम 38-च के उपनियम (3) में 'वह कमेटी अपने सभापति का पद ग्रहण करने के लिये कमेटी के किसी सदस्य को चुनेगी' शब्दों की जगह 'उस कमेटी के सदस्य अपने सभापति का पद ग्रहण करने के लिये अपने किसी सदस्य को चुनेंगे' शब्द रखे जायें।''

श्रीमान्, यह संशोधन केवल शब्दों के परिवर्तन के सम्बन्ध में है। प्रस्तावित नियम में कहा गया है कि कमेटी के सदस्य सभापति का पद ग्रहण करने के

लिये कमेटी के किसी सदस्य को चुनेंगे, उन्हीं शब्दों को दुहराने के बजाये मैंने यह कहा है कि अपने किसी सदस्य को चुनेंगे।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि:

''प्रस्तावित नियम 38-च के उपनियम (3) में 'किसी अन्य सदस्य' शब्दों के पहले 'कमेटी के' शब्द निकाल दिये जायें।''

एक अन्य संशोधन इस प्रकार है:

''प्रस्तावित नियम 38-च के उपनियम (3) में 'उसके अधिकारों को' शब्दों की जगह 'उसकी अनुपस्थिति में उसके अधिकारों को' शब्द रख दिये जायें।''

इस संशोधन का उद्देश्य यह है। उस व्यक्ति का अधिकार, जो सभापति की अनुपस्थिति में सभापति का पद प्रहण करने के लिये चुना गया हो उसी समय प्रयोग में आ सकता है जिस समय सभापति अनुपस्थित हो। नियम की शब्दावली जिस प्रकार रखी गई है, उससे यह बोध होता है कि जो व्यक्ति सभापति का पद ग्रहण करने के लिये चुना गया हो, वह उस समय भी पदासीन रहेगा और कमेटी की कार्यवाही में भाग लेता रहेगा जब कि सभापति वापस आ जाये।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** श्रीमान्, मैं इन सभी संशोधनों का विरोध करती हूं। सेलेक्ट कमेटी के सभी सदस्य 'नियुक्त' किये जाते हैं और 'चुने' नहीं जाते। इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है और इसी को यहां भी अपनाया गया है, यह ठीक ही है।

श्रीमान्, मैं एक छोटा सा संशोधन स्वयं पेश करना चाहती हूं, अर्थात:

''खण्ड 38-च के उपखण्ड (1) में 'प्रत्येक सेलेक्ट कमेटी' शब्दों की जगह केवल 'सेलेक्ट कमेटी' शब्द रखे जायें।''

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान्, सभा की अनुमति से मैं नं. 13 से नं. 17 तक अपने सभी संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

सभा की अनुमति से संशोधन नं. 13 से 17 तक वापस ले लिये गये।

***अध्यक्ष:** मैं अब नियम 38-च को, जैसा कि प्रस्ताविका ने उसे संशोधित किया है, मतदान के लिये सभा के सामने रखता हूं।

[अध्यक्ष]

नियम 38-च संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया गया।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाईः** श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं नियम 38-छ पेश करती हूं:

''38-छ(1) सेलेक्ट कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति करते समय सभा उन सदस्यों की संख्या भी निश्चित करेगी जिनकी उपस्थिति कमेटी की किसी बैठक के लिये आवश्यक होगी।

(2) यदि सेलेक्ट कमेटी की बैठक समवेत होने के पूर्व निश्चित समय पर, या इस प्रकार की बैठक में किसी समय उसके सदस्य सभा द्वारा निश्चित संख्या में उपस्थित न हों, तो कमेटी के सभापति या तो बैठक को उस समय तक के लिये स्थगित कर देंगे जबकि निश्चित संख्या में सदस्य उपस्थित हो जायें, या कमेटी का काम किसी अगले दिन के लिये रोक देंगे।

(3) यदि सेलेक्ट कमेटी का काम उपनियम (2) के अनुसार ऐसे दो दोनों के लिये लगातार रोक दिया जाये, जो कमेटी की बैठक के लिये निश्चित किये गये हों, तो सभापति इसकी सूचना सभा को देंगे।''

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** इस नियम के सम्बन्ध में मेरे नाम से जो संशोधन नं. 18 है, उसे मैं पेश नहीं कर रहा हूं।

***अध्यक्षः** इस प्रकार अब इस नियम के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है। मैं इसे मतदान के लिये सभा के सामने रखता हूं।

नियम 38-छ स्वीकार कर लिया गया।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाईः** श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं नियम 38-ज पेश करती हूं:

''38-ज (1) जब कोई बिल किसी सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाये, तो कमेटी उस पर एक रिपोर्ट पेश करेगी।

(2) रिपोर्ट या तो प्रारम्भिक हो सकती है या अन्तिम।

(3) यदि सेलेक्ट कमेटी का कोई सदस्य किसी विषय के सम्बन्ध में अपना मतभेद प्रकट करना चाहे, तो उसे रिपोर्ट पर यह कहकर हस्ताक्षर करना

चाहिये कि वे अपने मतभेद के लेख के अधीन हस्ताक्षर कर रहे हैं और साथ ही उन्हें अपना लेख भी दे देना चाहिये।''

***अध्यक्षः** इस नियम के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है। इसलिये मैं इसे मतदान के लिये पेश करता हूं।

नियम 38-ज स्वीकार कर लिया गया।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाईः** श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं नियम 38-झ पेश करती हूं:

''38-झ (1) किसी बिल पर सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को कमेटी का सभापति सभा के सामने रखेगा।

(2) रिपोर्ट को पेश करते समय यदि सभापति कुछ कहना चाहे तो वह केवल वस्तुस्थिति का संक्षेप में विवरण देगा परन्तु इस अवसर पर वाद-विवाद नहीं होगा।''

***अध्यक्षः** इस नियम के सम्बन्ध में भी कोई संशोधन नहीं है। इसलिये मैं इसे मतदान के लिये पेश करता हूं।

नियम 38-झ स्वीकार कर लिया गया।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाईः** श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं नियम 35-ञ पेश करती हूं:

''38-ञ मंत्री सेलेक्ट कमेटी की प्रत्येक रिपोर्ट को छपवायेंगे और उसकी एक प्रति सभा के प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिये उपलब्ध कराई जायेगी। वह रिपोर्ट संशोधित बिल के साथ, जब तक कि अध्यक्ष इसके विपरीत आदेश न दें, भारत सरकार के गजट में प्रकाशित की जायेगी।''

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** श्रीमान्, मैं यह पेश करता हूं कि:

''प्रस्तावित नियम 38-ञ में 'संशोधित बिल के साथ' शब्दों की जगह 'उस संशोधित बिल के साथ' शब्द रख दिये जायें।''

[श्री नजीरुद्दीन अहमद]

मेरे विचार से श्रीमान्, जिस कारण यह संशोधन पेश किया गया है, वह स्पष्ट है और स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** श्रीमान्, मैं इस संशोधन को स्वीकार करती हूं।

***अध्यक्ष:** मैं समझता हूं कि सभा इस संशोधन को स्वीकार करने की आज्ञा देती है।

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** अब मैं संशोधित नियम को सभा के सामने रखता हूं।

नियम 38-ञ संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया गया।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** मैं नियम 38-ट को पेश करती हूं:

''38-ट (1) किसी बिल पर सेलेक्ट कमेटी की अन्तिम रिपोर्ट पेश होने पर, जिस सदस्य ने बिल पेश किया हो, वे प्रस्ताव कर सकते हैं कि:

(क) जिस बिल पर सेलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट पेश की है, उस पर विचार किया जाये:

परन्तु शर्त्त यह है कि यदि रिपोर्ट की एक प्रति सदस्यों के उपयोग के लिये तीन दिन तक उपलब्ध न कराई गई हो तो सभा का कोई सदस्य उस पर इस प्रकार विचार होने के सम्बन्ध में आपत्ति कर सकता है और जब तक अध्यक्ष अपने विवेक से रिपोर्ट पर विचार होने की आज्ञा नहीं दें, इस प्रकार की आपत्ति मान्य होगी; या

(ख) जिस बिल पर सेलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट पेश की है वह या: तो

(1) बिना सीमाबन्दी किये हुये; या

(2) केवल विशेष खण्डों या संशोधनों के सम्बन्ध में; या

(3) सेलेक्ट कमेटी को इस आदेश के साथ कि बिल में किसी विशेष या अतिरिक्त आदेश को स्थान दिया जाये;

सेलेक्ट कमेटी के पास वापस भेजा जाये।

(2) यदि वे सदस्य जिन्होंने बिल पेश किया हो, यह प्रस्ताव करें कि बिल पर बिचार किया जाये तो कोई भी सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास वापस भेजा जाये।''

***अध्यक्षः** नियम 38-ट के सम्बन्ध में कोई संशोधन पेश नहीं हुए हैं। इसलिये मैं उस पर मतदान लेता हूं।

नियम 38-ट स्वीकार कर लिया गया।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाईः** श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं नियम 38-ठ पेश करती हूं:

''38-ठ (1) नियम 38-क से 38-ट तक के आदेश उस भारतीय विधान के मसविदे (जिसका आगे विधान के नाम से उल्लेख किया गया है) पर लागू नहीं होंगे, जिसे इस सभा के 29 अगस्त सन् 1947 ई. के प्रस्ताव के अनुसार नियुक्त की हुई मसविदा तैयार करने वाली कमेटी ने निश्चित किया है और कोई भी सदस्य अपने इरादे की सूचना देकर विधान को पेश कर सकता है और विधान को प्रस्तुत करने की आज्ञा मांगने के लिये प्रस्ताव करने की आवश्यकता न होगी।

(2) इस नियम के अधीन विधान को पेश करने की सूचना पांच दिन पहले देनी होगी जब तक कि अध्यक्ष इससे कम समय पहले सूचना देने पर विधान को पेश करने की आज्ञा न दे दें।''

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** श्रीमान्, इस खंड के सम्बन्ध में मुझे कई संशोधन पेश करने हैं। पहले मैं यह पेश करना चाहता हूं कि:

''प्रस्तावित नियम 38-ठ के उपनियम (1) में 'विधान के मसविदे' शब्दों की जगह 'विधान के मसविदे पर विचार' शब्द रख दिये जायें।''

यह संशोधन केवल शब्दों से सम्बन्ध रखता है। इसके अतिरिक्त मैं यह पेश करना चाहता हूं कि:

''प्रस्तावित नियम 38-ठ के उपनियम (1) में '(जिसका आगे विधान के नाम से उल्लेख हुआ है)' शब्दों के साथ लगाये हुए कोष्ठक निकाल दिये जायें और 'उल्लेख किया गया है' शब्दों की जगह 'उल्लेख हुआ है' शब्द रखे जायें।''

[श्री नजीरुद्दीन अहमद]

इस संशोधन के सम्बन्ध में श्रीमान्, मुझे यह कहना है कि 'विधान' और विधान के मसविदे में अन्तर है। यहां विधान के मसविदे का उल्लेख बाद को 'विधान' के नाम से किया गया है। 'विधान' शब्द 'विधान के मसविदे' के अर्थ में रखा गया है परन्तु ये शब्द एक दूसरे के स्थान में नहीं रखे जा सकते। संशोधन का भाग दफ्तर की एक गलती ठीक करने के लिये पेश किया गया है।

इसके बाद श्रीमान्, मैं यह पेश करना चाहता हूं कि:

''प्रस्तावित नियम 38-ठ के उपनियम (1) में से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायें:

'और कोई भी सदस्य अपने इरादे की सूचना देकर विधान पेश कर सकता है और विधान को प्रस्तुत करने की आज्ञा मांगने के लिये प्रस्ताव करने की आवश्यकता न होगी'।''

इसके अतिरिक्त मैं यह पेश करना चाहता हूं कि:

''प्रस्तावित नियम 38-ठ के उपनियम (1) के बाद निम्नलिखित नया उपनियम जोड़ दिया जाये:

'(1क) विधान का मसविदा जितनी जल्दी हो सकेगा, भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

(1ख) कोई सदस्य अपने इरादे की सूचना देकर विधान का मसविदा पेश कर सकता है, परन्तु उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा मांगने के लिये प्रस्ताव करने की आवश्यकता न होगी'।''

श्रीमान्, मैंने विधान के भारत सरकार के गजट में प्रकाशित होने के उद्देश्य से यहां एक नया नियम (1क) जोड़ने का प्रयत्न किया है। इससे इसका आश्वासन मिल जाता है कि जो कुछ यहां होगा उसकी सूचना जनसाधारण को मिलेगी। इसकी स्पष्टत: बड़ी आवश्यकता है। प्रकाशन और प्रचार प्रजातंत्रीय व्यवस्था का आवश्यक अंग है। इसलिये इस विधान का प्रकाशन होना चाहिये। जहां तक 1(ख) का सम्बन्ध है, यह केवल उपनियम (1) का अन्तिम भाग है; परन्तु इसे एक स्वतंत्र खंड बना दिया गया है, ताकि गजट में प्रकाशन सम्बन्धी खंड बीच में रखा जा सके।

मैं यह भी पेश करना चाहता हूं कि:

''प्रस्तावित नियम 38-ठ के उपनियम (2) में और प्रस्तावित नियम 38-ढ, 38-ण, 38-त, 38-थ, 38-द, 38-ध और 38-न में जहां कहीं, विधान' शब्द आया हो, उसकी जगह 'विधान का मसविदा' शब्द रखे जाये।''

जो प्रस्ताव मैंने पेश किया है उसीसे यह संशोधन भी पेश होता है।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** श्रीमान्, मैं नियम 38-ठ के सम्बन्ध में पेश किये हुए सभी संशोधनों का विरोध करती हूं, परन्तु संशोधन नं. 21 के अन्तिम भाग को स्वीकार करती हूं, अर्थात् 'उल्लेख किया गया है' शब्दों की जगह 'उल्लेख हुआ है' शब्द रखे जायें। प्रकाशन का जानबूझकर उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि विधान का मसविदा तैयार होने पर अध्यक्ष महोदय उसे प्रकाशित करने की, जैसी भी व्यवस्था वे चाहेंगे, करेंगे।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** ऐसी दशा में मैं अन्य सभी संशोधनों को वापस लेने के लिये सभा की आज्ञा चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताविका ने केवल एक संशोधन स्वीकार किया है; अर्थात् 'उल्लेख किया गया है' शब्दों की जगह 'उल्लेख हुआ है' शब्द रखे जायें। इसे सभा ने स्वीकार कर लिया है। और सभी संशोधन वापस ले लिये गये हैं। संशोधित खंड स्वीकार कर लिया गया है।

नियम 38-ठ संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया गया।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** श्रीमान्, मैं आपकी अनुमति से नियम 38-ड पेश करती हूं:

''38-ड. जब विधान पेश किया जाये, तो विधान को पेश करने वाले सदस्य यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि सभा उस पर विचार करे:

परन्तु इस प्रकार का प्रस्ताव उस समय तक न किया जायेगा, जब तक कि विधान की प्रतियां सदस्यों के उपयोग के लिये उपलब्ध न कराई जायें और जब तक प्रस्ताव के पेश होने के पहले तीन दिन तक विधान

[श्रीमती जी. दुर्गाबाई]

की प्रतियां उपलब्ध न कराई जायें, तो कोई भी सदस्य इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर आपत्ति कर सकता है। और जब तक अध्यक्ष अपने विवेक से प्रस्ताव को पेश करने की आज्ञा नहीं दें, इस प्रकार की आपत्ति मान्य होगी।''

***अध्यक्ष:** नियम 38-ड के सम्बन्ध में कोई संशोधन पेश नहीं किया गया है।

नियम 38-ड स्वीकार कर लिया गया।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं यह पेश करता हूं कि:

''प्रस्तावित नियम 38-ड के स्थान पर निम्नलिखित नया नियम जोड़ दिया जाये अर्थात्:

'38-ड जब यह प्रस्ताव किया जाये कि विधान के मसविदे पर विचार किया जाये, तो कोई अन्य दो दिन पहले सूचना देकर यह प्रस्ताव कर सकता है कि उसके सम्बन्ध में जनमत जानने के लिये उसे घुमाया जाये या यह कि उसे अध्यक्ष की बनाई हुई सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाये'।''

अन्य प्रस्तावों की तरह इस सम्बन्ध में भी उद्देश्य यह है कि विधान के सम्बन्ध में जो कुछ किया जाये, उसका अधिक से अधिक प्रचार किया जाये; परन्तु श्रीमान्, यदि इस दिशा में कोई ऐसी कार्यवाही करना चाहे, जिसे आप अपने विवेक से उचित समझें, तो मैं इस संशोधन को वापस लेने के लिये तैयार हूं, परन्तु जैसा कि मैं कह चुका हूं, प्रचार प्रजातंत्रीय व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है।

***अध्यक्ष:** मेरा अपना विचार यह है कि जब मसविदा तैयार करने वाली कमेटी आखिरी मसविदा मुझे दे देगी, तो मैं उसे गजट में प्रकाशित करवा दूंगा और साथ ही मैं इसकी सस्ती प्रतियां तैयार करवा दूंगा, ताकि जो कोई भी इसके बारे में दिलचस्पी रखता हो उसे इसकी प्रतियां मिल सकें और वह इसका अध्ययन करके जो कोई भी सुझाव देना चाहे, दे सके और मैं इसकी भी व्यवस्था करवा दूंगा कि विधान-परिषद् के सदस्यों को, उस पर विचार होने के लिये जो बैठक हो, उससे काफी समय पहले, उसकी एक-एक छपी हुई प्रति मिल जाये।

***मि. नजीरुद्दीन अहमद:** आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे मेरे उद्देश्य की पूर्ति इन संशोधनों से भी अधिक हो जायेगी और मैं सभा से अपना प्रस्ताव वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** श्रीमान् मैं खण्ड 38-ढ पेश करती हूं:

''38-ढ, जब कोई इस प्रकार का प्रस्ताव, कि विधान पर या किसी बिल पर विचार किया जाये, स्वीकार कर लिया जाये तो कोई सदस्य विधान के या बिल, जैसी भी दशा हो, के सम्बन्ध में संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है।''

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान्, मैं यह पेश करता हूं कि:

''प्रस्तावित नियम 38-ढ में 'स्वीकार कर लिया जाये' शब्दों की जगह 'सहमति से स्वीकार कर लिया जाये' शब्द रखे जायें; 'कोई सदस्य' शब्दों की जगह 'कोई अन्य सदस्य' शब्द रखे जायें और 'के सम्बन्ध में संशोधन' शब्दों की जगह 'संशोधन' शब्द रखा जाये।''

संशोधन के पहले भाग के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि व्यवस्थापिका सभा में 'स्वीकार कर लिया जाये' की अपेक्षा 'सहमति से स्वीकार कर लिया जाये' शब्द सर्वमान्य हैं। संशोधन के दूसरे भाग के सम्बन्ध में 'कोई सदस्य' शब्दों की जगह 'कोई अन्य सदस्य' शब्द रखने का सुझाव पेश किया गया है, ताकि प्रस्तावक और अन्य सदस्यों में भेद हो सके। संशोधन का अन्तिम भाग केवल मसविदा ठीक करने के लिये है।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** मैं इस संशोधन का विरोध करती हूं, क्योंकि 'स्वीकार कर लिया जाये' शब्द असेम्बली के नियमों में स्वीकार किये गये हैं।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** मैं अपना संशोधन वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिये गये।

नियम 38-ढ स्वीकार कर लिया गया।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** आपकी अनुमति से मैं खण्ड 38-ण पेश करती हूं:

''3-ण, (1) यदि किसी प्रस्तावित संशोधन की सूचना विधान या किसी बिल पर जैसी भी दशा हो, विचार होने के दिन के पूरे दो दिन पहले न दी गई हो, तो कोई भी सदस्य उस संशोधन के पेश होने पर आपत्ति कर सकता है और जब तक अध्यक्ष अपने विवेक से संशोधन पेश करने की आज्ञा न दे, इस प्रकार की आपति मान्य होगी।

[श्रीमती जी. दुर्गाबाई]

(2) मंत्री, यदि समय होगा तो प्रस्तावित संशोधन की प्रत्येक सूचना को छपवायेंगे और प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिये उसकी एक प्रति उपलब्ध करायेंगे।''

***श्री एच.वी. कामत:** अध्यक्ष महोदय, मुझे अंग्रेजी भाषा का बहुत कम ज्ञान है और इसलिये बहुत सन्देह से मैं यह पेश करना चाहता हूं कि आदेशात्मक अंग्रेजी शब्द 'शैल' और दशामूलक 'इफ' बेमेल हैं और इस उपनियम के मुख्य खण्ड और उपखण्ड में इनको साथ-साथ रखने से सम्बन्धित नियमों के आशय को हानि पहुंच सकती है; परन्तु यदि यहां हमारे बुद्धिमान् भाषाविशेषज्ञों का मत इसके विपरीत हो, तो मैं इस संशोधन पर जोर नहीं देना चाहता। मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि:

''प्रस्तावित नियम 38-ण के उपनियम (2) में 'मंत्री, यदि समय होगा तो प्रस्तावित संशोधन की प्रत्येक सूचना को छपवायेंगे' शब्दों की जगह 'मंत्री, यदि समय होगा तो प्रस्तावित संशोधन की प्रत्येक सूचना को छपवा सकते हैं या मंत्री, प्रस्तावित संशोधन की प्रत्येक सूचना को छपवायेंगे' शब्द रखे जायें।''

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** मैं इस संशोधन का विरोध करती हूं।

***अध्यक्ष:** इस दशा में मैं श्री कामठ के संशोधन को सभा के सामने रखता हूं।

संशोधन स्वीकार नहीं किया गया।

***अध्यक्ष:** अब मैं खण्ड 38-ण को सभा के सामने रखता हूं।

नियम 38-ण स्वीकार कर लिया गया।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं नियम 38-त पेश करती हूं:

''38-त, संशोधनों पर साधारणतया विधान या बिल के उन खण्डों के क्रमानूसार विचार होगा, जिसके सम्बन्ध में वे पेश किये गये हों और ऐसे किसी खण्ड के सम्बन्ध में, जैसी भी दशा हो, यह प्रस्ताव किया हुआ समझा जायेगा कि 'यह खण्ड विधान का अंग होगा' या 'यह खण्ड बिल का अंग होगा'।''

***अध्यक्षः** इस नियम के सम्बन्ध में कोई संशोधन पेश नहीं किया गया है। इसलिये मैं इसे सभा के सामने रखता हूं।

नियम स्वीकार कर लिया गया।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाईः** श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं नियम 38-थ पेश करती हूंः

''38-थ. जब यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाये कि विधान या बिल पर विचार किया जाये तो इन नियमों के आदेशों के अतिरिक्त अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वे अपने विवेक से विधान या उसके किसी अंग के या, जैसी भी दशा हो, बिल या उसके किसी अंग के एक-एक खण्ड को असेम्बली में पेश करें। जब यह विधि स्वीकार की जायेगी तो अध्यक्ष प्रत्येक खण्ड को अलग उठायेंगे और जब उसके सम्बन्ध में संशोधनों पर विचार हो जाये तो वे यह प्रश्न सभा के सामने रखेंगे कि 'यह खण्ड (या, जैसी भी दशा हो, यह संशोधित खण्ड) विधान का अंग होगा (या, जैसी भी दशा हो, बिल का अंग होगा)'।''

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं किः

''प्रस्तावित नियम 38-थ में 'स्वीकार कर लिया जाये' शब्दों की जगह 'सहमति से स्वीकार कर लिया जाये' और '(या, जैसी भी दशा हो, बिल या उसके किसी अंग को)' शब्दों की जगह '(या, जैसी भी दशा हो, बिल या उसके किसी अंग के)' शब्द और कोष्ठक रखे जायें।''

श्रीमान्, पहले भाग के सम्बन्ध में विचार हो चुका है। इसलिये मैं इस पर जोर नहीं देता कि 'स्वीकार कर लिया जाये' शब्दों की जगह 'सहमति से स्वीकार कर लिया जाये' शब्द रखे जायें। परन्तु अपने संशोधन के दूसरे भाग के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि 'जैसी भी दशा हो' शब्द दो बार आये हैं। अन्त में यह शब्द कोष्ठकों के अन्दर रखे गये हैं और पहले कोष्ठकों के अन्दर नहीं रखे गये हैं। इसलिये एकरूपता की दृष्टि से ही मैंने यह संशोधन पेश किया है।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाईः** मैं संशोधन के पहले भाग को अनावश्यक समझती हूं। शब्दों को कोष्ठकों के अन्दर रखने के बारे में जो दूसरा भाग है, उसे मैं स्वीकार करती हूं।

***अध्यक्षः** प्रस्ताविका ने दूसरा भाग स्वीकार कर लिया है और मैं अब संशोधित नियम को सभा के सामने रखता हूं।

नियम 38-थ संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया गया।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाईः** श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं नियम 38-द पेश करती हूंः

''38-द(1) जब यह प्रस्ताव कि विधान पर विचार हो, स्वीकार कर लिया जाये और विधान के सम्बन्ध में सभी संशोधनों पर विचार हो जाये, तो कोई भी सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधान स्वीकार कर लिया जायेः

परन्तु शर्त यह है कि अध्यक्ष यह प्रस्ताव करने की आज्ञा देने के पहले विधान को उसके संशोधित रूप में नियम 38-ठ व उपनियम (1) में उल्लिखित मसविदा तैयार करने वाली कमेटी के पास भेज सकते हैं और उसे यह आदेश दे सकते हैं कि खण्डों की ऐसी पुनर्गणना और हाशिये के लेखों को ऐसे दुहराया और पूरा किया जाये, जैसे कि आवश्यक समझा जाये तथा विधान के सम्बन्ध में ऐसे रस्मी और अनुवर्ती संशोधनों की सिफारिश कर सकते हैं जो कि आवश्यक हों।

(2) जब विधान इस प्रकार मसविदा तैयार करने वाली कमेटी के पास भेजा जाये और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी हो, तो कोई भी सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि कमेटी द्वारा दुहराये हुए विधान को स्वीकार कर लिया जाये।

(3) उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन किये हुए किसी प्रस्ताव पर कोई ऐसा संशोधन न किया जायेगा, जो विधान पर विचार होने के बाद किये हुए किसी संशोधन में रस्मी या अनुवर्ती रूप में न हो।''

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** श्रीमान्, मैं अपने संशोधन के पहले भाग को अर्थात् 'स्वीकार कर लिया जाये' शब्दों की जगह 'सहमति से स्वीकार कर लिया जाये' नहीं पेश कर रहा हूं, परन्तु मैं संशोधन नं. 30 पेश हूं, जो इस प्रकार है किः

''प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (1) के शर्तिया खण्ड में 'मसविदा तैयार वाली कमेटी' शब्दों के बाद और 'नियम 38-ठ के

उपनियम (1)' शब्दों के पहले अर्धविराम लगाये जायें। मैं यह भी पेश करता हूं कि:

प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (1) के शर्तिया खण्ड में 'खण्डों की ऐसी पुनर्गणना' शब्दों के बाद 'और विरामों को ऐसे दुहराया जाये' शब्दों को जोड़ा जाये।''

इन संशोधनों के बारे में मुझे यह कहना है कि नियम में यह प्रस्ताव किया गया है कि जब यह सभा विधान को स्वीकार कर लेगी, विधान का मसविदा गलतियों को ठीक करने और उसमें परिवर्तन करने के लिये मसविदा तैयार करने वाली कमेटी के पास भेजा जायेगा। परन्तु उसमें विरामों को ठीक करने के लिये कोई आदेश नहीं है, यद्यपि व्यवस्थापिका सभा के नियमों में यह अधिकार मंत्री को दिया हुआ है। जहां तक विधान का सम्बन्ध है, उस नियम का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। इसलिये कमेटी को विराम दुहराने का काम भी सौंपा जाना चाहिये।

मैं अपना संशोधन नं. 32 भी पेश करता हूं, जो इस प्रकार है कि:

''प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (2) में 'मसविदा तैयार करने वाली कमेटी के पास भेजा जाये' शब्दों के पहले 'उपनियम (1) के शर्तिया खंड के अधीन' शब्द जोड़ दिये जायें।''

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** मैं संशोधन नं. 30 और 31 को स्वीकार करती हूं, परन्तु मैं संशोधन नं. 32 का विरोध करती हूं।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** तब श्रीमान्, मैं अपना संशोधन नं. 32 वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** मैं आशा करता हूं कि सभा संशोधन नं. 32 वापस लेने की आज्ञा देती है।

सभा की अनुमति से संशोधन नं. 32 वापस ले लिया गया।

संशोधन नं. 30 और 31 स्वीकार कर लिये गये।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** श्रीमान्, मुझे दो शब्दिक संशोधनों का प्रस्ताव करना है एक यह है कि 'सभी संशोधनों' की जगह 'संशोधनों' शब्द रखा जाये। दूसरा यह है कि 'संशोधनों' शब्द के बाद 'यदि कोई पेश किये गये हों' शब्द जोड़ दिये जायें।

***अध्यक्ष:** तब मैं नियम 38-द (1), (2) और (3) को उनके संशोधित रूप में सभा के सामने रखता हूं।

नियम संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया गया।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं नियम 38-ध पेश करती हूं:

''38-ध.(1) जब यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाये कि बिल पर विचार किया जाये और उस बिल के सम्बन्ध में कोई संशोधन पेश नहीं किये गये हों, तो जिस सदस्य ने बिल पेश किया हो, वे तुरन्त प्रस्ताव कर सकते हैं कि बिल स्वीकार कर लिया जाये।

(2) यदि बिल के सम्बन्ध में कोई संशोधन पेश किया जाये, तो जिस दिन बिल पेश किया जाये, उसी दिन किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत होने पर कोई सदस्य आपति कर सकता है और जब तक अध्यक्ष अपने विवेक से उस प्रस्ताव के प्रस्तुत होने की आज्ञा न दें, इस प्रकार की आपत्ति मान्य होगी:

परन्तु शर्त यह है कि अध्यक्ष प्रस्ताव के प्रस्तुत होने की आज्ञा देने के पहले उस बिल को संशोधित रूप में या तो नियम 38-ठ के उपनियम (1) में उल्लिखित मसविदा तैयार करने वाली कमेटी के पास भेज सकते हैं, या उस तत्सम्बन्धी कमेटी के पास भेज सकते हैं, जिसमें असेम्बली के सदस्य हों और जिसे उन्होंने नियुक्त किया हो और उसे यह आदेश दे सकते हैं कि खण्डों की ऐसी पुनर्गणना और हाशिया के लेखों को ऐसे दुहराया और पूरा किया जाये, जैसे कि आवश्यक समझा जाये तथा बिल के सम्बन्ध में ऐसे रस्मी और अनुवर्ती संशोधनों की सिफारिश कर सकते हैं, जो कि आवश्यक हों।

(3) यदि आपत्ति मान्य हो, तो यह प्रस्ताव कि बिल स्वीकार कर लिया जाये, आगे किसी अन्य दिन पेश किया जाये।

(4) जब बिल इस प्रकार उपनियम (2) के शर्त्तिया खण्ड के अधीन नियुक्त मसविदा तैयार करने वाली कमेटी के पास भेजा जाये और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी हो, तो कोई भी सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि कमेटी द्वारा दुहराये हुये विधान को स्वीकार कर लिया जाये।

(5) उपनियम (2), उपनियम (3) या उपनियम (4) के अधीन किये हुये किसी प्रस्ताव पर कोई ऐसा संशोधन न किया जायेगा, जो बिल पर विचार होने के बाद किये हुये किसी संशोधन में रस्मी या अनुवर्ती रूप में न हो।''

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** मेरे संशोधन नं. 33 का उद्देश्य यह है कि 'स्वीकार कर लिया जाये' शब्दों की जगह 'सहमति से स्वीकार कर लिया जाये' शब्द रखे जायें, परन्तु इस पर विचार हो चुका है और इसलिये मैं इसे पेश नहीं करता हूं। मैं संशोधन नं. 34 और 35 को पेश करता हूं:

''नं. 34 प्रस्तावित नियम 38-ध के उपनियम (2) के शर्तिया खण्ड में 'खण्डों की ऐसी पुनर्गणना' शब्दों के बाद 'और विरामों को ऐसे दुहराया जाये' शब्दों को जोड़ा जाये।"

''नं. 35 प्रस्तावित नियम 38-ध के उपनियम (4) में 'विधान' शब्द की जगह 'बिल' शब्द रख दिया जाये।''

श्रीमान्, जहां तक इस नियम अर्थात् नियम 38-ध का सम्बन्ध है, वह केवल बिल के बारे में है और विधान के बारे में नहीं है। कुछ नियमों में 'विधान' और 'बिल' दोनों शब्द प्रयोग में आये हैं, परन्तु इस नियम विशेष को मैंने ध्यान से देखा और मैं तो यह समझता हूं कि यह केवल बिल के बारे में है। इसलिये मेरे विचार से 'विधान' शब्द दफ्तर की गलती से रख दिया गया है और उसकी जगह 'बिल' शब्द रखा जाना चाहिये।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाईः** श्रीमान्, मैं संशोधन नं. 34 को स्वीकार करती हूं, परन्तु संशोधन नं. 35 अनावश्यक है, क्योंकि दफ्तर की गलती ठीक कर दी गई है।

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** परन्तु कठिनाई यह है कि मूल प्रस्ताव उसी प्रकार है, जैसे वह छापा गया था और उसमें गलती ठीक नहीं की गई है। इसलिये उसे गलती ठीक करके पेश करना होगा।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि:

''‘विधान' शब्द की जगह 'बिल' शब्द रखा जाये।''

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** मेरा संशोधन भी इसी प्रकार है।

***अध्यक्ष:** इसका अर्थ यह है कि प्रस्ताविका ने दोनों संशोधनों को स्वीकार कर लिया है।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** श्रीमान्, उपनियम (1) में यह कहा गया है 'बिल पर विचार किया जाये..... इत्यादि' उपनियम (4) में यह दिया हुआ है, 'जब बिल इस प्रकार...' अन्त में 'विधान' शब्द आया है। क्या उस शब्द की जगह 'बिल' शब्द रखना है?

***अध्यक्ष:** सभी जगह 'विधान' शब्द की जगह 'बिल' शब्द को रखना है। जो लोग इसके पक्ष में हैं वे 'हां' कहेंगे।

नियम संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया गया।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** आपकी अनुमति से मैं नियम 38-न पेश करती हूं:

''38-न जिस सदस्य ने बिल पेश किया हो वह बिल पर विचार होने के किसी समय बिल को वापस लेने के लिये आज्ञा मांगने का प्रस्ताव कर सकता है और जब इस प्रकार की आज्ञा दे दी जाये तो उस बिल के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं किया जा सकेगा।''

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि:

''प्रस्तावित नियम 38-न में 'और जब इस प्रकार की आज्ञा' शब्दों की जगह 'और अगर इस प्रकार की आज्ञा' शब्द रखे जाये''।

यह केवल शाब्दिक संशोधन है।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** मैं इस संशोधन को स्वीकार करती हूं।

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

नियम 38-न संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया गया।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** आपकी अनुमति से मैं नियम 38-प पेश करती हूं:

''38-प जब विधान को असेम्बली स्वीकार कर लेगी, तो वह अध्यक्ष के सम्मुख पेश किया जायेगा, जो उस पर हस्ताक्षर करके उसे अधिकृत बना देंगे।''

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** यहां थोड़ी-सी गलती रह गई है। खण्ड में कहा गया है, 'जब खण्ड को असेम्बली स्वीकार कर लेगी तो वह अध्यक्ष के सम्मुख पेश किया जायेगा.....।' उसे उनके सम्मुख पेश करने का कोई साधन नहीं है। इसकी जगह हम इस खण्ड को इस प्रकार संशोधित करके रख सकते हैं:

''जब विधान को असेम्बली स्वीकार कर ले, तो अध्यक्ष उस पर हस्ताक्षर करके उसे अधिकृत बना देंगे।''

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** श्रीमान्, मैं इस संशोधन को स्वीकार करती हूं।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

''जब विधान को असेम्बली स्वीकार कर ले, तो अध्यक्ष उस पर हस्ताक्षर करके उसे अधिकृत बना देंगे।''

नियम 38-प संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया गया।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** मैंने जिस नये नियम 38-प की सूचना दी है, उसे मैं पेश करता हूं, वह इस प्रकार है:

''नियम 38-प के स्थान पर निम्नलिखित नया नियम रखा जाये:

'38-प, अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार अधिकृत बनाया हुआ विधान का मसविदा भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किया जायेगा और उसके बाद वह स्वतंत्र भारत का विधान हो जायेगा'।''

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** मैं इस नये नियम को स्वीकार नहीं करती हूं। इस विषय पर विचार हो चुका है।

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** इस दृष्टि से कि यह केवल प्रबन्ध-सम्बन्धी प्रश्न, है, मैं इस प्रस्ताव को वापस लेने के लिये सभा की आज्ञा चाहता हूं।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** मैं सभा से इसके लिये क्षमा चाहता हूं कि मैं इतनी बार बोल रहा हूं। परन्तु ऐसा करने में मेरा यही उद्देश्य रहा है कि अपनी बुद्धि के अनुसार इन नियमों को सुधारने में सहायक बनु मुझे इसका भय है कि सभा इन बातों से ऊब गई है। मुझे इसका खेद है। चूंकि इन त्रुटियों की ओर मेरा ध्यान गया, मैंने यह सोचा कि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इन्हें सभा के सामने रखूं।

***अध्यक्षः** माननीय सदस्य इसके लिये सभा से क्षमा-याचना न करें। मुझे विश्वास है कि वे हम सभी के धन्यवाद के पात्र हैं।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाईः** मैं खण्ड 38-फ पेश करती हूं:

> ''जब नियम 38-फ में उल्लिखित किसी बिल को असेम्बली स्वीकार कर ले, तो उसकी एक प्रति, जिस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे, गवर्नर-जनरल को उनकी स्वीकृति के लिये भेजी जायेगी। जब उस बिल के सम्बन्ध में गवर्नर जनरल अपनी स्वीकृति दे दें, तो वह कानून हो जायेगा और भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किया जायेगा।''

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, इस सम्बन्ध में मुझे यह सुझाव रखना है कि चूंकि इस नियम 38-फ के विरुद्ध बहुत आलोचना हुई है, इसलिये इसे आपत्तियों के प्रकाश में फिर से जांच करने के लिये विशेषज्ञों की एक कमेटी के पास भेजा जाये।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगरः** इस नियम के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जिस समय इस पर विचार हो रहा था, मैंने डॉ. अम्बेडकर से दो बातें स्पष्ट करने के लिये कहा था। मेरा अब भी यह विचार है कि गवर्नर-जनरल के पास भेजने और उनकी स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस नियम को कमेटी के पास भेजने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि यदि प्रस्ताविका महोदया

डॉ. अम्बेडकर से विचार-विमर्श करके अपना विचार बदल लें, तो यह सम्भव है कि इसको यहां इसी समय बदल लिया जाये। यदि वे ऐसा करें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मेरे विचार से ये नियम नवीन भारतीय विधान को स्वीकार करने के बारे में है और यही नियम सिवाय एक नियम के वर्तमान विधान में संशोधन करने के बारे में भी है। विधान-परिषद् की व्यवस्थापिका सभा में भारतीय संघ के लिये नियम और कानून बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी को देने के बारे में अन्य कानून भी पेश किये जायेंगे। इसलिये जहां तक इन अन्य बिलों का सम्बन्ध है, उसका नियमन भारत सरकार के संशोधित कानून द्वारा होता है। खण्ड 32 में यह व्यवस्था है कि इन नियमों के सम्बन्ध में गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक है। उनको इसकी स्वतंत्रता है कि वे स्वीकृति न दें और या तो पूरे बिल को या उसकी किसी धारा आदि को पुनर्विचार के लिये वापस भेज दें। परन्तु जहां तक इस धारा का सम्बन्ध है, क्या हम यह चाहते हैं कि गवर्नर-जनरल इस अधिकार का प्रयोग करें? मेरा तो यह विचार है कि हम उन्हें यह अधिकार इसलिये दे रहे हैं कि सम्भव है कि कुछ त्रुटियां रह जायें। यह तर्कसंगत बात नहीं है त्रुटियां रह जाने की सम्भावना के कारण हम उन्हें यह अधिकार दें।

एक बात और कही गई थी। वर्तमान कानून के अधीन ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा स्वीकृत स्वतंत्रता सम्बन्धी कानून के अधीन गवर्नर-जनरल को यह अधिकार दिया गया है कि वे सन् 1935 ई. के कानून को बदली हुई दशाओं के अनुरूप संशोधित कर लें। परन्तु इस अधिकार की अवधि 31 मार्च सन् 1948 तक ही है यदि वे उस कानून को इसीलिये संशोधित करें कि उनको इसका अधिकार दिया गया है, तो जहां तक इस कानून का सम्बन्ध है, वे व्यवस्थापिका सभा के ऊपर एक ऊंची व्यवस्थापिका का काम करेंगे। यदि किसी अन्य परिवर्त्तन के लिये इनकी स्वीकृति की आवश्यकता हो, तो वह अधिकार तो 31 मार्च सन् 1948 के बाद समाप्त हो जायेगा। अब बाद को भारत सरकार के कानून के परिवर्तित होने की कोई सम्भावना नहीं है। इसलिये जब भारत सरकार का संशोधित कानून रहेगा ही नहीं, तो हम गवर्नर-जनरल को दुबारा इस अधिकार को क्यों दें? इसके अतिरिक्त हम औपनिवेशिक व्यवस्थापिका सभा में विधान सम्बन्धी कानून का संशोधन करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। यही सभा नये भारतीय विधान पर विचार कर रही है और इसी सभा में हमने वर्तमान कानूनों का संशोधन करने का अधिकार लिया है। इसलिये ये दो बातें अर्थात् वर्तमान कानूनों के संशोधन और विधान-निर्माण में आधारभूत भेद है। विधान-निर्माण के लिये गवर्नर-जनरल की स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम कानून बना रहे हैं तो हमें यह गलती नहीं

[श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर]

करनी चाहिये। डॉ. अम्बेडकर ने कुछ ऐसी सलाह दी थी कि इस सभा को इसकी स्वतंत्रता है कि वह गवर्नर-जनरल के पास भेजने के बारे में जो आदेश है, उसमें संशोधन कर ले। इसीलिये उनका भिन्न मत है। डॉ. अम्बेडकर को तो इसकी स्वतंत्रता है ही कि वे अपना मत बदल लें। मैं उनसे अपील करता हूं कि वे इस पर फिर विचार करें। हम उस प्राचीन अभिशाप से मुक्त होना चाहते हैं, जो हमें 150 वर्ष तक पीड़ित करता रहा है। हमने इसके विरुद्ध बहुत काल तक संघर्ष किया है। हम फिर गवर्नर-जनरल के आगे गर्दन क्यों झुकायें, भले ही वह हमारा मनोनीत किया हुआ या कोई और आदमी क्यों न हो? इसलिये इस नियम को कमेटी के पास भेजने के बजाये हम सीधे-सीधे संशोधन कर सकते हैं।

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, मेरी यह राय है कि जहां तक इस सभा का सम्बन्ध है आप सर्वोच्च अधिकारी हैं, और इस असेम्बली द्वारा स्वीकृत कोई बिल या प्रस्ताव स्वीकृति या समर्थन के लिये किसी बाहर के अधिकारी के पास न भेजा जाना चाहिये। ऐसी दशा में यह खण्ड अनावश्यक है।

***अध्यक्षः** क्या इस खंड के बारे में कोई अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं? इस सम्बन्ध में कोई संशोधन भी नहीं है जब तक कि मैं श्री कामठ के इस सुझाव को कि यह कमेटी के पास भेजा जाये, एक संशोधन न समझूं।

***श्री एच.वी. कामतः** मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उसे संशोधन ही समझें।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

''प्रस्तावित नियम 38-फ मसविदा तैयार करने वाली कमेटी के पास भेजा जाये।''

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

अध्यक्ष द्वारा आगामी अधिवेशन सम्बन्धी घोषणा

***अध्यक्षः** अब हम कार्यावली के अन्त तक पहुंच गये हैं। सभा समाप्त करने के पहले हमें एक काम और करना है और वह यह है कि आपको मुझे असेम्बली

का अगला अधिवेशन किसी उपयुक्त समय में करने का अधिकार देना है। नियमों के अधीन किसी निश्चित समय के बाद मैं अधिवेशन नहीं कर सकता। मेरे विचार से इस बार विधान के मसविदे पर विचार करने के लिये दूसरा अधिवेशन काफी समय बाद किया जा सकेगा। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि आप उपयुक्त समय में अधिवेशन करने का अधिकार मुझे दें।

सेठ गोविन्ददासः सभापति जी, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि:

''आगे हमारा अधिवेशन कब बुलाया जाये, इसका अधिकार सभापति को दे दिया जाये।''

***अध्यक्षः** क्या इस प्रस्ताव के बारे में कोई संशोधन है?

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** मेरे मस्तिष्क में जो कालक्रम (टाइम टेबुल) है, उसे मैं आपको बताऊंगा। मुझे यह आशा है कि मसविदा तैयार करने वाली कमेटी फरवरी के बीच तक अन्तिम मसविदा मुझे दे देगी और जब अन्तिम मसविदा मिल जायेगा, तो वह छपवाया जायेगा और समाचार पत्रों को भेजा जायेगा। वह गजट में प्रकाशित किया जायेगा और अन्य प्रकार से भी प्रकाशित किया जायेगा। जब व्यवस्थापिका सभा का अधिवेशन समाप्त होगा, जो मेरे विचार से मार्च के अन्त तक या अप्रैल के शुरू तक समाप्त होगा, तो मैं विधान के मसविदे पर विचार करने के सम्बन्ध में विधान-परिषद् के अगले अधिवेशन के लिये अप्रैल में किसी समय उपयुक्त तिथि निश्चित करूंगा और जब तक पूर्ण रूप से विचार न हो जाये और विधान अन्तिम रूप से स्वीकार न हो जाये, हम अधिवेशन करते रहेंगे।

***एक माननीय सदस्यः** क्या व्यवस्थापिका सभा के अधिवेशन और विधान-परिषद् के अधिवेशन के बीच कुछ समय मिलेगा?

***अध्यक्षः** मेरे विचार से मैं कुछ दिन का समय दूंगा, परन्तु लम्बा समय न मिलेगा।

***श्री आर.के. सिधवाः** हमें कम से कम पन्द्रह दिन की आवश्यकता होगी।

***अध्यक्षः** मैं कुछ समय दूंगा, परन्तु मैं इस समय कह नहीं सकता की वह कितना लम्बा होगा।

***एक माननीय सदस्यः** दो सप्ताह से कम नहीं।

***अध्यक्षः** मैं इस पर विचार करूंगा। यह इस पर निर्भर है कि व्यवस्थापिका सभा का अधिवेशन कब समाप्त होता है।

***एक माननीय सदस्यः** उसे 4 अप्रैल को समाप्त होना है।

***अध्यक्षः** हर साल यह कहा जाता है कि अधिवेशन फलां तारीख को समाप्त होगा, परन्तु वह बढ़ा ही दिया जाता है। यह सम्भव नहीं है कि आज कोई तिथि निश्चित की जाये, परन्तु, मैं उस अधिवेशन के बाद कुछ समय दूंगा।

इसके बाद सभा उस तारीख तक के लिये स्थगित हो गई, जिसे अध्यक्ष निश्चित करें।